दीक्षांत
Education Centre

दीक्षांत समसामयिकी

अक्टूबर 2022

क्या है खास....

- इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट2022: ऑक्सफैम इंडिया
- किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान संघर्ष
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022
- असम आदिवासी शांति समझौता
- भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022
- सॉफ्ट पावर के रूप में खेल
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
- 7वां पूर्वी आर्थिक मंच
- भारत में चीतों की वापसी
- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

करेंट अफ़ेयर्स की बेहतर तैयारी हेतु
दीक्षांत एप पर निःशुल्क करेंट अफ़ेयर्स क्लास
में अवश्य भाग लें।

दीक्षांत ऐप डाउनलोड
करने के लिए
QR Code स्कैन करें।

VISIT US: DIKSHANTIAS.COM
9312511015
8851301204
FACEBOOK.COM /DIKSHANT.IAS.7
YOUTUBE.COM /DIKSHANTIAS
TWITTER.COM /DIKSHANTIAS
INSTAGRAM.COM /DIKSHANTIAS
T.ME/ DIKSHANTIAS

DIKSHANT

दीक्षांत

19 वर्षों से ईमानदार प्रयास

66th BPSC Final Result 100 + Results

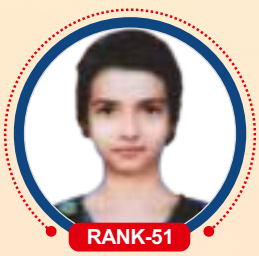
RANK-51
SNEHA SALVI

RANK-730
SHREYA SUMAN

RANK-268
BHAWNA

RANK-103
HIMANSHU RAJ

RANK-317
RAVI RANJAN KUMAR

67th BPSC

सामान्य अध्ययन

ऑनलाइन/ऑफलाइन

MAINS SPECIAL

DOWNLOAD

दीक्षांत DIKSHANT IAS EDUCATION APP

नामांकन प्रारंभ / सीमित सीटें

11 OCT.

@7 PM

TO REGISTER INSTALL DIKSHANT APP/ADD: 704 ,GROUND FLOOR, MAIN ROAD, FRONT OF BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

दीक्षांत समसामयिकी

अक्टूबर, 2022

मुख्य संपादक
डॉ. एस एस पाण्डेय
डायरेक्टर
शिप्रा पाण्डेय
कार्यकारी संपादक
राकेश पाण्डेय
सह-कार्यकारी संपादक
साकेत आनंद
प्रबंधन परामर्श
शंकर भारती, मरीना
सम्पादन सहयोग
विपिन, नीरज, विकास तिवारी, मो. शोएब, अजय द्विवेदी, संतोष, अभिजीत, प्रकाश जायसवाल, मनोज सिंह
टाइप सेटिंग व डिज़ाइनिंग
सूर्यजीत, पूजा, सुनील, शकिबा संजय, प्रवीण, जितेन्द्र

****

- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों से गैर-व्यवसायिक एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लिये गये हैं और हम इसके लिये उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

प्रधान कार्यालय
289, ढाका जौहर, दशहरा ग्राउन्ड के नजदीक, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
संपर्क कार्यालय
704, बत्रा सिनेमा के सामने, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
मोबाइल: 7428092240, 9312511015, 8851301204
ई-मेल: dikshantias2011@gmail.com, वेबसाइट: www.dikshantias.com
भोपाल शाखा
प्लॉट न. 48, 3rd फ्लोर, सरगम टॉकीज के पीछे, जोन-2, एमपी नगर, भोपाल

अनुक्रम

न्यूज एक्सप्लेनर

- इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022: ऑक्सफैम इंडिया 6
- ईडब्ल्यूएस कोटा 7
- किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान संघर्ष 9
- धर्मशाला घोषणा 2022 12
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) 15
- यूएनएससी सुधार, भारत और जी4 18
- वैवाहिक दुष्कर्म 21
- हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा 24
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022 26

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- अडाप्शन रूल्स 30
- असम आदिवासी शांति समझौता 31
- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 32
- पोर्नोग्राफी 33
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 34
- अनुसूचित जनजाति 36
- बाल मृत्यु दर 36
- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग 37
- भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 38
- सॉफ्ट पावर के रूप में खेल 40
- भारत में लिंगानुपात 40
- मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट 41
- 'ऑपरेशन मेघचक्र' 42
- खाद्य पैकेजिंग लेबल पर जल्द ही दिखाई देंगे पोषण रेटिंग स्टार 42
- सियाचिन में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई 43
- ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 'भारत विद्या' लॉन्च 43
- सरकार द्वारा कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू किया गया 43
- '2022 भारत के लिए शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट: शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' 44
- ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करेगी 44
- केंद्र सरकार के पैनल ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक निकाय बनाने की सिफारिश की 44
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया 45
- पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में जेलों में ऑक्यूपेंसी दर में वृद्धि हुई है: कारागार सांख्यिकी इंडिया रिपोर्ट 2021 45
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 46
- प्रधानमंत्री ने 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन किया 46
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को मंजूरी दी 46
- तीन भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए 47
- 2021 में लगभग 4 लाख सड़क दुर्घटना के मामले सामने आए: एनसीआरबी 47
- सरकार ने महिला कर्मचारियों लिए विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा की 48

- आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 'स्पार्क' कार्यक्रम 48
- सरकार ने तीन बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी 48
- पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया 49
- नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया 49

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

- एआईबीडी की 47वीं वार्षिक सभा 50
- भारत-श्रीलंका संबंध और तमिल अल्पसंख्यक मुद्दा 50
- ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन रिपोर्ट 51
- भारत-श्रीलंका एफटीए 52
- घटती प्रजनन क्षमता के दुष्परिणाम 53
- मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 54
- 7वां पूर्वी आर्थिक मंच 56
- भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक 57
- भारत और मिस्र ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 57
- 'इनसाइट 2022'- हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया 58
- श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन से आगे निकला भारत 58
- ग्लोबल एआई समिट का दूसरा संस्करण 13 से 15 सितंबर 2022 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया 58
- आईएफएसबी का चौथा इनोवेशन फोरम कतर द्वारा आयोजित किया गया 59
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 'आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की 59
- दूसरा भारत-जापान 2+2 संवाद टोक्यो में संपन्न हुआ 59
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर का तीन दिवसीय सऊदी अरब यात्रा 60
- किंग चार्ल्स III को ब्रिटेन का अगला सम्राट घोषित किया गया 60
- वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 60
- भारत और चीन की सेनाओं ने गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में हटने की प्रक्रिया शुरू की 61
- भारत-अमेरिका 2 प्लस 2 अंतर-सत्रीय बैठक आयोजित की गई 61
- शेख हसीना की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए 61
- भारतीय सेना प्रमुख का नेपाल की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा 62
- लिज़ ट्रस ने यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली 62
- 82 देशों में 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम 62

अर्थ जगत

- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरावट 64
- दामोदरन समिति 64
- बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 65
- राष्ट्रीय रसद नीति 2022 66
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) 67
- प्रधानमंत्री कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन (PRANAM) योजना 68
- विदेश व्यापार नीति 68
- भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी आरईसी लिमिटेड 69
- भारत सहित 5 दक्षिण एशियाई देशों ने पाम ऑयल एलायंस बनाया 70
- महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया 70
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में तीन प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत 70
- आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) से हटाया 71

- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 6.71% से बढ़कर अगस्त 2022 में 7% हो गई 71
- भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि 72
- गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए किरीट पारेख की अध्यक्षता में समिति का गठन 72
- एफएओ ने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन- रोडमैप 2022-30 जारी किया 72
- आरबीआई ने कर्जदारों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ऋणदाता के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए 73
- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई 73

विज्ञान एवं तकनीकी

- दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया : माया 74
- इसरो ने हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली (प्रोपल्शन सिस्टम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया 74
- ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (एचसीआई) ने भारत की पहली उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह (एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की 74
- पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला मानव रहित वायुयान 75
- MOXIE उपकरण ने मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न की 75
- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कोविड -19 के लिए भारत के पहले इंट्रा- नेज़ल वैक्सीन को मंजूरी दी 75
- मंगल के आसमान में पैची प्रोटॉन ध्रुवीय ज्योति पाई गई 76
- भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया 76

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन 77
- भारत में चीतों की वापसी 77
- ग्रीन फिन्स हब 78
- केंद्र सरकार ने 2026 तक शहरों के लिए 40% वायु प्रदूषण में कमी का लक्ष्य निर्धारित किया 79
- दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा 79
- जीवाश्म ईंधन पर दुनिया का पहला डेटाबेस लॉन्च 80
- पर्यावरण स्थिरता 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट जारी 80

खेल जगत

- दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया (एचआई) का अध्यक्ष चुना गया 81
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की 81
- 2023 में नोएडा के बौद्ध सर्किट में आयोजित किया जाएगा भारत का पहला मोटो जीपी 81
- बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हराकर सैफ (SAFF) महिला चैम्पियनशिप जीती 82
- बेंगलुरू एफसी ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता 82
- रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की 82
- भारत ने फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF U-17 चैम्पियनशिप का खिताब जीता 82
- मैक्स वेर्स्टाप्पेन ने फॉर्मूला वन इटैलियन ग्रां प्री जीता 83
- नीरज चोपड़ा ने जीता ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 83
- कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता 83

राज्यनामा

- बिहार सरकार ने स्कूलों में 'नो बैग डे' और अनिवार्य 'खेल पीरियड' की शुरुआत की 84
- भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा 84
- इंदौर 'स्मार्ट एड्रेस' वाला पहला स्मार्ट सिटी बनेगा 84
- राजस्थान सरकार ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की 85
- ई-अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश रहा अव्वल 85
- भारत का पहला परिवर्तित जैव ग्राम (बायो-विलेज) त्रिपुरा में 85

विविध

महत्त्वपूर्ण दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस: 21 सितंबर 86
- ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस/ विश्व ओजोन दिवस : 16 सितंबर 86
- इंजीनियर दिवस 2022: 15 सितंबर 86
- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस: 15 सितंबर 87
- हिंदी दिवस : 14 सितंबर 87
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस: 8 सितंबर 87
- शिक्षक दिवस 2022: 5 सितंबर 87

नियुक्ति

- आईओए के संविधान में संशोधन के लिए पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया 88
- न्यायमूर्ति एम एन भंडारी को पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया 88
- महेश वी अय्यर को महानगर गैस लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया 88
- वोल्कर तुर्क को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया 89
- न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नामित 89

पुरस्कार और सम्मान

- भारतीय लेखिका मीना कंडासामी ने जीता जर्मन पेन पुरस्कार 89
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार 2020-21 90
- 'इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव' ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता 90
- ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 90
- गुजराती फिल्म 'छेल्लो शो' ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित 91
- भारतीय उद्योगपति डॉ स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 91
- एमी पुरस्कार 2022 91
- 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 92
- फिल्मफेयर अवार्ड्स 2022 92

निधन

- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय निधन 93
- कलाकार राम चंद्र मांझी का निधन 93
- पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन 93

PRACTICE SET

- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 94

इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022: ऑक्सफैम इंडिया

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** विकास से संबंधित मुद्दे, सामाजिक क्षेत्र का प्रबंधन

संदर्भ

- हाल ही में, प्रकाशित ऑक्सफेम की 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022' के अनुसार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा वेतन के मामले में महिलाओं को पक्षपात का सामना करना पड़ता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भेदभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को श्रम बाजार में 100 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 98 प्रतिशत रोजगार असमानता का सामना करना पड़ता है। देश में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) कम रहने के पीछे भेदभाव एक मुख्य कारक हो सकता है।

ऑक्सफेम इंटरनेशनल

20 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक संघ, जो वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है।

ऐसा विश्व, जहां लोग और ग्रह अर्थव्यवस्था के केंद्र में हों। महिला वर्ग हिंसा और भेदभाव से मुक्त हों।

गठन

इसका गठन 1995 में गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा किया गया था।

इसका गठन ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के साथ गरीबी, अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयासों को समन्वित करने की मंशा से किया गया था।

महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट (एलएफपीआर)

- यह कामकाजी उम्र की आबादी के अनुपात को संदर्भित करता है, जो श्रम बाजार में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, ये कार्यरत हैं अथवा काम की खोज में हैं।
- भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी केवल 25.1% था, जबकि 2004-05 में यह 42.7% था।

पुरुष-महिला वेतन अंतर

- 2019-20 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60% के पास नियमित वेतनभोगी या स्व-नियोजित नौकरी थी, महिलाओं के लिए यह दर 19% थी।

श्रम में भेदभाव

- महिला अनियत श्रमिक अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 3,000 रुपये कम कमाती हैं।

एससी/एसटी के साथ भेदभाव

- हाशिए पर रहने वाले समुदाय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, जनजाति और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- स्व-नियोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की तुलना में 5,000 रुपये कम कमाते हैं।
- गैर-मुसलमानों की आय मुसलमानों की तुलना में 7,000 रुपये अधिक हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव

- भारत में लैंगिक भेदभाव संरचनात्मक है, जिसके परिणामस्वरूप 'सामान्य परिस्थितियों' में पुरुषों और महिलाओं की आय के मध्य व्यापक असमानताएं होती हैं।
- इसका अनुमान 2004-05, 2018-19 और 2019-20 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है।
- आकस्मिक श्रमिकों के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के मध्य आय में व्यापक अंतर है।

भेदभाव के कारण

- देश में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) कम रहने के पीछे भेदभाव एक मुख्य कारक हो सकता है।
- महिलाओं के कम वेतन के लिए सामाजिक और नियोक्ता के पूर्वाग्रह उत्तरदायी हैं।

- शिक्षा प्रणाली और कार्य अनुभव तक पहुंच में कमी।
- अच्छी तरह से योग्य महिलाओं का एक बड़ा वर्ग घरेलू जिम्मेदारियों या सामाजिक स्थिति के कारण कार्यबल में शामिल होना चाहता है।
- घरेलू जिम्मेदारियों या सामाजिक स्थिति के कारण 'अच्छी तरह से योग्य' महिलाओं का एक बड़ा वर्ग श्रम बाजार में शामिल होने का इच्छुक नहीं है।
- महामारी की पहली तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आकस्मिक रोजगार में भारी गिरावट ।

संस्तुतियां

- समान वेतन और काम के अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून को सक्रिय रूप से प्रभावी करें ।
- कार्यबल, कौशल, सुरक्षा, अनुकूलित कार्यक्षेत्र (वर्क फ्रॉम होम सहित) में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत वेतन में वृद्धि, अपस्किलिंग, नौकरी में आरक्षण, काम से सुगम और सुरक्षित वापसी के विकल्प, विशेष रूप से मातृत्व, अवकाश के बाद और जहां भी संभव हो, घर से काम करने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।
- महिलाओं और पुरुषों के बीच घरेलू काम और चाइल्डकेअर कर्तव्यों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।
- न्यूनतम मजदूरी के विपरीत "जीवन निर्वाह वेतन" (Living wages) को प्रभावी करना, विशेष रूप से सभी अनौपचारिक श्रमिकों के लिए और यथासंभव संविदात्मक, अस्थायी और आकस्मिक श्रम को औपचारिक रूप प्रदान करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

ईडब्ल्यूएस कोटा

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप

प्रसंग

- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला, एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरी और प्रवेश में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले की सुनवाई की सहमति व्यक्त की है।
- विदित है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष इस मुद्दे पर विमर्श किया जा रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती अगस्त 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

- भारत के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 'ऑल इंडिया कोटा' (AIQ) व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।
- विदित है कि ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो भाग है, जो राज्य के कॉलेज, केंद्र सरकार को प्रदान करते हैं।
- वर्ष 2007 तक इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15 प्रतिशत अंडर ग्रैजुएट सीटें और 50 प्रतिशत पोस्ट ग्रैजुएट सीटें केंद्र सरकार को सौपेंगी।
- इसमें पहले एससी और एसटी का आरक्षण लागू किया गया। उसके बाद से ही इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर मांग शुरू हुई। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने इस माँग को स्वीकार किया और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी इसमें शामिल कर दिया।
- केंद्र सरकार के अनुसार; ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है।

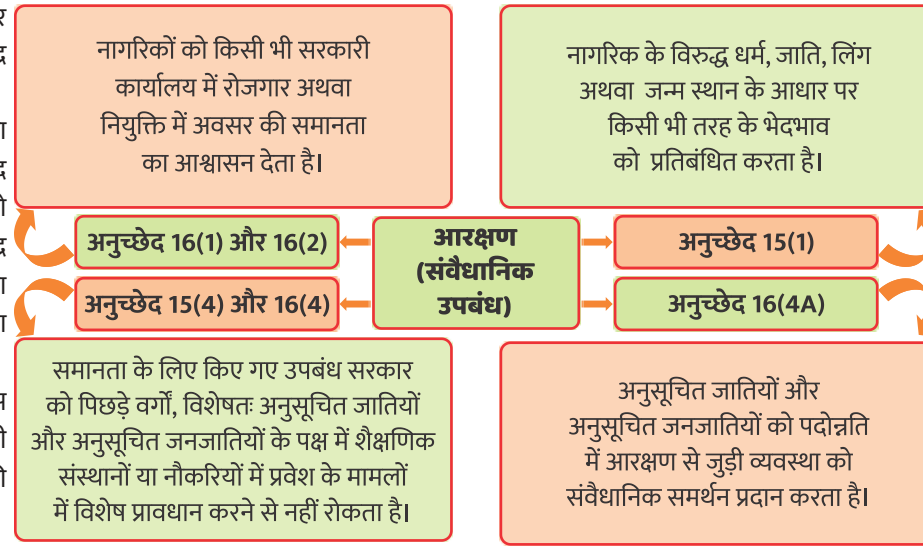

निम्नलिखित तीन प्रमुख मुद्दों के जांच का निर्णय

- क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देने के लिए किया गया यह संविधान संशोधन, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है?
- "क्या एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) / ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) / एससी (अनुसूचित जाति) / एसटी (अनुसूचित जनजाति) को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से अलग रखकर" मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है।
- इस कानून से राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में दाखिले के लिए, जो ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है, क्या वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं?

103वां संविधान संशोधन अधिनियम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक वर्ग के लिए भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने 12 जनवरी, 2019 को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति प्रदान की।
- ज्ञातव्य है कि इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक आरक्षण की शुरुआत की गई। इसने संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को शामिल किया, ताकि अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा सके।
- अनुच्छेद 15(6) प्रावधान करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। ऐसे आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(6) में उल्लिखित है कि सरकार ईडब्ल्यूएस के लिए सभी सरकारी पदों में 10% तक आरक्षण देने का प्रबंध कर सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमश 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है।
- ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए गठित समिति

- ईडब्ल्यूएस आरक्षण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसआर सिंहो की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। मार्च 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित आयोग ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- सिंहो आयोग ने सिफारिश की थी कि समय-समय पर अधिसूचित सामान्य श्रेणी के सभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों और उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से कर योग्य सीमा से कम है, को ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस की परिभाषा का निर्धारण

- रिटायर्ड मेजर जनरल एस आर सिन्हो कि अध्यक्षता में वर्ष 2006 में आर्थिक रूप से पिछड़ों पर एक कमीशन का गठन किया गया था। वर्ष 2010 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करके ईडब्ल्यूएस की वर्तमान परिभाषा का निर्धारण किया गया है।

ईडब्लूएस की पात्रता

- 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जनवरी, 2019 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था।
- ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता के लिए केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें उल्लेखित था कि जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, वो इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

कानून के तहत ईडब्ल्यूएस का दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है?

- 103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 31 जनवरी, 2019 को रोजगार और प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस मानदंड अधिसूचित किए गए थे।
- 2019 की अधिसूचना के तहत एक व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं किया गया था और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम थी, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना था।
- अधिसूचना ने निर्दिष्ट किया कि "आय" का गठन क्या है और कुछ व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर रखा गया है, यदि उनके परिवारों के पास कुछ निर्दिष्ट संपत्तियां हैं।

ईडब्ल्यूएस निर्धारण के मापदंडों पर पुनर्विचार के लिए गठित तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के कट-ऑफ का मानदंड ओबीसी क्रीमी-लेयर की तुलना में बहुत अधिक कठोर है।
- ओबीसी क्रीमीलेयर तय करने के मामले में, वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगरों के व्यवसायों से होने वाली आय को विचार से बाहर रखा गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड में खेती सहित सभी स्रोतों की आय शामिल है। परिणामतः एक ही कट-ऑफ संख्या होने के बावजूद, उनकी संरचना अलग-अलग है, इसलिए दोनों को समान नहीं कहा जा सकता है।

- ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी-लेयर के लिए आय को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण अंतरों का उल्लेख करते हुए पैनल ने कहा कि ओबीसी के बीच 'क्रीमी-लेयर' के तहत योग्य होने के लिए, घरेलू सकल आय लगातार तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी की घरेलू आय पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों - ग्रामीण, शहरी, मेट्रो या राज्यों के लिए अलग-अलग आय सीमाएं होने से जटिलताएं पैदा होंगी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि लोग नौकरियों, अध्ययन, व्यवसाय आदि के लिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से बढ़ रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आय की भिन्न-भिन्न सीमाएं सरकारी अधिकारियों और आवेदकों दोनों के लिए एक दु:स्वप्न के समान होगा।
- वर्ष 2019 से विद्यमान वर्तमान प्रणाली में किसी तरह के परिवर्तन से लाभार्थियों के साथ-साथ अधिकारियों के लिए भी अपेक्षा से अधिक जटिलताएं उत्पन्न होंगी। इस संबंध में समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से नए मानदंड शुरू करने की संस्तुति की है।
- मानदंड को बीच में बदलने से देश भर के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी का परिणाम उन लोगों / व्यक्तियों पर होगा, जिनकी पात्रता अचानक बदल जाएगी। केंद्र सरकार नए मानदंडों को भावी रूप से लागू करने की समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है।

संशोधन को चुनौती देने का आधार

- इस मामले में प्राथमिक तर्क यह है कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। हालांकि बुनियादी ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून असंवैधानिक समझा जाता है।
- वर्तमान मामले में यह तर्क इस दृष्टिकोण से प्रेरित है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीकृत विशेष सुरक्षा बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और 103 वां संशोधन आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने संशोधन को इस आधार पर भी चुनौती दी है कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसने मंडल की रिपोर्ट को बरकरार रखा और आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया।
- अदालत ने माना था कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आर्थिक पिछड़ापन एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

मामले में केंद्र सरकार का पक्ष

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, में उल्लिखित है कि राज्य अपने कर्तव्य के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करें। लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएं।
- अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि वह 8 लाख रुपये की सीमा तक कैसे पहुंच गया। केंद्र ने अदालत से कहा कि वह आय मानदंड पर फिर से विचार करेगा और इस उद्देश्य के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन करेगा।
- सरकार ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में एससी के 2008 के फैसले पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अदालत ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा था।
- सरकार ने कहा कि "संवैधानिक संशोधन को बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

स्त्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान संघर्ष

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत और इसके पड़ोसी, क्षेत्रीय समूह

प्रसंग

- हाल ही में, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य हिंसक सीमा संघर्ष में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हो गए हैं।
- विदित है कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान पूर्व सोवियत संघ के देश हैं। ये वर्तमान में रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) का हिस्सा हैं। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार जारी है।

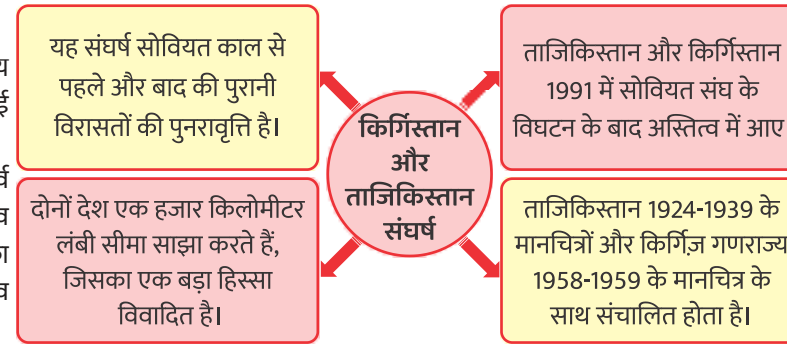

किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का गठन और पृष्ठभूमि

- ज्ञातव्य है कि सोवियत संघ के पतन के बाद किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की स्थापना हुई और 1920 के दशक में जोसेफ स्टालिन के शासन के तहत सीमांकित सीमाओं को बरकरार रखा गया।
- जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दो गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था।
- दोनों देश एक हजार किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विवादित है।
- ऐतिहासिक दृष्टि से किर्गिज़ और ताजिक आबादी को प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त थे।
- वर्तमान संघर्ष सोवियत काल से पहले और बाद की पुरानी विरासतों की पुनरावृत्ति है।

ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान विवाद

- ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए।
- दोनों देश शुरू में मित्रवत रहे, लेकिन बाद में सीमा को लेकर तनाव शुरू हो गया।
- दोनों देशों के बीच लगभग आधी 970 किलोमीटर (600 मील) की सीमा का सीमांकन किया जाना शेष है।
- ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां कोई स्थायी सीमांकन नहीं है।
- इन क्षेत्रों पर दोनों देश दावा करते हैं, जिसके कारण पहले भी कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं।
- 2021 में दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व संघर्ष हुआ, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

दोनों देशों के मध्य विवाद के कारण

- दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का मुख्य कारण यह है कि दोनों गणराज्य दो अलग-अलग भू-राजनीतिक मानचित्रों का उपयोग कर रहे हैं।
- ताजिकिस्तान 1924-1939 के मानचित्रों और किर्गिज़ गणराज्य 1958-1959 के मानचित्र के साथ संचालित होता है।
- यह क्षेत्र फ़रगना निवासियों की जातीय संरचना और संस्कृति को ध्यान में रखे बिना उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच विभाजित है।
- सोवियत संघ के गठन के साथ, पशुधन जो घरेलू आय का मुख्य स्रोत थे, सामूहिक खेतों और राज्य के खेतों में पुनर्वितरित किए गए थे।
- चूंकि ताजिक पशुधन के पास सीमित क्षेत्र हैं। ताजिक किर्गिज़ क्षेत्र में स्थित चरागाह संसाधनों पर निर्भर था।
- सोवियत संघ के पतन के साथ, सामूहिक और राज्य के खेतों को विघटित कर दिया गया और चारागाह प्रबंधन समझौते अमान्य हो गए।
- सोवियत काल के जल और भूमि समझौतों के विघटन से कई छोटे स्वतंत्र खेतों का निर्माण हुआ।

- किसानों के बीच जल संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई, जिससे सीमावर्ती समुदायों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है।
- जनसंख्या वृद्धि और खराब बुनियादी ढांचा सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के आस-पास संघर्ष के अन्य कारणों में से हैं।
- दोनों देशों घनिष्ठ रूप से जुड़े ऐतिहासिक अतीत को साझा करते हैं। साथ ही, राज्य बनने के बाद से उनकी आंतरिक गतिशीलता अलग-अलग रही है।
- अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों और आंतरिक जातीय संघर्ष दोनों देशों के मध्य अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक हैं।
- मध्य एशिया की जातीय और धार्मिक विविधता ने सोवियत शासन के तहत भी भूमि सीमाओं को एक भयावह सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा बना दिया।
- ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच ऐसी जटिल सीमा है, जहां जातीय समूह के लोग अक्सर उस क्षेत्र के बस्तियों में रहते थे, जहां एक अन्य प्रमुख समुदाय ने अपना दावा किया था।

वर्तमान विवाद

- वर्तमान विवाद में स्थानीय समुदायों द्वारा लगातार गोलाबारी, हिंसक टकराव और दोनों ओर सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी गई।
- वर्तमान में फरगना घाटी संघर्ष और लगातार हिंसक विस्फोटों का स्थल बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से ताजिक, किर्गिज़ और उज्बेक शामिल हैं।
- किर्गिस्तान के बैटकेन क्षेत्र में लोग स्थानांतरित हो रहे हैं।
- किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य हिंसक सीमा संघर्ष में लगभग 100 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं।
- अतीत में भी जल और भूमि संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद कि स्थिति उत्पन्न हुई है।
- रूस द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की।
- हाल ही में रूस की मध्यस्थता में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी।
- दोनों देश एक हजार किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विवादित है।
- हालांकि नियमित बातचीत से इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाती रही है।
- किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों रूसी सैन्य ठिकाने हैं।
- दोनों पक्षों द्वारा विवादित क्षेत्रों में वृक्षारोपण और कृषि उपकरणों के हथियार के रूप में उपकरण के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।
- किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान 971 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जिनमें से लगभग 471 किलोमीटर विवादित है।

विगत संघर्षों के विषय में

- 21वीं सदी में किर्गिज़ और ताजिक सीमावर्ती समुदायों के बीच संसाधनों के उपयोग को लेकर संघर्ष की पृष्ठभूमि रही है।
- खुबानी युद्ध (2004) के अंतर्गत ताजिक किसानों द्वारा विवादित क्षेत्र पर कई खूबानी के पेड़ लगाए गए थे, जहां किर्गिज़ निवासियों ने विवाद किया और उन सभी पेड़ों को हटा दिया।
- केटमेन युद्ध (2014) में सीमावर्ती समुदायों ने बगीचे के औजारों, पत्थरों और जले हुए पशु आश्रयों का उपयोग करके लड़ाई लड़ी।
- 2014 में हुए एक संघर्ष में कई युवा लोगों सहित लगभग 1000 स्थानीय नागरिक शामिल थे।

भारत-ताजिकिस्तान संबंध

- भारत और ताजिकिस्तान के बीच संबंध परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरों के आदान-प्रदान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं।
- विदित है कि भारत और ताजिकिस्तान के संबंध का इतिहास रेशम मार्ग युग से ही बना हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, दोनों देशो द्वारा द्विपक्षीय संबंधो को तेज़ करने के लिए नियमित रूप से उच्च स्तरीय राजनयिक यात्राओं का आयोजन किया जाता रहा है।
- सितंबर 2012 में राष्ट्रपति रहमोन की भारत यात्रा के दौरान भारत और ताजिकिस्तान राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव सहित "निजी भागीदारी" के स्तर पर लाए गए संबंध संसाधन विकास, रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन व्यापक क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं।
- ताजिकिस्तान की भोगौलिक सीमा उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, दक्षिण में अफ़ग़ानिस्तान और पूर्व में चीन की सीमा से मिलती है।
- ताजिकिस्तान की पहचान उसकी पनबिजली ऊर्जा क्षमता से भी जानी जाती है।
- ताजिकस्तान के पास क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राकृतिक जल संसाधन है।
- यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक देश है, जो मध्य एशिया के सभी जल संसाधन का 60% है। ताजिकिस्तान में कीमती पत्थर, एल्यूमीनियम, सोने और चांदी, पारा, भूरा कोयला, सीसा, कार्बोनेट, फ्लोराइट जस्ता, सुरमा और टंगस्टन आदि के बड़े भंडार हैं।
- ये संसाधन ताजिकिस्तान को एक महत्वपूर्ण देश बनाते है, जो भारत को व्यापार के कई अवसर प्रदान कर सकते हैं।
- दोनों देशो के राजनयिक संबंधो को संस्थागत रूप 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी द्वारा ताजिकिस्तान की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान दिया गया, उस दौरान दोनों देशो के बीच संयुक्त रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने, रक्षा सहयोग का विस्तार करने और राजमार्ग के निर्माण सहित क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य दल और एक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) पर हस्ताक्षर किए गए।

- ताजिकिस्तान भारत के निकटतम मध्य एशियाई देशो में से एक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद ताजिकिस्तान में 1992- 1997 तक गृह युद्ध हुआ और देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।
- गृहयुद्ध के बाद, भारत ने ताजिकिस्तान के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, पनबिजली, तकनीकी जनशक्ति आदि के विकास में योगदान दिया।
- मेडिकल टूरिज्म द्विपक्षीय सहयोग का एक अन्य विकल्प है जो दोनों देशो के बीच की कम दूरी होने के कारण बढा है।
- 15 ताजिकिस्तान और मध्य एशिया से सामान्य रूप से भारत में चिकित्सा पर्यटन से सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता के उपचार की वजह से वृद्धि हो रही है।
- भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध बढानें के लिए 2016 में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रहमान ने भारत यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह और अन्तराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे (INSTC) में भारत का समर्थन किया।
- 2010 में अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान पारगमन व्यापार समझौता- APTTA) किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशो के बीच वस्तुओ के आदान- प्रदान को अधिक से अधिक सुविधाजानक बनाना है।
- एपीटीटीए समझौते के ज़रिये दोनों देश एक दूसरे के हवाई अड्डों, रेलवे, सड़कों, और निर्दिष्ट पारगमन गलियारों के साथ पारगमन व्यापार के लिए बंदरगाहों का उपयोग कर सकते है।
- भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, ताजिकिस्तान मध्य एशियाई राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योकि यह अफ़ग़ानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के निकट स्थित है। आंतकवाद तथा ड्रग्स तस्करी, इस्लामिक उग्रवाद और साइबर क्राइम जैसी बढ़ती समस्या दोनों देशो के समक्ष चुनौती बनती जा रही है।
- दोनों देशो ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान विरोधी ताकतों, उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था। भारत द्वारा ताजिकिस्तान में ऐनी में हवाई पट्टी के नवीकरण करने के लिए लगभग 70 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करके रनवे को 3200 मीटर तक बढाया गया है।

निष्कर्ष

- संघर्ष के समाधान के मार्ग के लिए युद्धरत समूहों को एक सामान्य मानचित्र पर सहमत होने की आवश्यकता है।
- पानी और चारागाह संसाधनों तक पहुंच और उपयोग के लिए संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विवाद को सुलझाने के प्रयास करने होंगे।
- भू-राजनीतिक गतिशीलता को स्थिर करने के लिए एक ठोस प्रयास के माध्यम से अनौपचारिक लघु-स्तरीय शासन तंत्र को मजबूत करना होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू

धर्मशाला घोषणा 2022

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** स्वास्थ्य, भारत और विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समूह

प्रसंग

- पर्यटन मंत्रालय के निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना और टिकाऊ पर्यटन का विकास के साथ देश में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के दृष्टिगत 18-20 सितंबर तक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 'धर्मशाला घोषणा 2022' जारी की गई।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र ने राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया, जिसमें
  - 2024 तक महामारी पूर्व स्तर पर पर्यटन की बहाली,
  - 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में $250 बिलियन का योगदान
  - भारत 2047 तक पर्यटन क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

धर्मशाला घोषणा

- इसमें 2047 तक $ 1 ट्रिलियन का दीर्घकालिक राजस्व लक्ष्य शामिल है।

पर्यटन क्लब

- केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने राज्यों से पर्यटन क्लबों की स्थापना करके "युद्धस्तर" पर काम शुरू करने का आह्वान किया।
- जिला व मंडल स्तर पर युवा पर्यटन क्लब बनाने पर काम करने का प्रस्ताव है।
- पीएम गति शक्ति पहल के उपयोग के अलावा, निजी पक्ष भी विशेष मामलों में शामिल हो सकते हैं।

धर्मशाला घोषणा

- 2047 तक $1 ट्रिलियन का दीर्घकालिक राजस्व लक्ष्य
- 2024 तक महामारी पूर्व स्तर पर पर्यटन की बहाली
- भारत में, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है
- 2021 यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (TTCI) में भारत की रैंकिंग 54 है।

राज्य-विशिष्ट योजनाएं

जम्मू और कश्मीर

- जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष अगस्त तक 11,000 विदेशियों सहित 1.42 करोड़ पर्यटक का आगमन हुआ।
- अब मुख्य ध्यान श्रीनगर और गुलमर्ग से इतर गंतव्यों को प्रोत्साहन देने पर है (75 ऑफ-बीट साइटों को पहले ही चुना जा चुका है)।
- घाटी को एक आदर्श फिल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की भी योजना बनाई जा रही है ।
- उन फिल्मों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है, जो यूटी में 50 प्रतिशत से अधिक की शूटिंग की जाती है।

पश्चिम बंगाल

- राज्य चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के अलावा सांस्कृतिक पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में स्थान मिलने के साथ, राज्य पूजा जुलूसों के लिए विदेशी यात्रियों को आकर्षित कर रहा है।
- विदित है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति ने 16वें सत्र में, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को शामिल करने का निर्णय लिया।
- यूनेस्को का 16वां सत्र 13 दिसंबर, 2021 से शुरू हुआ और इसका समापन 18 दिसंबर, 2021 को हुआ।
- दुर्गा पूजा धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट मेला है। यह त्योहार मुख्य रूप से बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
- इसके अंतर्गत अमूर्त विरासत में लोक कथाओं, रीति-रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों, ज्ञान और भाषा जैसी गैर-भौतिक बौद्धिक संपदा शामिल है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को 2003 में इसकी रक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु ने राज्य को चिकित्सा पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में स्थापित किया।
- भारत में आने वाले सभी चिकित्सा पर्यटकों का 40 प्रतिशत राज्य में आता है।
- चेन्नई, वेल्लोर और कोयंबटूर में मध्य पूर्व, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के देशों से ऐसे आगंतुकों की संख्या सबसे अधिक है।

महामारी से पहले के स्तर पर रिकवरी

- अधिकांश राज्यों में पर्यटन 2024 के मध्य तक पूर्व-महामारी स्तर तक ठीक हो जाएगा , विशेष रूप से एक बार जब विदेशी यात्रियों का आगमन शुरू हो जाता है, तो जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और गोवा में संख्या पहले से ही बढ़ जाती है ।

विदेशी पर्यटक

- विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में, खाड़ी देश, यूके, यूएस और जर्मनी शीर्ष स्रोत बाजार बने हुए हैं। विदित है कि संख्या में कमी आई है किन्तु रुझान में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- केंद्र ने घोषणा की कि कई वीजा सुधार किए जाएंगे। साथ ही, आव्रजन को भी अधिक आगंतुक-अनुकूल बनाया जाएगा।

भारत में पर्यटन क्षेत्र

- पर्यटन क्षेत्र भारत और विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- पर्यटन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न स्तंभ है ।
- भारत में, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, यह 2018-19 में लगभग 12.75% (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित) रोजगार हिस्सेदारी को नियोजित करता है ।
- पर्यटन बहु-उपयोगी बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करता है ।

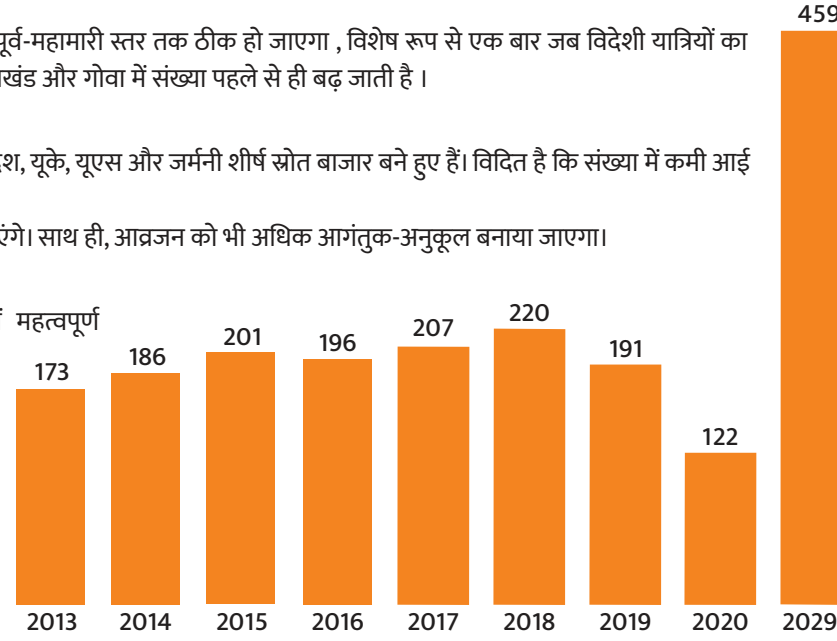

वास्तविक 2019 कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का कुल योगदान

(अरब अमेरिकी डॉलर)

- इसके अंतर्गत होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां, परिवहन बुनियादी ढांचा (विमानन, सड़क, शिपिंग और रेलवे) और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि आते हैं।

पर्यटन क्षेत्र हेतु भारत में अवसर

- द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के अनुसार, पर्यटन 2019 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% था और यह 39.80 मिलियन नौकरियों का अवसर पैदा किया, जो कि कुल रोजगार का 8% है।
- 2014 में, पर्यटन और आतिथ्य ने भारत में कुल 36.7 मिलियन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित नौकरियों को बनाए रखा, जो बैंकिंग, मोटर वाहन निर्माण, रसायन निर्माण, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और खनन क्षेत्रों में सृजित नौकरियों से अधिक है।
- भारत में गत तीन वर्षों में आवक चिकित्सा पर्यटकों की कुल संख्या दोगुनी हो गई है।
- भारत में 200 से अधिक समुद्र तट, 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 668 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण पर्यटन गतिविधियों को आकर्षित कर सकते हैं।
- 2021 यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (TTCI) में भारत की रैंकिंग 54 है।
- TTCI विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
- वर्ष 2028 तक, पर्यटन और आतिथ्य का 2018 में अर्जित $28.9 बिलियन की तुलना में आगंतुक निर्यात के रूप में $ 50.9 बिलियन अर्जित करने का अनुमान है।
- 2018 में 43 मिलियन नौकरियों (कुल रोजगार का 8.1%) की तुलना में 2029 तक यात्रा और पर्यटन लगभग 53 मिलियन नौकरियों के लिए अवसर पैदा करेगा।
- वर्ष 2030 तक भारत के शीर्ष 5 व्यापार यात्रा बाजारों में शामिल होने की संभावना है ।
- इसके अलावा, मेडिकल टूरिज्म, इको-टूरिज्म, रत्न और आभूषण बाजार, धार्मिक पर्यटन और ऐसे अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है।

पर्यटन उद्योग हेतु चुनौतियाँ

- स्थिर पर्यटन हेतु एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्थिर और निर्बाध कनेक्टिविटी और अन्य मानव संसाधन अनिवार्य रूप से शामिल हैं।
- भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर बड़ी मात्रा में कुशल मानव बल की आवश्यकता है।
- गत वर्षों में, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए जनशक्ति में भारी वृद्धि हुई है। इसने धीरे-धीरे पर्यटन क्षेत्र के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों में कमी को प्रेरित किया।
- एयरलाइन सुविधाओं, होटलों और टूर ऑपरेटरों सहित पूरे उद्योग पर उच्च कर अत्यधिक महंगे हैं।
- महिलाओं के यौन शोषण, चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, खाद्य विषाक्तता, आतंकवाद और सार्वजनिक हिंसा की बढ़ती दर भारतीय पर्यटन को काफी सीमा तक प्रभावित कर रही है।
- भारत में B2B यात्रा उद्योग एक अत्यधिक अव्यवस्थित बाजार है, जो विकल्पों की समरूप श्रेणी और अत्यधिक अनुकूलित सेवाएं प्रदान करता है।
- उचित बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण और अनुसंधान डेटा की कमी इस क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती है।
- एकीकृत पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम के अभाव ने पर्यटन के विकास में बाधा उत्पन्न की है।
- कई राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की पर्यटन के प्रति उदासीनता, जिसे अभी तक उनके द्वारा उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, इसके विकास को सीमित करने वाला एक अन्य कारक है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल

स्वदेश दर्शन योजना

- पर्यटन मंत्रालय (MoT) द्वारा लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका उद्देश्य 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना है।

तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना

- इसे 2015 में लॉन्च किया गया
- यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में तीर्थ स्थलों की पहचान और विकास पर ध्यान देने की मंशा से शुरू किया गया।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत'

- वर्ष 2015 में सरदार पटेल की 140 वीं जयंती के अवसर पर घोषित किया गया ।
- इसका उद्देश्य राज्यों के बीच संबंध को बढ़ाना देना और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना है।
- यह राज्यों की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

देखो अपना देश इनिशिएटीव

- यह लोगों को हितधारकों से जोड़े रखने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार, प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं आदि का आयोजन करता है।

गंतव्य उत्तर-पूर्व-2020

- यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का एक वार्षिक कार्यक्रम है ।
- यह आयोजन उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पर्यावरण-पर्यटन, संस्कृति, विरासत और व्यवसाय जैसी विभिन्न संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

गति शक्ति मास्टर प्लान

- यह 'समग्र बुनियादी ढांचे' के विकास के लिए एक परियोजना है ।
- इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाहों, उड़ान आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
- टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री ज़ोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी में सुधार लाने और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कवर किया जाएगा।

निष्कर्ष

- पर्यटन क्षेत्र के 2028 तक 6.9% की वार्षिक दर से $460 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 9.9% है।
- भारत सरकार 2025 तक दुनिया के अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सही दिशा में प्रयास कर रही है।
- फलतः देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने और "सभी के लिए पर्यटन" के सिद्धांत को सुदृढ़ करने का समय है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे

प्रसंग

- हाल ही में, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने विलंबता को कम करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने की मंशा से IBBI (परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम 2022 (संशोधन परिसमापन विनियम) और IBBI (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम 2022 (संशोधन स्वैच्छिक परिसमापन विनियम) को अधिसूचित किया है।
- विदित है कि इन्हें 16 सितंबर को अधिसूचित किया गया था।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड

- आईबीबीआई देश में दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही के लिए नियामक प्राधिकरण है।
- आईबीबीआई, आईबीसी के तहत् कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, व्यक्तिगत दिवाला, कॉरपोरेट परिसमापन और व्यक्तिगत दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले नियम निर्मित और क्रियान्वित करता है।
- आईबीबीआई, आईबीसी के कार्यान्वयन में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में सभी हितधारकों के लिए समयबद्ध तरीके से कॉरपोरेट्स, व्यक्तियों और साझेदारियों की दिवाला और पुनर्गठन समाधान प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है।

संशोधन के विभिन्न बिंदु

संपत्ति का विक्रय

- आईबीबीआई ने दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही किसी इकाई की एक या अधिक संपत्तियों के विक्रय की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है।

तथ्य / डेटा

- इस वर्ष जून के अंत तक कम से कम 1,703 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (CIRPs) परिसमापन में समाप्त हो गईं।
- इन प्रक्रियाओं को निष्कर्ष निकालने में औसतन 428 दिन लगे।

लेनदारों की समिति (सीओसी)

- वर्तमान अधिसूचना के अनुसार, लेनदारों की समिति जांच कर सकती है कि परिसमापन अवधि के दौरान कॉर्पोरेट देनदार के लिए समझौता या व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है अथवा नहीं।

कॉर्पोरेट देनदार

- इस समाधान योजना में कॉर्पोरेट देनदार की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री के साथ एक या अधिक सफल समाधान आवेदकों को शामिल करना शामिल है, जो ऐसी संपत्तियों के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करते हैं और शेष संपत्तियों का उचित समाधान प्रदान करते हैं।

- यह संभावित समाधान आवेदकों के व्यापक और लक्षित दर्शकों के लिए सूचना के व्यापक प्रसार में सहायता करेगा।

समय सीमा

- संशोधन भी बाजार में परिसंपत्ति के लिए एक लम्बे समय का निर्धारण करता है।

हाल के संशोधनों का महत्व

- यह दबावग्रस्त कंपनियों के लिए बेहतर बाजार से जुड़े समाधान प्रदान करेगा।
- यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि दिवालिया कंपनी और उसकी संपत्ति के विषय में बेहतर गुणवत्ता की जानकारी संभावित समाधान आवेदकों सहित बाजार के लिए यथासमय उपलब्ध हो।
- एक समाधान पेशेवर को संबंधित कंपनी के ज्ञात लेनदारों से सक्रिय रूप से दावों की खोज करनी होगी। यह एक ऐसा कदम है, जो ऋण के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
- लेन-देन से बचने के लिए दायर किसी भी आवेदन का विवरण समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले समाधान आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा और आवेदकों द्वारा उनकी योजनाओं में संबोधित किया जा सकता है।
- सूचना ज्ञापन में ऐसे सामग्री के विषय में जानकारी होना आवश्यक है, जो एक चालू संस्था के रूप में न केवल इसकी संपत्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा, अपितु इसकी स्थिति का आकलन करने में सहायक सिद्ध होगा। फलतः इससे बाजार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित किया जा सके।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की पृष्ठभूमि

- देश में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने, कर्जदाताओं और कर्ज लेने वालों के हित मे कुछ निश्चित अनुपालन शर्तों का सुव्यवस्थित निर्धारण करने और समग्र दृष्टि से बड़े आर्थिक सुधार के रूप में भारत में व्यापार को पूर्व की अपेक्षा अधिक सरल व सुगम बनाने के उद्देश्य से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) को लागू किया गया।
- विदित है कि यह देश में विद्यमान कारपोरेट संकट के निदान और वित्तीय क्षेत्र में खराब ऋणों के संचय के लिए प्रमुख कार्यान्वयन तंत्र के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है।

क्या है दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

- असफल व्यवसायों की समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के उद्देश्य से आईबीसी को वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था।
- ध्यातव्य है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसिडेंसी टाउन इनसॉल्वेन्सी एक्ट और प्रोवेंशियल इनसॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को निरस्त कर निर्मित किया गया है।
- यह कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और सेक्यूटाईजेशन एक्ट सहित कई कानूनों को संशोधित करता है।
- यह ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदार फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए अधिनियमित किया गया था।
- विदित है कि इसे भारत के आर्थिक इतिहास में हुए सबसे बड़े दिवाला सुधारों में एक माना जाता है।

दिवाला (Insolvancy) से आशय

- दिवाला को एक वित्तीय स्थिति के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अथवा एक औद्योगिक इकाई स्वयं की निर्धारित देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रह जाता हैं।
- यह एक अनैच्छिक स्थिति है।
- दिवाला की स्थिति को विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसी प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाए एवं उस व्यक्ति अथवा औद्योगिक इकाई को औपचारिक रूप से दिवाला घोषित कर दिया जाये, तब उत्पन्न स्थिति को दिवालिया (Bankruptcy) रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इस तरह दिवालिया एक ऐच्छिक दशा है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि एक दिवालियापन (Bankruptcy) की दशा हमेशा दिवाला (Insolvency) की दशा होगी, किन्तु दिवाला की प्रत्येक दशा अनिवार्य रूप से दिवालियापन को जन्म नहीं देगा।
- इसके अंतर्गत व्यक्ति अथवा औद्योगिक इकाई के दिवालिया घोषित होने पर ऋण निस्तारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रविधान है। जिसके माध्यम से व्यक्ति अथवा औद्योगिक इकाई की संपत्ति को नीलाम कर देयताओं को पूर्ण किये जाने की व्यवस्था की गई है।

आईबीसी के उद्देश्य

- भारत में विद्यमान सभी दिवाला कानूनों को समेकित, संशोधित और व्यवस्थित करना।
- दिवाला और दिवालियापन प्रक्रियाओं को सरल और द्रुत गति प्रदान करना।
- एक कंपनी में हितधारकों सहित लेनदारों के हितों की रक्षा करना।
- कंपनी को समयबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करना।
- उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- लेनदारों को आवश्यक राहत प्राप्त करने के लिए और फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में वृद्धि करना।
- बैंकों, वित्तीय संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक नई और समय पर वसूली प्रक्रिया तैयार करना।

- भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करना।
- कॉर्पोरेट व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य का अधिकतमकरण।

आईबीसी संहिता किन उद्देश्यों की परिपूर्ति में सहायक

- वर्ष 2016 की आईबीसी संहिता दिवाला समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान (180 दिन के भीतर) करती है।
- एक निर्बाध समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संहिता इस अवधि के दौरान लेनदारों के समाधान दावों से देनदारों को उन्मुक्ति प्रदान करती है।
- यह विद्यमान विधायी ढाँचे के प्रवधानों को समेकित कर सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों के लिए दिवाला समाधान के लिए साझा मंच उपलब्ध कराने में सहायक की भूमिका में है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन न्यायमूर्ति एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जो भारत में कंपनियों के दिवाला और समापन प्रक्रिया से सम्बन्धित थी।
- प्रत्येक बेंच का नेतृत्व एक अध्यक्ष, 16 न्यायिक सदस्य और 9 तकनीकी सदस्य करते हैं।
- विदित है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) एक ट्रिब्यूनल है, जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत सरकार द्वारा किया गया था। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेशों की अपील सुनने के लिए जवाबदेह है।
- एनसीएलटी द्वारा लिए गए निर्णयों को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है। एनसीएलएटी के फैसलों के खिलाफ कानून के एक बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

एनसीएलटी के कार्य

- कंपनी अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही जैसे मध्यस्थता, व्यवस्था, समझौता, पुनर्निर्माण और कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है।
- एनसीएलटी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवाला कार्यवाही के लिए निर्णायक प्राधिकरण भी है।
- उपर्युक्त विषयों में किसी भी दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
- एनसीएलटी के पास औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के साथ-साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत लंबित मामलों को निपटाने का अधिकार है।
- साथ ही उन मामलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित रखना।
- यह किसी कंपनी के उत्पीड़न और कुप्रबंधन से सम्बन्धित मामलों को भी ले सकता है।

ऋण वसूली प्राधिकरण

- ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के साथ शामिल ऋण वसूली की सुविधा के लिए की गई थी। डीआरटी की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम (आरडीबीबीएफ) के पारित होने के बाद की गई थी।
- आरडीडीबीएफआई अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को डीआरटी स्थापित करने का अधिकार देती है। डीआरटी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) के समक्ष होती है।

ऋण वसूली प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) बैंकों और वित्तीय संस्थानों (आरडीबीएफआई) अधिनियम, 1993 के कारण ऋण की वसूली के प्रावधानों को लागू करता है और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 को भी लागू करता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) व्यापक आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं और पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता से परे यात्रा कर सकता हैं। एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) क्रॉस सूट, काउंटर दावों की सुनवाई कर सकता है और सेट ऑफ की अनुमति दे सकता है।
- हालाँकि, एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) ऋणदाताओं की ओर से क्षति या सेवाओं की कमी या अनुबंध के उल्लंघन या आपराधिक लापरवाही के दावों की सुनवाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) अपने डोमेन या उसके समक्ष लंबित सूची से परे एक राय व्यक्त नहीं कर सकता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने और न्यायाधिकरण के वसूली अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की शक्तियों के अतिरिक्त रिसीवर, आयुक्त, एक-पक्षीय आदेश, विज्ञापन अंतरिम आदेश, अंतरिम आदेश पारित कर सकता है|

आईबीसी के समक्ष चुनौतियां

परिचालन एनसीएलटी बेंचों की कमी

- जुलाई 2019 में, दिल्ली, जयपुर, कोच्चि, चंडीगढ़ और अमरावती सहित विभिन्न स्थानों पर एनसीएलटी के 25 अतिरिक्त सिंगल और डिवीजन बेंच स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से अधिकांश गैर-संचालन या आंशिक रूप से उचित बुनियादी ढांचे या पर्याप्त सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण परिचालन में है।

समाधान योजनाओं की कम अनुमोदन दर

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 1 दिसंबर, 2016 से 30 सितंबर, 2019 के मध्य दायर 2,542 कॉर्पोरेट दिवाला मामलों में से लगभग 156 समाधान योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हो गए|
- बड़ी संख्या में परिसमापन बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि यह दिवालियापन के समाधान के आईबीसी के प्रमुख उद्देश्य का उल्लंघन करता है।

प्रक्रियागत विलंबता

- भारत में धीमी न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र समाधान की दिशा को धीमा करती है| साथ ही एसआईसीए अथवा आरबीबीडी के तहत धीमी गति से वसूली भी प्रक्रियागत विलंबता के प्रमुख कारणों में से एक है।

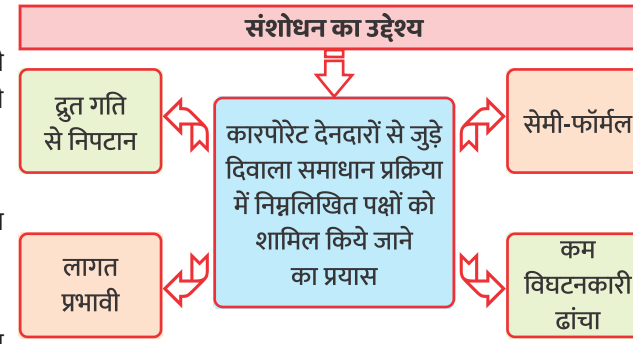

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

- यह विधेयक 4 अप्रैल, 2021 को जारी दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को प्रतिस्थापित करेगा|

निष्कर्ष

- समय-समय पर संशोधन के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता को व्यवस्थित कर इसमें विद्यमान विभिन्न कमियों को दूर किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। वर्ष 2021 का दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 इसी बात का प्रमाण है।
- इसके अंतर्गत एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए एक प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया पेश की गई है, जो कॉर्पोरेट देनदार को रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को "बेस रिज़ॉल्यूशन प्लान" प्रस्तुत करने संग विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- आईबीसी ने भारतीय दिवाला कानून परिदृश्य में काफी सीमा तक सुधार किया है।
- प्रमुख हितधारकों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना महत्वपूर्ण है कि आईबीसी की शक्ति कम न हो।
- लक्ष्य के तहत खोजे गए रिक्तियों को भरना और समय के साथ एक अधिक जटिल कानूनी प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए।
- सरकार को दिवाला पेशेवरों को कुशल बनाने, न्यायाधिकरण के बुनियादी ढांचे में सुधार और दिवाला समाधान प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए उचित बजटीय आवंटन की आवश्यकता है ।
- अन्य परिपक्व वैश्विक न्यायालयों के मानकों को पूरा करने के लिए भारतीय दिवाला शासन के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड

यूएनएससी सुधार, भारत और जी4

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, उनकी संरचना और जनादेश

प्रसंग

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दौरान, रूसी वित्त मंत्री ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु अपना समर्थन व्यक्त किया।
- ज्ञातव्य है कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधार से संबंधित मुद्दों पर विमर्श करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर द ग्रुप ऑफ फोर (जी4) राष्ट्रों के अन्य सदस्य देश जर्मनी, ब्राजील और जापान के अपने समकक्षों से भेंटवार्ता की ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र, यूएनएससी सुधार और भारत का वक्तव्य

- भारतीय विदेश मंत्री ने अपन उदबोधन में उल्लेख किया कि सुरक्षा परिषद में सुधार 'समय की मांग' है, क्योंकि ये पुरानी पड़ चुकी है और प्रभावहीन हो गई है।

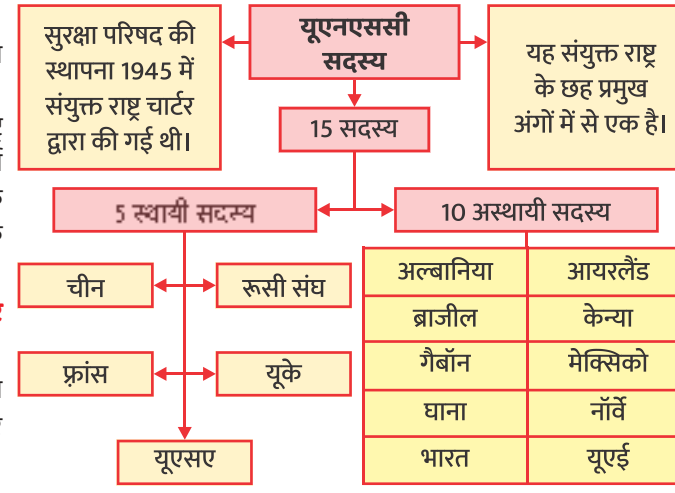

- सुरक्षा परिषद में समय के साथ सुधार नहीं किये जाने से यह गहन रूप से पक्षपाती हो गई है और सम्पूर्ण महाद्वीपों और क्षेत्रों की आवाज़ को एक ऐसे मंच पर शामिल करने से रोकती है, जहाँ उनके भविष्य से संबंधित गंभीर विषयों पर विमर्श किया जाता है।
- भारतीय विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर गम्भीर चर्चा किये जाने और निर्णायक समाधान का आहवान किया। साथ ही, गम्भीरतापूर्वक और ईमानदारी से इस दिशा में सुधार हेतु प्रयास किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सुधार को प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए।
- ये दौर युद्ध या संघर्ष का नहीं, अपितु इसके विपरीत ये समय विकास और सहयोग का है।
- ज्ञातव्य है कि अब तक, भारत सहित 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र को समकालीन विश्व वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने के लिए यूएनएससी में तत्काल और व्यापक सुधारों का आह्वान किया है।

यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन

- ध्यातव्य है कि हाल ही में, सरकार ने लोकसभा में सूचित किया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से चार ने द्विपक्षीय रूप से स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के समर्थन की आधिकारिक पुष्टि की है।
- ज्ञातव्य है कि यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। चीन को छोड़कर, अन्य सभी देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
- यूएनएससी की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है।
- इसके अतिरिक्त यूएनएससी एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जिसके पास सदस्य देशों को बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।

जी-4 समूह

- जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने जी-4 (G4) समूह बनाया है।
- विदित है कि ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिये पारस्परिक रूप से समर्थन प्रदान करते हैं।

कॉफ़ी क्लब

- कॉफ़ी क्लब, राष्ट्रों का एक समूह है, जो G4 जैसे देशों द्वारा स्थायी सीटों के लिए की जा रही मांग का विरोध करते हैं।
- कॉफी क्लब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संभावित विस्तार के विरोध में 1990 के दशक में विकसित हुआ था।
- यह सुरक्षा परिषद के रूप और आकार पर किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आम सहमति की मांग कर रहा है।

यूएनएससी सदस्य और चयन प्रक्रिया

- जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं।
- परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
- पांच स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- गैर-स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा दो वर्ष के लिए चयनित किया जाता है।
- यूएनएससी के पांच सदस्यों को प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाता है।
- सदस्यों को दुनिया के सभी क्षेत्रों से चुना जाता है। तीन सदस्य अफ्रीका से हैं, जबकि एशिया, पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में दो-दो सदस्य हैं।
- तीन सदस्य अफ्रीकी समूह से हैं, 2 सदस्य एशिया-प्रशांत समूह से हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह से हैं, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप समूह से और 1 पूर्वी यूरोप समूह से हैं।

संयुक्त राष्ट्र परिषद का प्रथम सत्र

- संयुक्त राष्ट्र परिषद का पहला सत्र 17 जनवरी 1947 को लंदन में आयोजित किया गया था।
- पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि यदि इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव को वीटो करता है तो उसे पारित नहीं किया जा सकता है। भले ही उसके पास आवश्यक 9 वोट हों।

यूएनएससी की गैर-स्थायी सदस्यता और भारत

- जून 2020 में, भारत को एक अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी के लिए चयनित किया गया था।
- भारत को यूएनजीए में 193 वोटों में से 184 वोट प्राप्त हुए।
- यह सदस्यता 2021-22 के लिए है।
- वर्ष 2021-22 के लिए एशिया-प्रशांत श्रेणी से भारत एकमात्र उम्मीदवार था।
- यह यूएनएससी में भारत का आठवां कार्यकाल है।
- विदित है कि इससे पूर्व भारत वर्ष 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-12 में इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है।
- इस अस्थायी सदस्यता के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लिए जिम्मेदार और समावेशी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत का दृष्टिकोण

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का दृष्टिकोण 5S द्वारा निर्देशित है: संवाद, सम्मान, शांति, समृद्धि, सहयोग

भारत की यूएनएससी में गैर-स्थायी सदस्यता और अवसर

- भारत एक नए प्रतिमान को आकार देने के लिए महिलाओं और युवाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान करता है।
- भारत विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव और समावेशी समाधान लाने के लिए भागीदारों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करेगा।
- तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों की दृढ़ता और नई और जटिल चुनौतियों का उदय, सभी स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के लिए एक सुसंगत, व्यावहारिक और प्रभावी मंच की मांग करते हैं।
- भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का प्रभावी ढंग से जवाब देगा और इस खतरे से इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का सामना करेगा।
- भारत निम्नलिखित उद्देश्य से परिषद द्वारा ठोस और परिणामोन्मुखी कार्रवाई करेगा:
  - आतंकवादियों द्वारा आईसीटी के दुरुपयोग को संबोधित करना
  - प्रायोजकों और अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक संस्थाओं के साथ उनकी सांठगांठ को बाधित करना
  - आतंकी वित्त के प्रवाह को रोकना
  - अन्य बहुपक्षीय मंचों के साथ अधिक समन्वय के लिए नियामक और परिचालन ढांचे को मजबूत करना

बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार

- सुधारित बहुपक्षवाद कोविड 19 के बाद के समय के लिए अति आवश्यक है।
- बहुपक्षीय संस्थानों में अधिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- परिणाम देने या नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों की अपर्याप्तता पर व्यापक चिंता।
- पहला और महत्वपूर्ण कदम सुरक्षा परिषद में सुधार है। इसे अधिक प्रभावी होने के लिए समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण

- राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत की दृष्टि निर्देशित है-

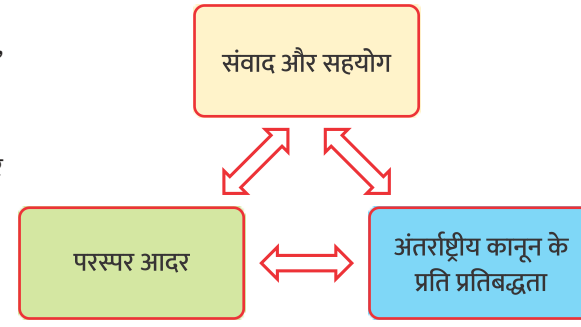

भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग क्यों कर रहा है?

- भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे बड़ा उदार लोकतंत्र है।
- भारत वैश्विक आबादी के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है ।
- संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- हमेशा से अपने सिद्धांतों और साख को अनवरत रूप से बनाए हुए है।
- यूएन पीस कीपिंग फोर्स (यूएनपीकेएफ) के लिए प्रभावशाली योगदान देता है।
- भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। साथ ही, देश क्रय शक्ति समानता में उच्च स्थान पर है।
- भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति और बढ़ता अंतरराष्ट्रीय साख।

भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है?

- भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, किन्तु भारत की राह में सबसे बड़ा बाधक चीन है।
- चीन अलग-अलग तर्कों-कुतर्कों के माध्यम से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है।
- इसके अलावा कई बार यूएनएससी संरचना में बदलाव की मांगें भी उठती रही हैं।
- विदित है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन कुछ स्थायी सदस्य देश इसमें किसी तरह के बदलाव का विरोध करते रहे हैं।
- भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत द्वारा यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए किए जा रहे प्रयास

- भारत लगातार चीन के साथ यूएनएससी में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है।
- चीन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने अभी तक यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत के प्रयास का समर्थन नहीं किया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से चार ने द्विपक्षीय रूप से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की आधिकारिक पुष्टि की है।
- सरकार ने विस्तारित यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
- इस दिशा में सरकार ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन के लिए विभिन्न पहल की है। इस मामले को सभी स्तरों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान लगातार उठाया जाता है।।

- चीन यूएनएससी सुधारों का समर्थन इस तरह से करता है, जिससे निकाय के अधिकार और प्रभावकारिता में वृद्धि हो और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़े, ताकि छोटे और मध्यम आकार के देशों को अधिक अवसर मिले।
- समकालीन वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) प्रक्रिया सुधार के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है, जिसमें सदस्यता की श्रेणियां, वीटो शक्ति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के आईजीएन ढांचे के तहत वर्तमान में यूएनएससी सुधारों की प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है, जहां भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ वार्ता को तत्काल आधार पर शुरू करने पर जोर दे रहा है।
- भारत जी-4 (भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी) और एल.69 समूह (एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का एक क्रॉस क्षेत्रीय समूह) में अपनी सदस्यता के माध्यम से अन्य सुधार-उन्मुख देशों के साथ भी काम कर रहा है।

निष्कर्ष

- भारत ने सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा, शान्तिरक्षा और आतंकवाद-प्रतिरोध जैसी चिन्ताओं पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- विश्व के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक यूएनएससी 1945 की भू-राजनीतिक आर्किटेक्चर के अनुसार गठित है।
- विदित है कि चीन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने अभी तक यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए किये गये भारत के प्रयास का समर्थन नहीं किया है, जबकि अन्य सदस्य देशों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है।
- यद्यपि भारत सरकार द्वारा चीन से भी समर्थन के प्रयास किए जा रहे हैं।
- वैश्विक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिगत गठित यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता न केवल भारत के लिए अपितु विश्व शांति और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
- फलतः संयुक्त राष्ट्र की बहुसंख्यक सदस्यता की मांग को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

वैवाहिक दुष्कर्म

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं	**प्रथम और द्वितीय प्रश्नपत्र :** भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, महिला संबद्ध मुद्दे,महिला सशक्तिकरण, न्यायपालिका के निर्णय

प्रसंग

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने वैवाहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं में खंडित/विभाजित निर्णय सुनाया है। शीर्ष न्यायालय अब इस मामले में अगले वर्ष फरवरी में सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय का खंडित निर्णय

- वैवाहिक दुष्कर्म पर अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति शकधर ने कहा था कि धारा-375 और धारा 376 (ई) का अपवाद-दो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 (एक) (ए) और 21 का उल्लंघन है। ऐसे में इसे निरस्त किया जाता है और यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- वहीं, न्यायमूर्ति हरिशंकर ने कहा कि ये प्रविधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए)और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रविधानों को दी गई चुनौती बरकरार नहीं रह सकती है।
- धारा 375 में दिए गए अपवाद-दो के तहत एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी (जो नाबालिग नहीं है) के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं है।
- यद्यपि पीठ ने दोनों पक्षों को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

धारा 375 के अपवाद की संवैधानिकता से जुड़ी याचिकाएं

- न्यायालय धारा 375 के अपवाद की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
- गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तिगत तौर पर अन्य लोगों ने आईपीसी की धारा 375 (दुष्कर्म) के अंतर्गत वैवाहिक दुष्कर्म अपवाद की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।
- याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त इसमें अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए), पुरुषों के अधिकार संगठन और एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव और रेबेका जॉन शामिल हैं।

याचिकाकर्ता

- न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन, एक पुरुष और एक महिला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
- याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से भारतीय दुष्कर्म कानून के अंतर्गत उल्लिखित 'अपवाद' को समाप्त करने की मांग की थी।
- जैसा कि विदित है दिल्ली उच्च न्यायालय 'भारतीय दंड संहिता' की धारा 375 के अंतर्गत वर्णित 'अपवाद' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष

- वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को बनाए रखने से दुष्कर्म कानून के पीछे का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।
- यह विवाहिता के न कहने के अधिकार का उल्लंघन है।
- यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 19 (1) समेत विवाहिता के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377

- उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सितंबर, 2018 को एकमत से 158 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था।
- अंग्रेजी शासन के दौरान वर्ष 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था।
- विदित है कि भारतीय दंड संहिता, 1861 की धारा 377 वयस्कों के मध्य सहमति से निजी यौन कृत्यों से संबंधित है।

धारा 375 और धारा 377 में विद्यमान विसंगतियाँ

- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) की पूर्ववर्ती धारा 377 और दुष्कर्म क़ानूनों में विसंगतियां विद्यमान थी।
- यह विसंगतियाँ एक पति को अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने समेत अप्राकृतिक यौन संबंध के विरुद्ध अभियोजन से संरक्षण प्रदान करती है।
- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, किन्तु वैवाहिक जीवन में इसे जारी रखा गया और किसी ने इसकी शिकायत नहीं की।

आप्रकृतिक यौन संबंध के विषय में न्यायालय की टिप्पणी

- न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आप्रकृतिक यौन संबंध (Unnatural Sex) यौन क्रिया का भाग है, इसलिए अगर इसमें सहमति है तो इसे दुष्कर्म (Rape) नहीं कहा जा सकता है।
- ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय से पूर्व धारा 377 की विसंगति प्रभावी रही है।
- 11 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और इसे दुष्कर्म माना जा सकता है। नाबालिग पत्नी एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 क्यों है विवादित?

- आईपीसी की धारा 375 दुष्कर्म को परिभाषित करती है और सहमति की सात धारणाओं को सूचीबद्ध करती है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में उल्लेखित अपवाद के अंतर्गत पत्नी की आयु अगर 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है।
- उल्लेखनीय है कि यह छूट अनिवार्य रूप से एक "पति" को वैवाहिक अधिकार की अनुमति प्रदान करता है, जो विधिक स्वीकृति के साथ अपनी "पत्नी" के साथ सहमति या गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- वैवाहिक संबंध में पति को प्राप्त यह विशेषाधिकार महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसकी सहमति को कमजोर करती है।

आईपीसी की धारा 375 में 'अपवाद' का प्रावधान क्यों शामिल किया गया?

- जैसा कि विदित है वैवाहिक बलात्कार उन्मुक्ति की व्यवस्था कई औपनिवेशिक सामान्य कानून देशों के लिए जाना जाता है। यह सामान्यतः दो मान्यताओं पर आधारित है-
- स्थायी सहमति: यह धारणा प्रचलित है कि विवाह के बाद महिला पुरुष की निजी संपत्ति बन जाती है और पति को पत्नी से जुड़े सभी निर्णय लेने का स्वतः स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- यौन-क्रिया की अपेक्षा- ऐसी मान्यता है कि विवाह का उद्देश्य प्रजनन मात्र है। फलतः विवाहित महिला यौन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए बाध्य है।

वैवाहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म से कैसे भिन्न?

- आईपीसी की धारा 375 में उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा उसकी स्वीकृति के बिना संबंध स्थापित करता है, तो उसे दुष्कर्म की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त अगर महिला की आयु 16 वर्ष से कम हो, तो उसकी स्वीकृति से अथवा उसकी सहमति के बिना बनाया गया संबंध दुष्कर्म कहलाता है। यद्यपि वर्तमान में पत्नी की आयु अगर 15 वर्ष से कम है और पति द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।

- भारतीय दंड संहिता में दुष्कर्म की परिभाषा का तो उल्लेख है, किन्तु मैरिटल रेप अथवा वैवाहिक दुष्कर्म के संदर्भ में कोई वर्णन नहीं है।
- आईपीसी की धारा 376 में पत्नी से दुष्कर्म करने वाले पति के लिए दंड की विधिक व्यवस्था है, बशर्ते पत्नी 12 वर्ष से कम आयु की हो।
- धारा 375 और 376 के प्रावधानों के अनुसार, संबंध बनाने के लिए पूर्व-सहमति की आयु 16 वर्ष निर्धारित है, किन्तु पत्नी की आयु अगर 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है।
- घर के अंदर महिलाओं के यौन शोषण के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून अधिनियमित किया गया था। यह कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें घर के भीतर यौन शोषण को परिभाषित किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हैं प्रावधान?

- सरकार ने महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा कानून, 2005 अधिनियमित किया था।
- विदित है कि यह कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण देती है। इसमें घर के भीतर यौन शोषण को परिभाषित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त हिंदू मैरिज एक्ट का भी प्रविधान है, जिसमें पति और पत्नी के मध्य दायित्वों का निर्धारण है। यद्यपि इसमें पत्नी के यौन संबंध बनाने से मना करने के आधार पर पति द्वारा तलाक लिया जा सकता है।

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत करने की मांग

- देश में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत करने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
- वर्ष, 2015 में गैर सरकारी संगठन आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन तथा दो महिला और पुरुषों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर, इस संबंध में सुनवाई की मांग की थी।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग की गई थी कि धारा 375 के प्रावधान धारा 377 (अप्राकृतिक संबंधों) से मेल नहीं खाते हैं। इसमें पतियों को कानून से संरक्षण प्राप्त है।

वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर अन्य देशों में क्या है व्यवस्था?

- वर्ष 1991 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को समाप्त कर दिया था।
- कनाडा (1983), दक्षिण अफ्रीका (1993), ऑस्ट्रेलिया (1981 के बाद) ने ऐसे कानून अधिनियमित किए हैं, जो वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं।

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में प्रस्तुत किए जा रहे तर्क

- भारत में विवाह को पवित्र संबंध की मान्यता प्रदान की गई है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि पति को पत्नी के इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
- भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित दुष्कर्म की परिभाषा में वर्णित वैवाहिक अपवाद विक्टोरियन पितृसत्तात्मक मानदंडों से अभिप्रेरित है, जो महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव का समर्थन करता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। यह भारतीय महिलाओं के साथ समान व्यवहार का पक्षधर है। ऐसे में पत्नी के रूप में एक महिला के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार मौलिक अधिकार के प्रतिकूल है।
- अविवाहित महिला की तरह विवाहित महिला को भी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 में शारीरिक सत्यनिष्ठा, अखंडता और गोपनीयता का अधिकार सन्निहित है। फलतः महिलाओं को पवित्रता और यौन गतिविधियों से संबंधित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
- कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य होने के अतिरिक्त एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर 'गैरकानूनी घुसपैठ' है।
- निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में गठित जेएस वर्मा समिति और वर्ष 2013 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईडीएडब्ल्यू) ने संस्तुति की थी कि भारत सरकार को 'वैवाहिक दुष्कर्म का अपराधीकरण' करना चाहिए।

विपक्ष में प्रस्तुत किए जा रहे तर्क

- हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार हैं। विवाह पद्धति के अन्तर्गत कुछ धार्मिक नियम, तरीके या धार्मिक कृत्य का पालन किया जाना आवश्यक है। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने से परिवारों में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, जो विवाह व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। फलतः पारिवारिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (विवाहित स्त्रियों पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने तथा डराने या धमकाने से संरक्षण प्रदान करता है) के बढ़ते दुरुपयोग की भांति कानून का दुरुपयोग करके पतियों को परेशान करने का एक आसान उपकरण बन सकता है।
- महिलाओं में साक्षरता पुरुषों की अपेक्षा कम, बहुसंख्यक महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की कमी, समाज की मानसिकता, विशाल विविधता, निर्धनता आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत की अपनी अनूठी समस्याएं हैं। ऐसे में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने से पूर्व सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।

- चूंकि आपराधिक कानून समवर्ती सूची का विषय है और राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। साथ ही इन राज्यों की संस्कृतियों में भी एक विशाल विविधता विद्यमान है।

निष्कर्ष

- महिलाएं के साथ वैवाहिक दुर्व्यवहार की संभावना को दृष्टिगत करते हुए विधायिका को इस तरह के कानूनी दुर्बलताओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में उल्लिखित अपवादों को समाप्त करके वैवाहिक दुष्कर्म को पहले से विद्यमान बलात्कार कानूनों के दायरे में लाना चाहिए।
- तत्संबंधी विधिक प्रविधान का एक लाभ यह होगा कि वे वैवाहिक दुष्कर्म जैसे कुकृत्यों से उबरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकती हैं और घरेलू हिंसा और यौन शोषण से स्वयं को संरक्षित कर सकती हैं।
- व्यापक संदर्भ में, विवाह और तलाक को धर्मनिरपेक्ष कानून के अंतर्गत लाना चाहिए और विभिन्न समुदायों के लिए एक समान कानून बनाने में आने वाले व्यवधानों का सार्थक निदान किया जाना चाहिए।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

- हिन्दू विवाह अधिनियम, भारत की संसद द्वारा वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक हिंदू स्त्री-पुरुष को अन्य हिंदू स्त्री-पुरुष से विवाह का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी जाति का हो।
- एक विवाह का अधिकार, किन्तु द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत।
- न्यायिक पृथक्करण, विवाह-संबंध-विच्छेद तथा विवाह शून्यता की डिक्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है।
- न्यायालयों को यह वैधानिक दायित्व कि वह प्रत्येक वैवाहिक विवाद में समाधान कराने का प्रथम प्रयास करें।
- तलाक पर निर्वाह व्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है।
- न्यायालयों को प्राधिकृत किया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख-रेख एवं भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करें।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत को शामिल और/या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते

प्रसंग

- हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 'हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा' (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया और देश के हितों को केंद्र में रखते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के व्यापार स्तंभ से बाहर रहने का विकल्प चुना है।
- यद्यपि, भारत आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित व्यापार के चार स्तंभों में से तीन पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें कर, भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा

आईपीईएफ
- अक्टूबर 2021 में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सर्वप्रथम आईपीईएफ के विषय में उल्लेख
- भारत सहित 12 अन्य देश शामिल

उद्देश्य
- यूएसए के भागीदारों के साथ आईपीईएफ का विकास और साझा हित के अन्य क्षेत्रों को प्रभावी रूप से संबोधित करना

शामिल सदस्य देश
- अमेरिका के अलावा अन्य 12 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
- ताइवान इसका हिस्सा नहीं।

4 मुख्य स्तंभ
- व्यापार
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
- स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन
- कर और भ्रष्टाचार विरोधी

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा की पृष्ठभूमि

- अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने पहली बार अक्टूबर 2021 में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आईपीईएफ के विषय में उल्लेख किया था।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के भागीदारों के साथ एक इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे के विकास का पता लगाएगा, जो व्यापार सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के मानकों, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, कार्यकर्ता मानक और साझा हित के अन्य क्षेत्र के आस-पास साझा उद्देश्यों को परिभाषित करेगा।
- फरवरी 2021 में यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस द्वारा आईपीईएफ पर एक "अंतर्दृष्टि" पेपर के अनुसार, आईपीईएफ एक पारंपरिक व्यापार समझौता नहीं है।
- इसमें "निष्पक्ष और लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, बुनियादी ढांचे और डीकार्बोनाइजेशन, कर और भ्रष्टाचार विरोधी" को कवर करने वाले विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं।
- देशों को एक मॉड्यूल के भीतर सभी घटकों के लिए साइन-अप करना होगा, लेकिन सभी मॉड्यूल में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है।
- "निष्पक्ष और लचीला व्यापार" मॉड्यूल का नेतृत्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा और इसमें कुछ बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के साथ डिजिटल, श्रम और पर्यावरण के मुद्दे शामिल होंगे।
- आईपीईएफ में टैरिफ बाधाओं को कम करने जैसी बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं होंगी।

गठन और प्रथम व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक

- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या आईपीईएफ का गठन इस वर्ष 23 मई को टोक्यो में क्वाड समिट के अवसर पर अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि आईपीईएफ एशियाई आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभुत्व का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- 14-राष्ट्र ब्लॉक की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में लॉस एंजिल्स में संपन्न हुई थी।

आईपीईएफ और मुक्त व्यापार समझौता

- अमेरिका के अनुसार, आईपीईएफ एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है और न ही परम्परागत प्रकार का व्यापार समझौता है, किन्तु यह सदस्य देशों को इनसे संबद्ध मुद्दों पर बातचीत करने की अनुमति देता है।
- विदित है कि वर्तमान में, भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 देश इसके सदस्य हैं।
- इसमें शामिल सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।
- सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आईपीईएफ और इसके विभिन्न स्तम्भ

- आईपीईएफ के अंतर्गत चार स्तंभ हैं।
- पहला आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन है।
- दूसरे में स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचा शामिल है।
- तीसरा कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी से संबंधित है।
- चौथा निष्पक्ष और लचीला व्यापार से जुड़ा है।
- अमेरिका सीमा पार प्रवाह और डेटा के स्थानीयकरण जैसे मुद्दों को ढांचे के तहत शामिल करना चाहता है।
- यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की फरवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सदस्य देशों को एक विशेष स्तंभ के सभी घटकों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन सभी स्तंभों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- "निष्पक्ष और लचीला व्यापार" स्तंभ का नेतृत्व संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है और इसमें कुछ बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के साथ डिजिटल, श्रम और पर्यावरण के मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, आईपीईएफ में टैरिफ बाधाओं को कम करने जैसी बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं हैं।

आईपीईएफ स्तम्भ और भारत

- आईपीईएफ ढांचा नई चुनौतियों के समाधान के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है और "निष्पक्ष और लचीला व्यापार को प्रोत्साहन देने" पर आधारित है
- जैसा कि ऊपर उल्लिखित है इसके सदस्य देशों को सभी स्तंभों में भाग नहीं लेने का विकल्प प्रदान किया गया है।
- भारत ने निष्पक्ष और लचीले व्यापार स्तंभ से दूर रहने का निर्णय लिया है।
- भारत सरकार व्यापार के व्यापक दायरे के तहत अन्य तीन स्तंभों (आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा) में शामिल हो गई है, इसने कथित तौर पर चिंता के कई क्षेत्रों को चिह्नित किया है, जो श्रम से लेकर पर्यावरण मानकों, डिजिटल व्यापार और सरकारी खरीद शामिल हैं।
- हालांकि, ये वास्तव में विवादास्पद मुद्दे हैं, मांगी गई शर्तों पर आशंकाएं देश को व्यापार स्तंभ में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं हैं।
- आईपीईएफ के तहत मांग की जा रही शर्तों को सरकार द्वारा किए जा रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत भी संबोधित किया जा सकता है।

आईपीईएफ और द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी

- 2019 में व्यापक विचार-विमर्श के बाद, भारत सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने का विकल्प चुना।
- इसके बाद, देश नई द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी की खोज कर रहा है। तब से भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दो व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और यूके, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित अन्य पर बातचीत के पूरा होने की संभावना है।
- हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने अभी के लिए, अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के व्यापार स्तंभ से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

आईपीईएफ को लेकर भारत की स्थिति

- "आईपीईएफ में प्रस्तावित कुछ क्षेत्र भारत के हितों को पूरा नहीं करते हैं।
- उदाहरण के लिए, आईपीईएफ डिजिटल गवर्नेंस की बात करता है, लेकिन आईपीईएफ फॉर्मूलेशन में ऐसे मुद्दे शामिल हैं, जो सीधे तौर पर भारत की घोषित स्थिति के विपरीत हैं।
- विदित है कि कुछ देशों ने वार्ता में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी, जबकि भारत ने कुछ समय के लिए एक निश्चित स्थिति की घोषणा नहीं की थी।
- भारत उच्च स्तर की डेटा गोपनियता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक और समकालीन कानूनों की अवधारणा पर काम कर रहा है और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा।
- इस वर्ष अगस्त में, भारत सरकार ने संसद से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यह कहते हुए वापस ले लिया कि वह ऑनलाइन स्पेस, डेटा गोपनीयता पर कानून और डेटा स्थानीयकरण, समग्र इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा आदि को विनियमित करने के लिए "व्यापक कानूनी ढांचे" पर विचार करेगी।

आईपीईएफ के विभिन्न पहलुओं पर व्यक्त की जा रही चिंताएं और ध्यान देने की आवश्यकता

- अमेरिका ने भारतीय पक्ष द्वारा डेटा स्थानीयकरण अथवा भारत में स्थित सर्वरों में भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के डेटा के भंडारण और प्रसंस्करण की मांग की संभावना के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका-आधारित कंपनियों के डेटा के मामले में भी चिंता व्यक्त की है।
- अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की यह नीति डिजिटल व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण बाधा है और यह विशेष रूप से छोटी फर्मों के लिये बाज़ार पहुँच बाधा के रूप में कार्य करेगी।
- अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, यह न तो मुक्त व्यापार समझौता है और न ही यह टैरिफ में कटौती या बाजार पहुंच बढ़ाने पर विमर्श करेगा, फलतः इसकी उपयोगिता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।
- इसकी उपयोगिता, इसकी प्रक्रिया के समावेशी होने और रूपरेखा पर अधिक स्पष्टता पर निर्भर करेगा।
- इसके चार स्तंभ को लेकर प्रश्न उठाएं जा रहे हैं कि क्या देशों के बीच मानकों को एक साथ स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामान्य आधार है अथवा क्या यह उन मुद्दों के लिए खुला है, जो प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग हैं।
- अमेरिका का यह कथन कि आईपीईएफ अनिवार्य रूप से "अमेरिकी श्रमिकों" पर केंद्रित है, संरक्षणवादी वैश्विक रुझानों को लेकर भी प्रश्न उठाता है।
- पहले से ही तीन आसियान देशों, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ने इससे बाहर रहने का निर्णय किया है।
- इस तथ्य को देखते हुए कि अमेरिका की पिछली पहलों (ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव) ने इस क्षेत्र की ढांचागत जरूरतों को बदलने में बहुत कम प्रगति की है, आईपीईएफ को एक विश्वसनीयता चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

- सरकार ने अभी के लिए, अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के व्यापार स्तंभ से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।
- सरकार के दृष्टिकोण से समझौते की अंतिम रूपरेखा और सदस्य देशों को होने वाले लाभों पर अस्पष्टता बनी हुई है।
- फलतः सरकार को निश्चित रूप से देश के हितों की रक्षा करने और सर्वोत्तम संभव शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए, साथ ही इस प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अधिक विवेकपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत और विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समूह

प्रसंग

- हाल ही में, 22वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022 उज़्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ।
- ज्ञातव्य है कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया।

एससीओ के वर्ष 2022 और 2023 की अध्यक्षता

- उज़्बेक राष्ट्रपति ने समरकंद के 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
- इस शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वर्ष 2023 में अध्यक्ष के रूप मेजबानी करने की घोषणा की।

एससीओ

- एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
- एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित और 2003 में लागू हुआ।
- एससीओ में आठ सदस्य देश शामिल हैं
- भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य।

यूक्रेन युद्ध

- भारतीय और चीनी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति से अपनी चिंता व्यक्त की
- यह विश्व भर के लोगों के हितों के खिलाफ मास्को की आक्रामकता के प्रभावों के विषय में वैश्विक चिंताओं को प्रदर्शित करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में

- एससीओ शिखर सम्मेलन को उद्बोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी ।
- अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर रहा है।

ईरान

- समरकंद शिखर सम्मेलन में ईरान को एससीओ के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- ईरान 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन से पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में भाग लेगा।

एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर भारत की द्विपक्षीय बैठकें

भारत-रूस

- उज्बेकिस्तान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने की अपील की।

भारत-तुर्की

- नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार में हाल ही में हुए लाभ की सराहना की।
- उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
- विदित है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की आलोचना से भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।

भारत-ईरान

- दोनों देशों ने चाबहार के जरिए कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग पर विमर्श की ।
- लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या भारत की मंशा अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के कारण 2018-2019 में निरस्त किए गए तेल आयात को बहाल करने का है।

ईरान की सदस्यता का महत्व

ईरान की सदस्यता

- ईरान, अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम देशों द्वारा अलग-थलग कर दिया गया है।
- ईरान विश्व की 40 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत योगदान देता है।
- ईरान के एससीओ में शामिल होने से उसकी भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। .

एकल मुद्रा के लिए ईरान का प्रस्ताव

- अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बढ़ते शस्त्रीकरण का मुकाबला करने के लिए ईरान ने एससीओ सदस्यों के बीच व्यापार करने के लिए एक नई एकल मुद्रा बनाने के प्रस्ताव के साथ एससीओ से भी संपर्क किया है।

भारत के लिए महत्व

- एससीओ में ईरान के प्रवेश से भारत और ईरान के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारत की यूरेशियन पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत का मानना रहा है कि बाजार में ईरानी तेल के प्रवेश से कुछ सीमा तक वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का समाधान होगा।

भारत के लिए एससीओ का महत्व

भारत की आगामी अध्यक्षता

- भारत वर्ष 2023 में एससीओ की अध्यक्षता करेगा।
- भारत 2023 में आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा , जो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा ।

वाराणसी - एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी

- सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली "सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी" घोषित किया जाएगा।
- समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद नई पहल लागू होगी।
- यह आठ सदस्यीय संगठन द्वारा सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल है।

सुरक्षा

- आरएटीएस खुफिया जानकारी साझा करने, कानून लागू करने और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में काम करके भारत को अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- एससीओ के माध्यम से भारत नशीली दवाओं की तस्करी और छोटे हथियारों के प्रसार पर भी काम कर सकता है ।

क्षेत्रीय एकता

- एससीओ क्षेत्रीय एकीकरण हासिल करने और सीमाओं के पार कनेक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- इसके अलावा, यह भारत को रूस जैसे मित्र राष्ट्र और चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के साथ बहुपक्षीय बातचीत करने में भी सहायक है ।

भू-राजनीतिक लाभ

- मध्य एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है।
- एससीओ भारत को "कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी" को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
- यह भारत को यूरेशिया में चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी मदद करेगा ।

भारत के लिए महत्व

- एससीओ की पूर्ण सदस्यता भारत को यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में अधिक दृश्यता प्रदान करेगी, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ।
- मध्य एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का एक हिस्सा है - एससीओ भारत को "कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी" को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है ।
- भारत को अपने विस्तारित पड़ोस में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ यूरेशिया में चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की अपनी आकांक्षा को पूरा करने में मदद करता है ।
- यह भारत को यूरेशियाई सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में, इस क्षेत्र में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद निष्प्रभावी करने में सक्षम बनाएगा ।
- यह अफगानिस्तान की स्थिति को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में भारत की मदद करेगा , खासकर 2014 के बाद के परिदृश्य में।
- आरएटीएस के माध्यम से भारत खुफिया जानकारी साझा करने, कानून लागू करने और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में काम करके अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है ।
- एससीओ के माध्यम से भारत नशीली दवाओं की तस्करी और छोटे हथियारों के प्रसार पर भी काम कर सकता है ।
- आतंकवाद और कट्टरपंथ की साझा चुनौतियों पर सहयोग।
- यह भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां वह चीन और पाकिस्तान दोनों को एक क्षेत्रीय संदर्भ में रचनात्मक रूप से शामिल कर सकता है और पश्चिम एशिया सहित अशांत क्षेत्रीय क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों को प्रोजेक्ट कर सकता है ।
- ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ भारत एक ऊर्जा की कमी वाला देश है, एससीओ इसे क्षेत्रीय कूटनीति के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है ।
- तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन, आईपीआई (ईरान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से प्रभावी करने में सहायता मिल सकती है।
- एससीओ मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जैसे भारत और मध्य एशिया के बीच सुगम व्यापार में मुख्य बाधा को दूर करना ।
- एससीओ मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- मध्य एशियाई देश भारत को अपने आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त और दवा उद्योगों के लिए एक बाजार प्रदान करते हैं ।

शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- इसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी।
- यह शंघाई फाइव मैकेनिज्म से पहले था।
- शंघाई सहयोग संगठन चार्टर पर जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और 19 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ।
- एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।

सदस्य देश

- एससीओ में आठ सदस्य देश शामिल हैं, अर्थात् भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य ।
- अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, ईरान के इस्लामी गणराज्य और मंगोलिया गणराज्य एससीओ में पर्यवेक्षक राज्य हैं।
- एससीओ के छह संवाद साझेदार हैं, जैसे अजरबैजान गणराज्य, आर्मेनिया गणराज्य, कंबोडिया साम्राज्य, नेपाल का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, तुर्की गणराज्य और श्रीलंका का लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य।

लक्ष्य और उद्देश्य

- आपसी विश्वास और साझेदारी को बढ़ावा देना ।
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना ।
- लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

अडाप्शन रूल्स

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 सितंबर, 2022 से बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने से संबंधित संशोधित कानून प्रभावी हो गया है।
- ज्ञातव्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक सितंबर से न्यायालयों की अपेक्षा जिला मजिस्ट्रेटों (District Magistrates- DMs) द्वारा गोद लेने के आदेश पारित करने के लिए संशोधित गोद लेने के नियमों को त्वरित रूप से लागू करने के लिए कहा है।

न्यायालय के आदेश और इसके निहितार्थ

- यह निर्देश विरासत और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में जिला मजिस्ट्रेटों के अधिकार क्षेत्र पर उठाए गए चिंताओं के साथ-साथ अन्य मामलों में विलंब होने की संभावना के बावजूद आए हैं।
- विदित है कि न्यायालय ने 1 सितंबर से पहले ही आदेश पारित कर दिया है।
- ऐसी चिंताएं हैं कि केंद्र ने अभी तक गोद लेने के नियम, 2022 को अधिसूचित नहीं किया है, जिसमें डीएम द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act- JJ Act), 2015 में संशोधन करने के लिए संसद ने गत वर्ष किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया था।
- ये जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को "कोर्ट" शब्द को हटाकर जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- यह मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया गया था।

बच्चों की देखभाल और न्याय संबंधी संशोधन विधेयक, 2021 की पृष्ठभूमि

- सरकार ने बच्चों की देखभाल और न्याय संबंधी संशोधन विधेयक, 2021 (Juvenile Justice Act Amendment) को गत वर्ष बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया था।
- संसद से विधेयक के पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह अधिनियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है।

बच्चों की देखभाल और न्याय संबंधी संशोधन विधेयक, 2021- प्रमुख विशेषताएँ और मुद्दे

- इसमें उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, अदालत की जगह जिला मेजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट सहित) एडॉप्शन से जुड़े के आदेश जारी करेंगे।
- विदित है कि किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 के अनुसार, सिविल अदालत द्वारा एडॉप्शन के आदेश देने के बाद बच्चे का एडॉप्शन पूरा हो जाता है।
- 2015 के एक्ट के अंतर्गत किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को जघन्य अपराध, गंभीर अपराध और मामूली अपराध की श्रेणियों में बांटा जाता है।
- गंभीर अपराध में ऐसे अपराध शामिल हैं, जिनके लिए तीन से सात वर्ष की कैद की सजा निर्धारित है।
- विधेयक में गंभीर अपराधों में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है, जिनके लिए अधिकतम सजा सात वर्ष से अधिक की कैद है और न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं है या सात वर्ष से कम की है।
- चूँकि बच्चे को गोद लेना एक विधिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे और दत्तक माता-पिता के बीच एक स्थायी कानूनी संबंध होता है। ऐसे में यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सिविल अदालत की जगह जिला मेजिस्ट्रेट में एडॉप्शन के आदेश जारी करने की शक्ति निहित करना उपयुक्त है।
- जुलाई 2018 तक विभिन्न अदालतों में एडॉप्शन के 629 मामले लंबित थे। एडॉप्शन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बिल जिला मेजिस्ट्रेट को इस संबंध में आदेश देने की शक्ति हस्तांतरित करता है। इस संबंध में यह विषय विचार योग्य है कि क्या लंबित मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए जिला मेजिस्ट्रेट को यह भार सौंपना होगा।
- मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2015) के अनुसार, कई राज्यों में एक्ट के अंतर्गत वैधानिक निकाय विद्यमान नहीं हैं।
- वर्ष 2019 में 35 में से सिर्फ 17 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों के सभी जिलों में एक्ट के अंतर्गत अपेक्षित बुनियादी संरचनाएं और निकाय मौजूद थे।
- 2017 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) ने समय रहते उन बच्चों की सिफारिश नहीं की, जो एडॉप्शन के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र थे।
- न्यायालय ने सुझाव दिया था कि अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमिटी, कारा के कामकाज का निरीक्षण और जांच कर सकती है।

जेजे अधिनियम की धारा 61

- इस संशोधन के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- इस संशोधन अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने और संकट में फंसे बच्चों का सहयोग करने के भी अधिकार दिये गये हैं।
- इस अधिनियम के जरिये बाल कल्याण समिति (CWC) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को पुनः परिभाषित किया गया है।
- सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि केवल सही योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले लोगों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए।

असम आदिवासी शांति समझौता

- हाल ही में, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के आठ आदिवासी समूहों के मध्य त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- विदित है कि इन आठ समूहों में ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिटेंट ऑफ असम, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपुल्स आर्मी शामिल हैं।
- समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ), आदिवासी पीपुल्स आर्मी (एपीए), ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (एएनएलए), असम की आदिवासी कोबरा मिलिट्री (एसीएमए) और संथाली टाइगर फोर्स (एसटीएफ) शामिल हैं।
- अन्य शेष तीन संगठन BCF, AANLA और ACMA के अलग-अलग समूह हैं।
- असम में जनजातियों और चाय बागान के कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केन्द्र, असम सरकार और आठ जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र को 2025 तक उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में 'मील का पत्थर' साबित होगा।
- असम के जनजातीय समूहों के एक हजार एक सौ 82 कैडर हथियार डालकर हिंसा का मार्ग छोड़ चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
- केन्द्र, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सभी सीमा और सशस्त्र गुट संबंधी विवाद 2024 तक हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ज्ञातव्य है कि विगत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिसमें वर्ष 2019 में संपन्न एनएलएफटी समझौता, 2020 में बीआरयू-रियांग और बोडो समझौता, 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता शामिल हैं।
- इस वर्ष असम-मेघालय अंतर-राज्य सीमा समझौते ने लगभग 65 प्रतिशत सीमा विवादों का समाधान किया है।

पृष्ठभूमि और निहितार्थ

- समूहों के साथ वर्ष 2012 से संघर्ष विराम समझौता चल रहा है।
- परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा के कट्टरपंथी गुट और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन को छोड़कर, राज्य में सक्रिय अन्य सभी विद्रोही समूहों ने सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है।
- तिवा लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड गोरखा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के सभी सदस्यों ने हथियारों और गोला-बारूद के साथ जनवरी में आत्मसमर्पण कर दिया था।
- कुकी ट्राइबल यूनियन ने अगस्त में अपने हथियार डाल दिए थे।
- दिसंबर 2020 में, बोडो उग्रवादी समूह एनडीएफबी के सभी गुटों के लगभग 4,100 सदस्यों ने अधिकारियों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे।
- वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74 प्रतिशत की कमी आई है।
- जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए अगले पांच वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा।
- बंदूक उठाने वाले 1,182 लोग अब इस समझौते के माध्यम से मुख्यधारा से जुड़ेंगे।
- यह समझौता हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले लोगों को सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

चाय जनजाति समुदाय

- असम में 1000 से अधिक चाय बागान हैं, जहां मूल रूप से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाले श्रमिक संलग्न है और बाद में स्थायी रूप से असम में बस गए हैं।
- उन्हें चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है ।
- ये लोग न केवल राज्य में आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपितु राज्य के चाय उत्पादन में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- चाय जनजाति समुदायों के लोग पूरे असम राज्य में फैले हुए हैं।
- आर्थिक रूप से वे काफी पिछड़े हुए हैं और इन समुदायों में साक्षरता का स्तर बहुत कम है।

समझौता करार

- समझौते के प्रमुख प्रावधानों में राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना शामिल था।
- इस समझौते का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करना भी है।
- असम सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना की जाएगी।
- सशस्त्र समूहों के कार्यकर्ताओं के पुनर्वास और चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे ।
- आदिवासी आबादी वाले गांवों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच वर्ष की अवधि में ₹1,000 करोड़ का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद संबंधी घटनाओं की स्थिति

- गृह मंत्री के अनुसार, पूर्वोत्तर में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं की संख्या 2014 में 824 से घटकर 158 हो गई थी।
- 2014 के बाद 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गए और 7,000 से अधिक हथियार आत्मसमर्पण कर दिए गए।

अशांत क्षेत्र

- सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से से कम कर दिया गया है।
- विदित है कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार के कारण ऐसा हुआ।
- असम का लगभग 60% हिस्सा अब AFSPA से मुक्त हो गया है। मणिपुर में छह जिलों के 15 पुलिस थानों को अशांत क्षेत्र की परिधि से बाहर कर दिया गया है।
- अरुणाचल प्रदेश में AFSPA केवल तीन जिलों और एक अन्य जिले में दो पुलिस स्टेशनों तक सीमित है।
- नागालैंड में सात जिलों के 15 पुलिस थानों से अशांत क्षेत्र की अधिसूचना हटा दी गई है।
- त्रिपुरा और मेघालय में AFSPA को पूर्णतः वापस ले लिया गया था।

AFSPA

- AFSPA के अंतर्गत सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं।
- इसके तहत उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार और गोला-बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने का अधिकार प्राप्त है।
- यह उन्हें "उचित संदेह" के आधार पर वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और वारंट के बिना परिसर की तलाशी लेने की शक्ति देता है।
- क्षेत्रों को इसके धारा 3 के तहत "अशांत" घोषित किए जाने के बाद, केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर आरूढ़ किया जा सकता है ।
- अधिनियम को 1972 में संशोधित किया गया था।
- वर्तमान में, केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए AFSPA का विस्तार करने के लिए समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।
- मणिपुर और असम के लिए अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।
- त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया। वर्ष 2018 में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 80% की गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने मेघालय से 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम' (AFSPA) को लगभग 27 वर्षों के बाद वापस ले लिया था।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

- हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने 86 निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाने का निर्णय लिया तथा अतिरिक्त 253 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को 'निष्क्रिय आरयूपीपी' के रूप में घोषित किया।

- विदित है कि अनुपालन न करने वाले इन 339 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से 25 मई, 2022 से चूक करने वाले ऐसे आरयूपीपी की संख्या बढ़कर 537 हो गई है।

निर्णय

- अनुपालन न करने वाले 253 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के विरुद्ध यह निर्णय सात राज्यों बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है।
- ये 253 आरयूपीपी निष्क्रिय घोषित किए गए हैं, क्योंकि उन्हें भेजे गए पत्र/नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और न तो उन्होंने किसी राज्य के विधानसभा का आम चुनाव लड़ा और न ही वर्ष 2014 एवं 2019 में संसदीय चुनाव लड़ा है।
- ये पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वर्ष 2015 से 16 से अधिक अनुपालन कदमों के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहे हैं।
- उपरोक्त 253 दलों में से, 66 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) ने वास्तव में चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 10बी के अनुसार, एक समान चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन किया था और संबंधित निर्वाचनों को नहीं लड़ा था।
- एक राज्य के उक्त विधानसभा निर्वाचन के संबंध में कुल उम्मीदवारों में से कम से कम 5 प्रतिशत उम्मीदवार को रखने के लिए एक वचनबंध के आधार पर आरयूपीपी को एकसमान (कॉमन) चुनाव चिन्ह का विशेषाधिकार दिया जाता है।

पृष्ठभूमि

- भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है।
- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को आरक्षित पार्टी चिन्ह, राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो पर निःशुल्क प्रसारण समय और चुनावी नियमों और विनियमों को स्थापित करने में इनपुट देने जैसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
- अन्य राजनीतिक दल जो स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
- पंजीकृत दलों को ईसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में अपग्रेड किया जाता है, यदि वे लोकसभा या राज्य विधान सभा चुनाव के बाद आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं।

- ईसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ऐसे दल होते हैं, जो राज्यस्तरीय दल बनने के लिये विधानसभा या आम चुनावों में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाते हैं।
- वे दल जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा हैं, उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है।
- ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को प्राप्त सभी सुविधाओं के समान लाभ नहीं मिलता है।

एक राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तें

राज्य पार्टी बनने के लिए निर्धारित मानदंड:

- विधानसभा चुनाव और दो विधानसभा सीटों के दौरान छह प्रतिशत वोट हासिल होना चाहिए, या
- राज्य से लोकसभा में छह प्रतिशत वोट और राज्य से एक सांसद; या कुल विधानसभा सीटों का तीन प्रतिशत या तीन सीटें (जो भी अधिक हो); या
- राज्य या विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सांसद या राज्य में कुल मतों का आठ प्रतिशत ।

राष्ट्रीय पार्टी बनने हेतु आवश्यक मानदंड:

- यदि पार्टी को चार या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है ।
- चार लोकसभा सीटों के अलावा चार राज्यों में कम से कम छह फीसदी वोट प्राप्त करें
- लोकसभा में कम से कम दो प्रतिशत सीटों में विजयी (अर्थात मौजूदा सदन में 543 सदस्यों वाली 11 सीटें)।

राजनीतिक दल कैसे पंजीकृत होते हैं?

- राजनीतिक दलों के पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।
- चुनाव आयोग के अनुसार, पंजीकरण की मांग करने वाले किसी भी पक्ष को 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को एक आवेदन जमा करना होगा ।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियां ।
- आरपीए की धारा 29ए, 1951: भारतीय नागरिक, चुनाव लड़ने का उद्देश्य, और इसके सदस्य के रूप में 100 पंजीकृत मतदाता।
- निष्क्रिय राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29क

- इसके अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना आयोग को बिना किसी विलंब के देनी होती है।
- हल के मामले में 86 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) या तो संबंधित राज्यों/केन्द्र- शासित प्रदेशों के संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद या डाक प्राधिकारी से संबंधित पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के पंजीकृत पते पर भेजे गए अवितरित पत्रों/नोटिसों की रिपोर्ट के आधार पर निष्क्रिय पाए गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग

- यह 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था।
- यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधानपरिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
- इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है।
- इसके लिए भारत का संविधान एक पृथक राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

पोर्नोग्राफी

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पोर्न देखने और बाल शोषण सहित यौन अपराधों के मध्य सम्बन्ध की वकालत करने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है।
- ज्ञातव्य है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों की जांच से ज्ञात होगा कि पोर्नोग्राफी, अपराध के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है या नहीं।
- न्यायालय ने मामले में उल्लिखित किया कि बाल यौन शोषण अपने आप में एक अपराध है और पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों की जांच से पता चलेगा कि पोर्नोग्राफी अपराध को उत्प्रेरित करता है या नहीं। यह पहलू प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के आधार पर मिले साक्ष्य का हिस्सा होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय से न्यायिक घोषणा की मांग करना कि इंटरनेट पर पोर्न के कारण बाल यौन अपराध हुए हैं, ऑनलाइन निगरानी को आगे बढ़ाने के समान होगा।
- न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन है कि आपराधिक सामग्री इंटरनेट पर अपलोड न हो।
- जस्टिस एस. रवींद्र भट ने उल्लेख किया कि 1990 के दशक में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित वर्ग के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के एक प्रश्न का निराकरण किया था, ताकि उन्हें पोर्न तक पहुंच न दी जा सके।

याचिकाकर्ता की मांग

- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) को इंटरनेट पोर्नोग्राफ़ी तक मुफ्त पहुंच और बाल यौन शोषण के मामलों के साथ-साथ बलात्कार के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
- याचिका में राज्य पुलिस से समयबद्ध तरीके से डेटा एकत्र करने के लिए भी कहा गया था, जिसमें पोर्न और यौन अपराधों के बीच प्रत्यक्ष संबंध का स्पष्टीकरण हुआ था।

पोर्नोग्राफी क्या है?

- "पोर्नोग्राफी" शब्द को किताबों, फिल्मों या अन्य संचार साधनों के माध्यम से यौन उत्तेजना पैदा करने हेतु यौन क्रियाओं की रिपोर्टिंग या चित्रण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है ।
- विदित है कि अश्लील वेबसाइटों, कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई अश्लील सामग्री और अश्लील फिल्मों, ग्रंथों, तस्वीरों और तस्वीरों को डाउनलोड करने और प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग आदि इस श्रेणी में आते हैं।

क्या पोर्नोग्राफी अपराध है?

- यद्यपि भारत में व्यक्तिगत तौर पर पोर्न देखना भारतीय दंड कानूनों के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है , किन्तु पोर्न देखने की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएँ हैं, जिन्हें भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार निर्धारित किया है।

भारत में पोर्नोग्राफी से संबंधित कानून

- भारत में निजी तौर पर पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने हेतु कोई कानून नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दूरसंचार विभाग ने बाल अश्लील सामग्री वाली कई वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292 और 293 अश्लील वस्तुओं को बेचने, वितरित करने और प्रदर्शित करने या प्रसारित करने को अवैध घोषित करती है ।
- 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 354 डी जोड़ा, जो स्टाकिंग से संबंधित है ।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2002 के अनुसार, बच्चों को कोई भी अश्लील सामग्री दिखाना दंडनीय अपराध है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000

- इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंग की तस्वीरों का प्रसारण को कवर किया गया है।
- इसके लिए तीन वर्ष की सजा या दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में अश्लील सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण अधिनियम को कवर किया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट यौन कृत्यों या आचरण को दर्शाने वाली कोई भी चीज़ को प्रकाशित करना या प्रेषित करना दंडनीय है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012

- पोक्सो का संक्षिप्त नाम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act– POCSO) है।
- यह अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा के दृष्टिगत बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया गया था।
- विदित है कि इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, इसमें बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चरण को विशेष महत्त्व देते हुए बच्चे के हित और कल्याण का ध्यान रखा गया है।
- यह अधिनियम नाबालिगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

- इसके अंतर्गत पेनेट्रेटिव यौन हमला के लिये सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले से जुड़ें मामले शामिल हैं अर्थात जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर पेनेट्रेटिव यौन हमला करें।
- गंभीर यौन हमला के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला और शीघ्र यौन परिपक्वता लाने हेतु बच्चे को हारमोन या अन्य रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना शामिल है।
- पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण पर तीन से पाँच वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की चुनौती पर सुनवाई करेगी।
- विदित है कि इस कानून के तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

याचिका और विभिन्न संवैधानिक पक्ष

- इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।
- प्रमुख याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) है।
- यह चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर टिकी हुई है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
- अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के आधार पर एक कानून की जांच करने के लिए दो-आयामी परीक्षण विकसित किया है।
- सबसे पहले, व्यक्तियों के समूहों के बीच किसी भी भेदभाव को "बोधगम्य अंतर" (intelligible differentia) पर स्थापित किया जाना चाहिए

और दूसरा, "इस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए"।

- कानून को चुनौती देने वालों का तर्क है कि अगर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा करना कानून का उद्देश्य है, तो कुछ देशों को बाहर रखना और धर्म को एक मानदंड के रूप में उपयोग विधिक रूप से अनुचित है।
- इसके अलावा, धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के खिलाफ माना जाता है, जिसे मूल संरचना के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता है।
- सीएए चुनौती में, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से परीक्षण का अनुरोध किया है कि क्या तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से तथाकथित "उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों" को दिया गया विशेष उपचार केवल नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत एक उचित वर्गीकरण है।

नागरिकता संशोधन विधेयक की पृष्ठभूमि

- नागरिकता संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम वर्ष 2016 में लोकसभा में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके प्रस्तुत किया गया।
- उसके बाद इस विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास प्रेषित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट बाद में 7 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की गई थी। नागरिकता संशोधन विधेयक 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जो 16 वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।
- यह विधेयक 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17वीं लोकसभा में फिर से पेश किया गया और बाद में 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। राज्यसभा में इसे 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया।

मामले की स्थिति

- भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें उच्च प्रवासी आबादी वाले 13 जिलों के जिला कलेक्टरों को 2019 के संशोधन में पहचाने गए समूहों से नागरिकता के आवेदन स्वीकार करने की शक्ति दी गई।
- आईयूएमएल ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दाखिल की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया। उसके बाद से मामले की सुनवाई नहीं हुई है।

सरकार का पक्ष

- गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मई 2021 की अधिसूचना का "सीएए (नागरिकता (संशोधन) अधिनियम , 2019) से कोई संबंध नहीं है "।
- 2016 में, सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रवासियों के संबंध में 16 जिलों के कलेक्टरों और सात राज्यों की सरकारों के गृह सचिवों को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए धारा 16 का उपयोग किया और अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित किया।
- सरकार ने तर्क दिया कि अधिसूचना "विदेशियों को कोई छूट प्रदान नहीं करती है और केवल उन विदेशियों पर लागू होती है, जिन्होंने कानूनी रूप से देश में प्रवेश किया है"।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 क्या है?

- सीएए 31 दिसंबर 2014 अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था।
- नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है।
- विदित है कि पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 वर्ष यहां रहना अनिवार्य था।
- इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है अर्थात इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित छह धर्मों के गत एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता देने का प्रविधान था।
- सरल शब्दों में व्याख्या की जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है।

नागरिकता क्या है?

- नागरिकता राष्ट्र और राष्ट्र का गठन करने वाले लोगों के मध्य संबंधों को परिभाषित करती है।
- यह एक व्यक्ति को राज्य द्वारा दिए गए कुछ कर्तव्यों / दायित्वों की पूर्ति के बदले में राज्य द्वारा सुरक्षा, वोट देने का अधिकार आदि जैसे कुछ अधिकार प्रदान करता है।

भारत में नागरिकता

- भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत, संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है।
- संसद ने भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए 1955 का नागरिकता अधिनियम पारित किया था।
- सातवीं अनुसूची के तहत प्रविष्टि 17, सूची 1 नागरिकता, देशीयकरण आदि के सन्दर्भ में बात करती है।
- संसद के पास नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

अवैध प्रवासियों के लिए प्रावधान?

- अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है।
- यद्यपि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन को छूट देने के प्रविधान किए हैं।
- उक्त प्रविधान के अनुसार, इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बिना भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जा सकता है और न उनको निर्वासित किया जा सकता है।
- यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं।
- इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 संसद में पेश किया गया था।

अनुसूचित जनजाति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने स्वीकृति प्रदान की है।
- जिन राज्यों की जनजातियों को सूची में शामिल किया गया है, उनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है।
- कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही (पहले संत रविदास नगर) जिले में अपनी पांच उप-जातियों के साथ 'गोंड' को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इसने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करके तमिलनाडु राज्य के संबंध में 'नारीकोरवन के साथ कुरीविककरण' समुदाय को शामिल करने के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
- कैबिनेट ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करके कर्नाटक राज्य के संबंध में 'बेट्टा-कुरुबा' समुदाय को 'कडू कुरुबा' के पर्याय के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।.
- छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था।

भारत में अनुसूचित जनजाति

- 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन है, जो देश की जनसंख्या का 8.6% है। ये अनुसूचित जनजातियाँ पूरे देश में बड़े पैमाने पर वन और पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार, अनुसूचित जनजाति वे समुदाय हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित हैं। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति जनजातियां या आदिवासी समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों का हिस्सा या समूह हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया है।
- जनजातीय समूहों में से कई ने आधुनिक जीवन को अपना लिया है, लेकिन ऐसे आदिवासी समूह हैं, जो अधिक असुरक्षित हैं। ढेबर आयोग (1973) ने एक अलग श्रेणी "आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी)" बनाई, जिसका नाम बदलकर 2006 में "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)" कर दिया गया।
- इन समुदायों की मुख्य विशेषताएं हैं:- आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क में आने से दूरी, आर्थिक रूप से पिछड़ापन।

बाल मृत्यु दर

- नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकी रिपोर्ट-2020 के अनुसार, भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।
- ज्ञातव्य है कि देश में पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में यूपी में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दम पर नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकी रिपोर्ट-2020 में यूपी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- वर्ष 2014 के बाद से देश में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में उत्तरोत्तर कमी दृष्टिगोचर हुई है।

शिशु मृत्यु दर

- शिशु मृत्यु दर में 2019 में 30 प्रति एक हजार जीवित जन्मों से 2020 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
- देश में पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर में भी 2020 में 32 से तीन अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो 2019 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 35 हो गई है।

नवजात मृत्यु दर

- नवजात मृत्यु दर 2019 में 22 से दो अंकों की गिरावट के साथ 2020 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 20 हो गई है।

बाल मृत्यु दर

- बाल मृत्यु दर से आशय पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु से है।
- बाल मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, जन्म और ठीक पांच वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना को प्रति 1,000 जीवित जन्मों में व्यक्त करती है।
- इसमें नवजात मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर (जीवन के पहले वर्ष में मृत्यु की संभावना) शामिल है।
- बाल मृत्यु दर में कमी संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों में परिलक्षित होती है।
- लक्ष्य 3.2 का लक्ष्य "2030 तक नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करना" है।
- विश्व भर में पिछले 40 वर्षों में बाल मृत्यु दर में कमी आई है।
- चिकित्सा विज्ञान में तीव्र प्रगति के परिणामस्वरूप इसमें उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है।

मृत्यु दर में कमी के लिए सरकार की पहल

पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)

- पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) वाले बच्चों को भर्ती किया जाता है।

आईसीडीएस

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है ।
- इस योजना के लाभार्थी 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी है।

पोषण अभियान

- इसका उद्देश्य प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और आंगनवाड़ी सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करके देश के सबसे अधिक कुपोषण के बोझ वाले चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करना है ।

कंगारू मदर केयर (केएमसी)

- केएमसी स्थिर नवजात शिशुओं के लिए पर्याप्त थर्मल देखभाल प्रदान करने, नोसोकोमियल संक्रमण को कम करने, विशेष स्तनपान और वजन बढ़ाने के अलावा देखभाल में अधिक मातृ और परिवार की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत प्रभावी रहे हैं।

माताओं की रक्षा करना

- एक शोध के अनुसार, बच्चे के मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान शुरू होती है और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण से प्रभावित होती है।
- इसलिए, हमें यह समझने की जरूरत है कि बच्चे के अस्तित्व को अलग-थलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मां के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

मातृत्व सहयोग योजना

- यह एक सशर्त मातृत्व लाभ (सीएमबी) योजना है, जिसे 2010 में शुरू किया गया था।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
- इसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, ताकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करके पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार किया जा सके।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्टंटिंग और वेस्टिंग को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत (2022 तक कुल 6 प्रतिशत) और एनीमिया को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत (2022 तक कुल 9 प्रतिशत) कम करना है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है।

भारत में लिंगानुपात

- देश के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-18 में तीन अंक बढ़कर 907 हो गया है, जो 2017-19 में 904 था।
- केरल में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात (974) है, जबकि उत्तराखंड में सबसे कम (844) है।
- नवजात मृत्यु दर भी 2019 में 22 प्रति 1,000 जीवित जन्मों से दो अंक घटकर 2020 में 20 प्रति 1,000 जीवित जन्म (वार्षिक गिरावट दर -9.1 प्रतिशत) हो गई है।
- यह शहरी क्षेत्रों में 12 से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 23 तक है।

निष्कर्ष

- भारत केंद्रित हस्तक्षेप, मजबूत केंद्र-राज्य साझेदारी और सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ बाल मृत्यु दर के 2030 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक पूर्ण न्यायालय में महत्वपूर्ण संविधान पीठ के मामलों में अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय लिया है।
- विदित है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही के सीधा प्रसारण करने के लिए अपना प्लेटफार्म विकसित करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब संविधान पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है।

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल करते हुए 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया है।
- यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- ज्ञातव्य है कि यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब संविधान पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक वैधता, भोपाल गैस त्रासदी में मुआवजे की पर्याप्तता, बोहरा समुदाय के बहिष्करण का अधिकार के मुद्दे शामिल हैं।
- निर्णय की दिशा में पहला कदम 2018 में लिया गया था ।
- तीन न्यायाधीशों की पीठ संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई ।
- 26 अगस्त 2022 को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सेवानिवृत्ति के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया।

उच्च न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पश्चात, गुजरात उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया।
- वर्तमान में, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करते हैं।
- सम्भावना व्यक्त किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ऐसा करने पर विचार कर रही है।

लाइव स्ट्रीमिंग का महत्व

- भारतीय विधिक प्रणाली खुली अदालत की अवधारणा पर बनी है और सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक शासन की संस्था है, इसलिए जनता को अदालती कार्यवाही के बारे में जानने का अधिकार है ।
- यह अनुच्छेद 145(4) के तहत स्थापित ओपन कोर्ट के सिद्धांत और न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाने के अनुरूप होगा।
- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर, आधार योजना की संवैधानिकता पर या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता आदि जैसे ऐतिहासिक मामले जनहित के मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे अब भविष्य सभी के देखने के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह फेक न्यूज के खतरे और कई संस्करणों या तथ्यों के गलत अनुमानों से बचने की आवश्यकता को दूर करेगा।
- मौखिक तर्क पर न्यायिक वार्ता अत्यधिक लिंग आधारित होती है, जिसमें महिलाओं को उनके पुरुष सहयोगियों के साथ-साथ पुरुष अधिवक्ताओं द्वारा अनुपातहीन दरों पर बाधित किया जाता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आई है।
- कोविड-19 के बाद की स्थितियों में, लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कार्यवाही को देख सकेंगे, ताकि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

मुद्दे / चुनौतियां

- भारतीय अदालतों की कार्यवाही के वीडियो क्लिप को गैर-जिम्मेदाराणा तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
- तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक प्रमुख चिंता का विषय है और तकनीकी गड़बड़ियां इसे और खराब कर सकती हैं।
- व्यापक दिशा-निर्देशों की कमी से लाइव एक्सेस का दुरुपयोग हो सकता है अथवा उचित साइबर सुरक्षा के अभाव में इसके हैक होने की संभावना है।
- गोपनीयता सम्बन्धी मामले, जैसे पारिवारिक मामले या आपराधिक मामले, या कानूनी प्रक्रियात्मक पेचीदगियों वाले मामले आदि को दायरे से बाहर रखा गया है।

वैश्विक परिदृश्य

- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही के प्रसारण के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के टेप की अनुमति दी है।
- लाइव या विलंबित प्रसारण की अनुमति है, लेकिन सभी अदालतों में प्रथाएं और मानदंड अलग-अलग हैं।
- 2002 से अदालत की कार्यवाही के लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण की अनुमति है, जिसमें अदालत में न्यायाधीशों द्वारा किए गए विचार-विमर्श और मतदान प्रक्रिया शामिल है।
- वीडियो और ऑडियो प्रसारित करने के लिए एक सार्वजनिक टेलीविजन चैनल, टीवी जस्टिका और एक रेडियो चैनल, रेडियो जस्टिना की स्थापना की गई थी।
- केबल संसदीय मामलों के चैनल पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, जो प्रत्येक मामले के स्पष्टीकरण और अदालत की समग्र प्रक्रियाओं और शक्तियों के साथ होता है।
- 2017 से दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में, मीडिया को आपराधिक मामलों में अदालती कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति दी है।
- 2005 से यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत की अवमानना के आरोपों को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। अदालत की वेबसाइट पर एक मिनट की देरी से कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, लेकिन संवेदनशील अपीलों में कवरेज वापस लिया जा सकता है।

निष्कर्ष

- सुप्रीम कोर्ट को इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविजन और रेडियो सहित संचार के अन्य साधनों का लाभ उठाना चाहिए , जो इसे भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, अपराधों के लिए दंड इतना सख्त होना चाहिए कि अपराधियों को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे निपटने में भ्रष्टाचार की कोई संभावना न हो।

भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022

- हाल ही में, भारतीय दूरसंचार विभाग ने प्रस्तावित भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 (Indian Telecom Bill 2022) के प्रारूप की सार्वजनिक घोषणा की है।
- ज्ञातव्य है कि प्रस्तावित विधेयक में ओवर-द-टॉप (OTT) की परिभाषा बदलने और इन्हें टेलीकॉम लाइसेंस के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा गया है।

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के प्रारूप का उद्देश्य

- विधेयक दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग अधिनियमों- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स, (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम 1950 को समेकित करता है।
- नया दूरसंचार विधेयक उद्योग के पुनर्गठन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेगा।

- यह विधेयक सरकार को संपूर्ण डिजिटल नियामक ढांचे में परिवर्तन की छूट प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य व्यक्तियों के सामाजिक उद्देश्यों, कर्तव्यों और अधिकारों और प्रौद्योगिकी ढांचे को संतुलित करना है।

प्रस्तावित प्रमुख संशोधन

- यह विधेयक दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग अधिनियमों को समेकित करता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।
- दूरसंचार विभाग के नए विधेयक मसौदे के अनुसार, ओवर-द-टॉप (OTT) की परिभाषा में बदलाव करने और इसे टेलीकॉम लाइसेंस के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अंतर्गत इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, स्काईप के साथ-साथ सभी इंटरनेट आधारित कॉलिंग एप लाइसेंस फीस के दायरे में आएंगे।
- दूरसंचार सेवाओं के प्रदाताओं को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत कवर किया जाएगा और दूरसंचार ऑपरेटरों के समान नियमों के अधीन किया जाएगा।
- केंद्र भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम (ट्राई अधिनियम) में संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है।
- प्रस्तावित विधेयक उस प्रावधान को समाप्त करता है, जो दूरसंचार विभाग को सेवा प्रदाता को नया लाइसेंस जारी करने से पहले ट्राई की राय जानने के लिए बाध्य करता है।
- इसने उस प्रावधान को भी हटा दिया है, जिसने ट्राई को यह सिफारिश करने के लिए आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सरकार से अनुरोध करने का अधिकार दिया था।
- यह उस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव करता है, जहां यदि डीओटी ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकता है या संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे ट्राई द्वारा पुनर्विचार के लिए सिफारिश को वापस भेजना होगा।
- यदि स्पेक्ट्रम के कब्जे वाली कोई दूरसंचार इकाई दिवालियापन या दिवाला से गुजरती है, तो सौंपा गया स्पेक्ट्रम केंद्र के नियंत्रण में वापस आ जाएगा।
- केंद्र को शक्तियाँ - मसौदा विधेयक केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में किसी भी लाइसेंसधारी को स्थगित करने, इक्विटी में बदलने, बट्टे खाते में डालने या राहत देने की शक्ति देता है।
- यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड (TDF) से बदलने का प्रस्ताव करता है।

विधेयक की महत्ता

- दिवाला मामलों में ज्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के स्वामित्व पर कोई स्पष्टता नहीं थी।
- नया बिल इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के मौजूदा नियमों के तहत सभी अस्पष्टताओं को दूर करता है।
- DoT का लक्ष्य इस क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण (M&A) प्रक्रिया को आसान बनाना है, जिससे पुनर्गठन और विलय को सरल बनाया जा सके।
- नियामक और लाइसेंसकर्ता के मध्य हितों के टकराव को रोकने के लिए ट्राई को स्वतंत्र रूप से काम करने और केवल संसद के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए संरचित किया जा रहा है।
- दूरसंचार सेवा प्रदाता अब वॉयस कॉल, संदेश आदि जैसी संचार सेवाओं पर ओटीटी ऐप्स के साथ समान अवसर चाहते हैं।
- टीडीएफ का उद्देश्य कम सेवा वाले शहरी क्षेत्रों, आर एंड डी, कौशल विकास आदि में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जबकि यूएसओएफ का उपयोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण कनेक्टिविटी की सहायता के लिए किया गया है।

भारत का दूरसंचार क्षेत्र

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, जिसके जून 2019 के अंत तक लगभग 1,186.63 मिलियन टेलीफोन ग्राहक हैं।
- दूरसंचार बाजार को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है - वायरलेस, वायरलाइन और इंटरनेट सेवाएं।
- वायरलेस बाजार भाग में कुल ग्राहक आधार का 98.2 प्रतिशत शामिल है।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं का 42.9 प्रतिशत है।
- इंटरनेट ग्राहकों के मामले में भी भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है ।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत में प्रति स्मार्टफोन औसतन 9.8 जीबी प्रति माह के हिसाब से दुनिया का सबसे अधिक डेटा उपयोग होता है। वहीं 2024 तक इसके दोगुना होकर 18 जीबी होने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2006-18 के दौरान देश में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 41.58 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2018-19 में 636.73 मिलियन हो गई।
- भारत मोबाइल एप्लिकेशन के लिए विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन गया।
- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार 500 मिलियन को पार कर गया है और 2019 के अंत तक इसके 627 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है।
- भारत में वायरलेस डेटा का कुल उपयोग वार्षिक आधार पर 119 प्रतिशत बढ़कर 1,58,50,560 टेराबाइट हो गया।
- 2018-19 में दूरसंचार क्षेत्र का सकल राजस्व 2,37,416.6 करोड़ रुपये (33.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था।
- सरकार से मजबूत नीति समर्थन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
- अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह कुल मिलाकर 2.29 लाख करोड़ रुपये (32.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया।

दूरसंचार आयोग

- पूरे विश्व में दूरसंचार सेवाओं को किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है। फलतः भारत के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूरसंचार अवसंरचना एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है।
- भारत सरकार ने दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित दूरसंचार आयोग की स्थापना 11 अप्रैल, 1989 की अधिसूचना द्वारा की।
- आयोग एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव) और चार अंशकालिक सदस्य (संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव) से मिलकर बना है।

ट्राई

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना देश में दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण और वैश्विक सूचना समाज का हिस्सा बनने के लिए की गई थी।
- यह एक वैधानिक निकाय है और देश में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी, 1997 से संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 कहा जाता है।
- इसकी स्थापना टैरिफ के निर्धारण / संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए किया गया था।

सॉफ्ट पावर के रूप में खेल

- विश्व के छोटे देशों के द्वारा कुलीन खेलों में अधिक निवेश किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में सफलता से देश की सॉफ्ट पावर हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है।

सॉफ्ट पावर क्या है?

- सॉफ्ट पावर एक देश की अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न अभिनेताओं की वरीयताओं और व्यवहारों को आकर्षण या अनुनय के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है।
- यह शब्द 1980 के दशक के अंत में एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेफ नी जूनियर द्वारा गढ़ा गया था।

सॉफ्ट पावर के लाभ

- एक सुदृढ़ राष्ट्र ब्रांड और सकारात्मक सॉफ्ट पावर धारणा एक राष्ट्र को लोगों के आने, निवेश करने और उनकी गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रतिष्ठा बनाने के लिए एक जगह के रूप में स्वयं को प्रोत्साहन देने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह एक देश को अपने पड़ोसियों के सम्मान में वृद्धि करने, अपने संसाधनों का विपणन करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच विशेष स्थान बनाने में सहायक है।
- सॉफ्ट पावर घरेलू पर्यटन, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खपत (आयात के बजाय) को प्रोत्साहित कर सकती है।

सॉफ्ट पावर में खेलों की भूमिका

- ओलंपिक में चीन के प्रदर्शन और पदकों की बढ़ती संख्या के आधार पर चीन के विषय में वर्ष 2020 में एक सर्वेक्षण किया गया था।
- सर्वेक्षण में उल्लिखित है कि देश की ओलंपिक उपलब्धि का राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- चीन अन्य देशों के साथ लोगों से लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए कुलीन खेलों में अपनी श्रेष्ठता का उपयोग करता है।
- उदाहरण के लिए, अफ्रीकी देशों जैसे मेडागास्कर के एथलीटों को चीन में तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि में प्रशिक्षित किया जाता है।

भारतीय संविधान में खेल

- संवैधानिक रूप से, खेल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 33 का एक हिस्सा है ।

खेलों में भारत की स्थिति

- हाल ही में, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की पदक तालिका सात है।
- भारत ओलंपिक में दुनिया के सबसे गरीब जनसंख्या-पदक अनुपात में से एक है।
- भारत ने 1900 संस्करण के बाद से ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं।
- बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल (CWG) – सीडब्ल्यूजी 2022 में, भारतीय एथलीटों ने 22 स्वर्ण सहित 61 पदक जीते।
- भारत की बैडमिंटन टीम ने 2022 के थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत के लिए पुरुषों के फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया।
- फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का 44वां संस्करण वर्तमान में पहली बार भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

भारत में लिंगानुपात

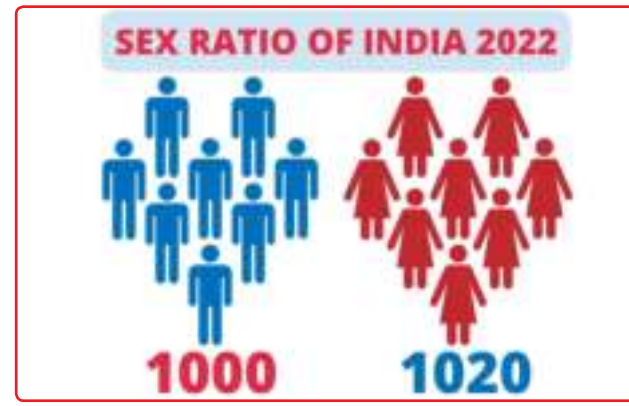

- हाल ही में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020 के अनुसार, उत्तराखंड में जन्म के समय सबसे खराब (844) लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) है और केरल में सबसे अच्छा (974) है।
- यद्यपि भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020

- वर्तमान रिपोर्ट में, भारत और बड़े राज्यों या केंद्र-शासित प्रदेशों के वर्ष 2020 के लिए प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों पर डेटा शामिल है।
- इस रिपोर्ट को जहां कहीं आवश्यक हो, अनुमान निवास और लिंग के आधार पर अलग किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य अंश

जन्म के समय लिंगानुपात

- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-20 में 907 (ग्रामीणों में 907 और शहरी क्षेत्रों में 910) हो गया।
- अनुपात प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों की संख्या को प्रदर्शित कर सकता है।
- इस बीच, उत्तराखंड का लिंगानुपात चार अंक नीचे गिर गया, क्योंकि यह 2017-2019 की अवधि के लिए अंतिम आरजीआई रिपोर्ट में 848 था।
- केरल (973) और उत्तराखंड (853) में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात था ।
- शहरी क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात केरल में 975 से लेकर उत्तराखंड में 821 तक था।
- उत्तराखंड में जन्म के समय विषम लिंगानुपात के बाद से पांच पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन 70% महिलाओं के पास अभी भी पारिवारिक संपत्ति, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच नहीं है।
- अपने परिवारों के भीतर, महिलाएं अभी भी निष्क्रिय रूप से स्वयं को " द्वितीय श्रेणी के नागरिक " के रूप में स्वीकार करने को विवश हैं।
- महिलाओं में निर्णय लेने, बिना किसी भय के बोलने और एक जिम्मेदार और उत्पादक वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित होने की क्षमता कम हुई है।

बाल मृत्यु दर

- एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में, भारत ने बाल मृत्यु दर में और अधिक कमी लाने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में 2014 से आईएमआर, यू5एमआर और एनएमआर में उत्तरोत्तर कमी देखी जा रही है।
- छह राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने पहले ही एनएमआर (<=12 2030 तक) का एसडीजी लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें केरल (4), दिल्ली (9), तमिलनाडु (9), महाराष्ट्र (11), जम्मू और कश्मीर (12) और पंजाब (12) शामिल हैं।
- ग्यारह राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने पहले ही U5MR (<=25 तक 2030) का एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जिसमें केरल (8), तमिलनाडु (13), दिल्ली (14), महाराष्ट्र (18), जम्मू-कश्मीर (17), कर्नाटक (21)। पंजाब (22), पश्चिम बंगाल (22), तेलंगाना (23), गुजरात (24), और हिमाचल प्रदेश (24) शामिल हैं।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के विषय में

- भारत में एसआरएस विश्व के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों में से एक है, जिसमें लगभग 8. 2 मिलियन नमूना आबादी शामिल है।
- यह भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्थायी विभाग है।
- कार्यालय की स्थापना 1961 में भारत की जनगणना और भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण के लिए किया गया था।
- रजिस्ट्रार का पद सामान्य तौर पर एक सिविल सेवक के अंतर्गत होता है, जो संयुक्त सचिव का पद धारण करता है।
- यह एक एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट के माध्यम से जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और विभिन्न अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है ।
- एसआरएस (केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास) 1971 से राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रजनन और मृत्यु दर पर सूचना के मुख्य स्रोत के रूप में काम कर रहा है।
- एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट में व्यापक आयु समूहों, लिंग और वैवाहिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या संरचना पर डेटा शामिल है।

मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट

- केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को 30 नवंबर तक प्रत्येक जिले में मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को 30 नवंबर तक प्रत्येक जिले में मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य कार्य को पूरा करने में देश भर के स्थानीय प्राधिकरण निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य है।
- जिन राज्यों ने 2021-22 में सोशल ऑडिट नहीं किया है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
- कई लोगों ने ऐसा नहीं करने के कारण के रूप में कोविड -19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने को जिम्मेदार ठहराया है।

मध्याह्न भोजन योजना

- मध्याह्न भोजन योजना भारत में 15 अगस्त 1995 को ' प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई)' के रूप में शुरू की गई थी।
- अक्टूबर 2007 में इसके नाम में परिवर्तन करते हुए 'स्कूलों में मिड-डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया, जिसे मिड-डे मील (एमडीएम) योजना के रूप में भी जाना जाता है।
- कार्यक्रम का वर्तमान संस्करण, 2021 में पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण का नाम बदल दिया गया।

- इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), मकतबों और मदरसों में नामांकित सभी बच्चों (कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले) को प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य

- समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के स्कूलों में नामांकन बढ़ाना।
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना।
- प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों, विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।
- भूख और कुपोषण को दूर करना और जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना।

कार्यान्वयन और वित्तपोषण

- प्रत्येक राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश को इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर राज्य संचालन-सह-निगरानी समितियों (एसएसएमसी) की स्थापना करनी होगी, जिसमें भोजन की गुणवत्ता और पोषण मानकों को बनाए रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करना शामिल है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसकी लागत केंद्र (60%) और राज्यों (40%) के मध्य साझा की जाती है।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए साझाकरण 90:10 है, जबकि केंद्र-शासित प्रदेशों में (जहां विधायिका नहीं है) यह लागत का 100% वहन करता है।

सोशल ऑडिटिंग के लाभ

- यह योजना के विषय में लाभार्थियों के मध्य जागरूकता पैदा करता है।
- यह जनता/लाभार्थियों को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है।
- यह समस्याओं का समाधान करता है और जमीनी स्तर पर बाधाओं की पहचान करता है, ताकि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- यह जमीनी स्तर पर योजना को लोकप्रिय बनाने और मजबूत करने में भी मदद करता है।

'ऑपरेशन मेघचक्र'

- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ 20 राज्यों में 56 स्थानों पर 'ऑपरेशन मेघचक्र' चलाया है।
- सीबीआई ने न्यूजीलैंड की इंटरपोल इकाई से इनपुट का उपयोग करके अभ्यास कोड-नाम 'ऑपरेशन मेघचक्र' शुरू किया।
- सीबीआई ने 2021 में देश भर में 76 स्थानों पर इसके जैसा ही अभ्यास "ऑपरेशन कार्बन" चलाया था।
- सीबीआई देश में साइबर अपराधों की जांच के लिए साइबर अपराध इकाई स्थापित करने वाली पहली जांच एजेंसी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

- यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
- यह संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
- सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान निदेशक हैं।

खाद्य पैकेजिंग लेबल पर जल्द ही दिखाई देंगे पोषण रेटिंग स्टार

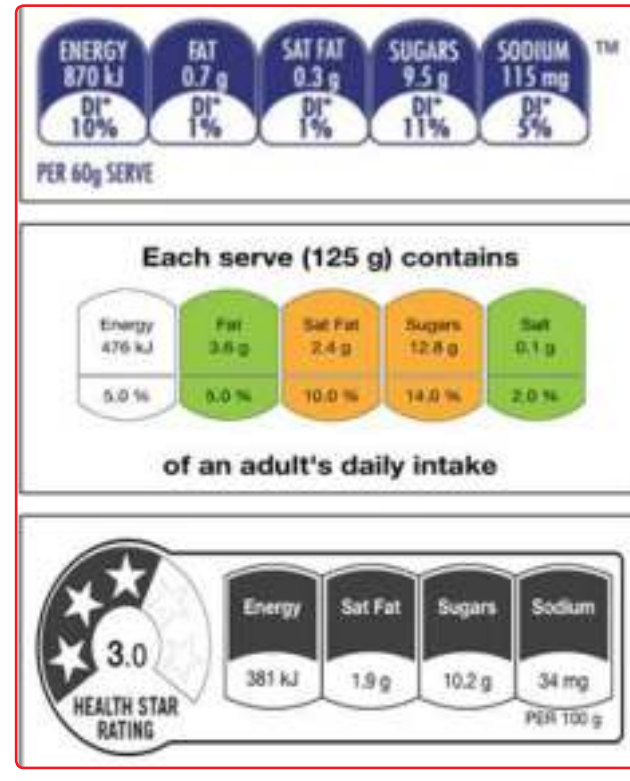

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग पर मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसने स्वास्थ्य स्टार-रेटिंग प्रणाली के आधार पर "भारतीय पोषण रेटिंग" (INR) का प्रस्ताव दिया है।
- 20 सितंबर को, संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के मसौदे को सार्वजनिक किया गया था।
- पैकेज्ड फूड को 1/2 स्टार (कम से कम स्वस्थ) से 5 स्टार (स्वास्थ्यप्रद) की रेटिंग देकर आईएनआर के निर्धारित प्रारूप को प्रदर्शित करना आवश्यक है।

- आईएनआर ऊर्जा, संतृप्त वसा, कुल चीनी, सोडियम और पॉजिटिव पोषक तत्वों के प्रति 100 ग्राम ठोस भोजन या 100 मिलीलीटर तरल भोजन के योगदान के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- किसी उत्पाद को दिया गया स्टार, पैक के सामने उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के निकट प्रदर्शित किया जाएगा।
- दूध और दूध उत्पाद, मट्ठा, मक्खन तेल, घी, वनस्पति तेल और वसा, ताजा और फ्रोज़ेन फल और सब्जियां, ताजा और फ्रोज़ेन मांस, अंडा, मछली, आटा और स्वीटनर सहित कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमन से छूट दी गई है।

सियाचिन में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई

- उपग्रह ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा भारतीय सेना द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 10,061 फीट की ऊंचाई पर शुरू की गई है।
- यह मील का पत्थर भारतीय सेना के XIV कोर या फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के 'सियाचिन सिग्नलर्स' द्वारा हासिल किया गया है।
- यह उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा भारत में GSAT 19 and GSAT 11 जैसे संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- सियाचिन ग्लेशियर के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाएगी।
- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान की है।
- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। यह भारतनेट परियोजना को पूरे भारत में लागू कर रहा है।
- फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स या XIV कॉर्प्स भारतीय सेना की उत्तरी कमान का हिस्सा है।
- सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। 1984 में 'ऑपरेशन मेघदूत' के बाद, यह भारत के रणनीतिक नियंत्रण में आया।

ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 'भारत विद्या' लॉन्च

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर 2022 को एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 'भारत विद्या' लॉन्च किया।
- 'भारत विद्या' ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
- इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (BORI) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- यह कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान से संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और सशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

- इस मंच के माध्यम से छह पाठ्यक्रम - वेद विद्या, भारतीय दर्शनशास्त्र, संस्कृत शिक्षा, महाभारत के 18 पर्व, पुरातत्व और कालिदास और भाषा के मूल सिद्धांत प्रदान किए जाएंगे।
- पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार डिजाइन किया गया है।

भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (BORI)

- इसकी स्थापना 6 जुलाई 1917 को हुई थी।
- यह पुरानी संस्कृत और प्राकृत पांडुलिपियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है।
- इसके पास दक्षिण एशिया में दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है।
- यह पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।

सरकार द्वारा कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू किया गया

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए एक संयुक्त कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है।
- पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बीच कृषि भवन, नई दिल्ली में शुरू किया गया है।
- संयुक्त पोर्टल का उद्देश्य है कि सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मिलकर देश की जनता को उनकी क्षमता के अनुसार सेवा प्रदान करें।
- यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है और 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को भी बढ़ावा देगा।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए एआईएफ को लागू कर रहा है।
- यह 08 जुलाई, 2020 को शुरू की गई मध्यम से लंबी अवधि की ऋण वित्तपोषण सुविधा है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई)

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इस क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र प्रायोजित पीपीएमएफएमई योजना शुरू की।
- इसे 29 जून, 2020 को "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

- यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है।

'2022 भारत के लिए शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट: शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'

- हाल ही में, यूनेस्को ने '2022 भारत के लिए शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट: शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' जारी की। यह वार्षिक रिपोर्ट का चौथा संस्करण है।
- रिपोर्ट को यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय के मार्गदर्शन में शोधकर्ताओं की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा विकसित किया गया है।
- रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें एआई द्वारा हल किया जा सकता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई बाजार के 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- इसमें कहा गया है कि एआई साक्षरता प्रयासों का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- यह प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाने की सिफारिश करता है।
- इसमें कहा गया है कि सभी छात्रों और शिक्षकों के पास नवीनतम तकनीक तक पहुंच होनी चाहिए।
- यह निजी क्षेत्र से एआई उत्पाद बनाने में छात्रों और शिक्षाविदों को शामिल करने का आग्रह करता है।
- इसने गुणवत्ता और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में एआई के एकीकरण पर जोर दिया।

ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करेगी

- आयोग उन अनुसूचित जातियों या दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करेगा, जिन्होंने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपनाया है।
- आयोग में तीन या चार सदस्य होने की संभावना है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रैंक के होंगे।
- आयोग वर्तमान एससी सूची में अधिक सदस्यों को जोड़ने के प्रभाव का भी अध्ययन करेगा।
- 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिफारिश की थी कि एससी का दर्जा धर्म से पूरी तरह से अलग कर दिया जाना चाहिए और इसे एसटी की तरह दिया जाना चाहिए।
- 2007 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी कहा कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की जरूरत है।
- वर्तमान में केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण है।
- सरकार के पास वर्तमान में दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों पर कोई निश्चित डेटा नहीं है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत (201 मिलियन) अनुसूचित जाति से है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है।

केंद्र सरकार के पैनल ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक निकाय बनाने की सिफारिश की

- केंद्र सरकार के एक पैनल के अनुसार, ऑनलाइन गेम को विनियमित करने और निषिद्ध प्रारूपों को ब्लॉक हेतु लिए नियम बनाने के लिए एक नियामक निकाय का गठन किया जाना चाहिए।

- मोबाइल गेमिंग उद्योग के 2025 तक लगभग 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- नियामक निकाय यह निर्धारित करेगा कि कोई खेल कौशल का खेल है या नहीं। पैनल सजा और अवरुद्ध शक्तियों के प्रावधान के साथ एक ऑनलाइन गेमिंग कानून बनाने की भी सिफारिश करता है।
- नया फ्रेमवर्क फ्री और पे-टू-प्ले स्किल गेम्स दोनों पर लागू होगा।
- पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट भारत में 'चांस के खेल' को प्रतिबंधित कर सकता है।
- नियामक निकाय नई कंपनियों के लिए प्रवेश बाधाओं और जांच को बढ़ा सकता है।
- ऑनलाइन गेम के प्रसार ने युवाओं में एक लत पैदा कर दी है, जिससे अक्सर वित्तीय नुकसान होता है।
- राजस्व विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई को किसी भी "संदिग्ध लेनदेन" को रिपोर्ट करना चाहिए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया

- हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को स्वच्छ सुजल प्रदेश का प्रमाण पत्र सौंपा।
- अंडमान और निकोबार द्वीप के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है।
- मंत्री ने कहा कि द्वीपों की उपलब्धि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगी।

सुजल और स्वच्छ राज्य के तीन महत्वपूर्ण घटक नीचे दिए गए हैं:

- सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रबंधन।
- ओडीएफ प्लस: ओडीएफ सतता एवं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम)।
- अभिसरण, आईईसी, कार्य योजना, आदि जैसे क्रॉस-कटिंग हस्तक्षेप।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 22 मार्च, 2021 (विश्व जल दिवस) पर ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन के साथ 100% कवरेज के लिए घोषित किया गया था।
- गोवा और तेलंगाना के बाद, यह देश का तीसरा राज्य / केंद्र-शासित प्रदेश बन गया, जिसने 100% ग्रामीण घरों में नल के पानी का कवरेज हासिल किया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में जेलों में ऑक्यूपेंसी दर में वृद्धि हुई है: कारागार सांख्यिकी इंडिया रिपोर्ट 2021

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने कारागार सांख्यिकी इंडिया (PSI) 2021 रिपोर्ट प्रकाशित किया है।
- ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की संख्या 2020 में 1,306 से बढ़कर 2021 में 1,319 हो गई है।
- भारत में, राजस्थान में सबसे अधिक जेल (144) हैं, इसके बाद तमिलनाडु (142), मध्य प्रदेश (131), और आंध्र प्रदेश (106) का स्थान है।
- दिल्ली में सबसे अधिक केंद्रीय जेल (14) हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डीएनएच और दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में कोई केंद्रीय जेल नहीं है।
- जेलों की क्षमता 2020 में 4,14,033 से बढ़कर 2021 में 4,25,609 हो गई है, जो 2.8% की वृद्धि है।
- विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की संख्या में 13.4% की वृद्धि (2020 में 4,88,511 से 2021 में 5,54,034) हुई है।
- उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता सबसे अधिक है (75 जेलों में 63,751 कैदियों की क्षमता), इसके बाद बिहार (59 जेलों में 47,750 कैदियों की क्षमता) और मध्य प्रदेश (131 जेलों में 29,571 कैदियों की क्षमता) है।
- 21.3% जेल आबादी के साथ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कैदी हैं, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान हैं।
- दोषी कैदियों की संख्या 2020 में 1,12,589 से बढ़कर 2021 में 1,22,852 हो गई है, जो 9.1% की वृद्धि है।
- विचाराधीन कैदियों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई है, जो 2020 में 3,71,848 से बढ़कर 2021 में 4,27,165 हो गई है।

- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विचाराधीन और दोषी कैदियों की संख्या दर्ज की गई है।
- 2020-21 के दौरान, नजरबंद व्यक्ति की संख्या 2020 में 3,590 से घटकर 2021 में 3,470 हो गई।
- 1,867 बच्चों के साथ 1,650 महिला कैदी हैं, बच्चों के साथ कुल महिला कैदियों में से 1,418 महिला कैदी विचाराधीन कैदी हैं।
- कैदियों की अधिकतम संख्या 18-30 आयु वर्ग (2,41,320 कैदी) की है।
- 31 दिसंबर 2021 तक, भारत की विभिन्न जेलों में मृत्युदंड के साथ 472 कैदी बंद थे।
- जेलों में मौतों की संख्या 2020 में 1,887 से बढ़कर 2021 में 2,116 हो गई है।
- 2021 के दौरान कुल 312 कैदी फरार हो गए और इस दौरान जेल ब्रेक की 17 घटनाएं भी हुईं।

साल	जेलों की संख्या	जेलों की वास्तविक क्षमता	ऑक्यूपेंसी दर साल के अंत में
2019	1351	400934	120.1%
2020	1306	414033	118.0%
2021	1319	425609	130.2%

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नि-क्षय 2.0 पोर्टल को भी लॉन्च किया। यह टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए दाताओं के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा।
- नया पोर्टल नि-क्षय 2.0 एक उन्नत संस्करण है। इससे लोगों को आसानी से जानकारी मिल सकेगी।
- नि-क्षय 2.0 पोर्टल टीबी मुक्त होने के लिए सामुदायिक समर्थन की अवधारणा पर आधारित है।
- इस नि-क्षय 2.0 पोर्टल पर मेंटर्स को नि-क्षय मित्र कहा जाएगा। नि-क्षय मित्र पोषण, नैदानिक, व्यावसायिक और अतिरिक्त पोषण पूरक सहायता का चयन कर सकते हैं।
- नि-क्षय मित्र समर्थन की अवधि भी चुन सकते हैं और राज्य, जिला, ब्लॉक और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी चयन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन किया

- राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन किया।
- ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। यह वह जगह है, जहां हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड होती है।
- इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा का भी अनावरण किया।
- 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर बोस की एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
- मुख्य मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है।
- ये कदम अमृत काल में एक नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे 'पंच प्राण' –'औपनिवेशिक मानसिकता का निशान मिटाएं' के अनुरूप हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को मंजूरी दी

- पीएम श्री स्कूल एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 14500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए होगी।
- योजना के तहत, केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे चुनिंदा मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 27360 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ पीएम श्री स्कूलों की योजना को लागू किया जाना है।
- इसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 18128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।
- समग्र शिक्षा, केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से पीएम श्री स्कूल को लागू किया जाएगा।
- पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा।
- 18 लाख से अधिक छात्रों को योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- पीएम श्री एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।
- पीएम श्री उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखेगी।
- पीएम श्री स्कूल मेंटरशिप प्रदान करके अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करेंगे।
- पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- वे सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण और कटाई जैसे पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल करेंगे।
- पीएम श्री स्कूलों में शिक्षाशास्त्र अधिक अनुभवात्मक, खेल/खिलौना आधारित, पूछताछ-संचालित, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला और मनोरंजक होगा।

तीन भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए

- तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूर और नीलांबुर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज (जीएनएलसी) में शामिल हुए हैं।
- त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नीलांबुर केरल का एक इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन है। वारंगल में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।
- उन्हें स्थानीय स्तर पर सभी के लिए आजीवन सीखने को एक वास्तविकता बनाने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान में शामिल किया गया है।
- वे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में देश के पहले प्रवेशकर्ता बने।
- यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर के 44 देशों के 77 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं।

- इस नेटवर्क में बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, एथेंस, इंचियोन, ब्रिस्टल और डबलिन जैसे शहर शामिल हैं।
- यूनेस्को ने कहा कि 77 नए सदस्यों के साथ यूनेस्को जीएनएलसी के भीतर शहरों की कुल संख्या 76 देशों में 294 तक पहुंच गई है।

यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज

- यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ प्रेरणा, जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक अंतरराष्ट्रीय नीति-उन्मुख नेटवर्क है।
- यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफलॉन्ग लर्निंग (यूआईएल) यूनेस्को जीएनएलसी का समन्वय करता है।

2021 में लगभग 4 लाख सड़क दुर्घटना के मामले सामने आए: एनसीआरबी

- एनसीआरबी ने भारत में यातायात दुर्घटनाओं पर विस्तृत डेटा एकत्र किया है। 'यातायात दुर्घटनाओं' के आंकड़ों में सड़क दुर्घटनाएं, रेलवे दुर्घटनाएं और रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाएं शामिल हैं।
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 'यातायात दुर्घटनाओं' की संख्या 2020 में 3,68,828 से बढ़कर 2021 में 4,22,659 हो गई है।
- इन 'यातायात दुर्घटनाओं' में 4,03,116 सड़क दुर्घटनाएं, 17,993 रेलवे दुर्घटनाएं और 1,550 रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाएं हुईं।
- प्रति हजार वाहनों पर सड़क हादसों में मृत्यु दर भी 2020 में 0.45 से बढ़कर 2021 में 0.53 हो गई है।

- 'यातायात दुर्घटनाओं' में सबसे अधिक वृद्धि तमिलनाडु (46,443 से 57,090) में दर्ज की गई है, इसके बाद मध्य प्रदेश (43,360 से 49,493), और उत्तर प्रदेश (30,593 से 36,509 तक) का स्थान है।
- वर्ष 2021 में यातायात दुर्घटनाओं में 3,73,884 लोग घायल हुए और 1,73,860 लोगों की मौत हुई।
- 'यातायात दुर्घटनाओं' से सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (24,711 मौतें), इसके बाद तमिलनाडु (16,685 मौतें) और महाराष्ट्र (16,446 मौतें) में दर्ज की गई हैं।
- 2021 में पिछले साल की तुलना में 18.8% अधिक आकस्मिक मौतें हुईं।
- यातायात दुर्घटनाओं की अधिकतम संख्या 18:00 बजे - 21:00 बजे के दौरान हुई।
- सड़क दुर्घटनाओं के मामले 2020 में 3,54,796 से बढ़कर 2021 में 4,03,116 हो गए हैं।
- सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दोपहिया (69,240 मौतें), इसके बाद कारों (23,531 मौतें) और ट्रकों/लॉरियों (14,622 मौतों) का स्थान हैं।

भारत में 2021 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के निम्नलिखित कारण हैं:

- ओवर-स्पीडिंग (55.9%)
- खतरनाक/लापरवाह ड्राइविंग या ओवरटेकिंग (27.5%)
- खराब मौसम की स्थिति
- नशीले पदार्थ/शराब के प्रभाव में ड्राइविंग करना
- मोटर वाहनों में यांत्रिक दोष

सरकार ने महिला कर्मचारियों लिए विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा की

- जन्म के बाद तुरंत मौत या मृत बच्चे के जन्म की स्थिति में, केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश का उपयोग कर सकती हैं।
- यह कार्यक्रम महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और एक माँ की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक भलाई की रक्षा करेगा।
- केंद्र सरकार ने यह फैसला प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत से होने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए लिया है।
- इस पहल के तहत, 'स्टिलबर्थ' को 28 सप्ताह के गर्भ में या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं हैं।
- विशेष मातृत्व अवकाश केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 'स्पार्क' कार्यक्रम

- केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों की सहायता के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क) कार्यक्रम विकसित किया है।
- यह पहल मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के शोध प्रयासों का समर्थन करेगी।
- फेलोशिप योजना और आवेदन पोर्टल 2 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है।
- युवा स्नातक छात्रों के अनुसंधान विचार को आगे समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए स्पार्क कार्यक्रम विकसित किया गया है।
- स्पार्क कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। चयनित अध्येताओं को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद

- यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- यह आयुर्वेद और सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के समन्वय, विकास और प्रचार के लिए जिम्मेदार है।
- इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान या अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।

सरकार ने तीन बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी

- "बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने" की योजना के तहत, औषध विभाग ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को "सैद्धांतिक" मंजूरी दी है।
- भारत में बल्क ड्रग विनिर्माण को समर्थन देने के लिए "बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने" की योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे 2020 में 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था।
- सरकार इन राज्यों को बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य थोक दवाओं के निर्माण की लागत को कम करना है।
- बल्क ड्रग पार्क हरोली तहसील, हिमाचल प्रदेश, जम्बूसर तहसील, गुजरात और पूर्वी गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे।
- इन राज्यों को अगले 90 दिनों में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करनी है।
- यह केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 1,75,040 करोड़ रुपये के दवाओं का निर्यात किया। भारतीय औषध उद्योग आकार के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है।

पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया

- पीएम मोदी ने 02 सितंबर 2022 को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया।
- विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ-साथ 100 से अधिक एमएसएमई द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है।
- आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत है।
- इसे भारतीय नौसेना के इन-हाउस वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है।
- यह भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसे 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
- विक्रांत के कमीशन होने के साथ, भारत के पास अब दो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं।
- आईएनएस विक्रांत का नाम इसके पूर्ववर्ती, भारत के पहले विमान वाहक के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भारत का पहला विमानवाहक पोत, ब्रिटिश मूल का जहाज, विक्रांत (आर11) था। यह 1997 में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ।

नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया

- नीति आयोग ने पवित्र शहर हरिद्वार को पांच मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है।
- बेहतर प्रदर्शन के लिए हरिद्वार को अतिरिक्त तीन करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- बुनियादी ढांचे में हरिद्वार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरिद्वार पिछड़ रहा है।
- प्रशासन आवंटित राशि का उपयोग रुड़की और हरिद्वार में उप जिला अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए करेगा।
- आकांक्षी जिलों के योजना मानदंडों के अनुसार, जिलों को राज्य और केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इसे अंतिम अनुमोदन के लिए नीति आयोग को भेजना चाहिए।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में देश भर में अल्प विकसित जिलों के विकास के लिए शुरू किया गया था।
- यह प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है और तत्काल सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है।
- नीति आयोग हर महीने जिलों की रैंकिंग जारी करता है।
- रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित है: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढांचा।

एआईबीडी की 47वीं वार्षिक सभा

- हाल ही में, एशिया-प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की भारत की अध्यक्षता को एक और वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है।
- विदित है कि भारत को आगामी एक वर्ष के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है।
- हाल ही में, 47वीं एआईबीडी वार्षिक सभा/20वीं एआईबीडी सामान्य सम्मेलन और संबद्ध बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं।
- सभी भागीदार देशों और सदस्य प्रसारकों ने एक स्थायी प्रसारण वातावरण, नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी, बेहतरीन सामग्री निर्माण और विभिन्न सहकारी गतिविधियों के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
- ज्ञातव्य है कि सम्मेलन के दौरान एक पंचवर्षीय योजना के रूप में सहकारी गतिविधियों और विनिमय कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया गया।
- महामारी पश्चात प्रसारण क्षेत्र में एक मज़बूत भविष्य का निर्माण विषय पर विमर्श किया गया।

एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी)

- एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी।
- यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत (यूएन-ईएससीएपी) के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- यूएन-ईएससीएपी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकार क्षेत्र में पाँच क्षेत्रीय समितियों में से एक है।
- संगठन का गठन एशिया और सुदूर पूर्व में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्र और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मध्य आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया था।

उद्देश्य

- एआईबीडी नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और एकजुट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।
- क्षेत्रीय नीति निर्माताओं को विश्वव्यापी मास मीडिया नीति निर्माण और विनियमों और इसके विपरीत जानकारी तक पहुंचने के लिए एक विंडो प्रदान करना।
- मीडिया और संचार विकास के लिए अंतर-क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग स्थापित करना।

सचिवालय

- इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है और यह मलेशिया सरकार द्वारा होस्ट किया जाता है।

सदस्य

- एआईबीडी में वर्तमान में कुल 26 देश हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 43 संगठनों और 52 संबद्ध सदस्यों द्वारा किया जाता है।

भारत-श्रीलंका संबंध और तमिल अल्पसंख्यक मुद्दा

- हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 51वें सत्र में तमिल अल्पसंख्यक मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए किये गये प्रतिबद्धताओं पर औसत दर्जे की प्रगति से भी कम प्रयास के लिए श्रीलंका की आलोचना की।
- विदित है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि श्रीलंका ने तमिल मुद्दे के समाधान पर कोई प्रगति नहीं की है, जो चिंता का विषय है।

जारी वक्तव्य और इसके निहितार्थ

- भारत ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही, मानवाधिकार को प्रोत्साहन देने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की रिपोर्ट पर एक परिचर्चा के दौरान तमिल अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया।
- भारत ने कहा कि वह मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप रचनात्मक अंतराष्ट्रीय वार्ता एवं सहयोग करने में विश्वास रखता है।

- भारत का यह बयान श्रीलंका पर एक प्रस्ताव के पूर्व आया है, जिस पर परिषद में मतदान होने की संभावना है।
- 2009 के बाद से, भारत ने श्रीलंका पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में तीन बार मतदान किया है, जिनमें से दो महत्वपूर्ण थे और 2014 और 2021 में दो बार भारत अनुपस्थित रहा है।
- इसके बाद भी भारत ने लगातार "श्रीलंका के ढांचे के भीतर" एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- भारत ने यूएन में एक संयुक्त श्रीलंका, श्रीलंका के तमिलों के लिए न्याय, शांति, समानता और सम्मान सुनिश्चित करने जैसी बातों को दोहराया है।
- वर्ष 2001 की सरकारी जनगणना के अनुसार, श्रीलंका की मुख्य जातीय आबादी में सिंहली (82%), तमिल (9.4%) और श्रीलंकाई मूर (7.9%) शामिल हैं।

भारत ने यूएनएचआरसी में श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक मुद्दे को क्यों उठाया?

- श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस गृहयुद्ध में तकरीबन 80 हजार से लेकर एक लाख लोग सन 1982 से 2009 के बीच मारे जा चुके थे।
- इससे प्रभावित लोग युद्ध के समय के अपराधों के लिए न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
- युद्ध के बाद के वर्षों में, लगातार सैन्यीकरण पर चिंता व्यक्त की गई, विशेष रूप से तमिल-बहुसंख्यक उत्तर और पूर्व के क्षेत्रों में बढ़ता सैन्यीकरण।
- श्रीलंका पर नवीनतम रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि "अतीत और वर्तमान मानवाधिकारों के हनन, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के लिए अंतर्निहित दण्ड से मुक्ति देश के विनाशकारी आर्थिक संकट का कारण बनने वाले अंतर्निहित कारकों में से थी"।
- वास्तव में, वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद से ही श्रीलंका या तत्कालीन 'सीलोन' जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था।
- श्रीलंकाई बहुसंख्यकों ने औपनिवेशिक काल के दौरान तमिलों के प्रति ब्रिटिश पक्षपात का विरोध किया और आज़ादी के बाद के वर्षों में तमिल प्रवासियों को विस्थापित करके सिंहल को आधिकारिक भाषा बना दिया।
- 1972 में सिंहलियों ने द्वीप का नाम 'सीलोन' से बदलकर श्रीलंका कर दिया और इसका प्राथमिक धर्म बौद्ध कर दिया गया।

श्रीलंका में तमिल मुद्दा

- सिंहली और तमिल समुदायों के मध्य सांप्रदायिक तनाव 1940 के दशक की शुरुआत से ही चल रहा था।
- श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के मध्य लगभग तीन दशक से चल रहे सशस्त्र संघर्ष का अंत मई 2009 में हुआ।
- तब से, भारत सरकार श्रीलंकाई सरकार को तमिलों को सत्ता के अधिक से अधिक हस्तांतरण के लिए प्रयास करने हेतु कदम उठाने की मांग कर रही है।
- भारत द्वारा जातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान के माध्यम से राष्ट्रीय मेल-मिलाप की आवश्यकता को उच्चतम स्तरों पर दोहराया गया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है।
- इसकी स्थापना 15 मार्च, 2006 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा चुने जाते हैं।
- परिषद के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवा करते हैं और लगातार दो कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना है कि निम्नलिखित मानवाधिकार मुद्दों को अधिकतम सीमा तक संबोधित किया जा सके:
  - सदन की स्वतंत्रता
  - अभिव्यक्ति की आज़ादी
  - धर्म की स्वतंत्रता
  - महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा
  - एलजीबीटी समुदाय और नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना

ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन रिपोर्ट

- हाल ही में, स्वास्थ्य और प्रवास पर डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एविडेंस रिव्यू की चौथी रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
- विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के इस रिपोर्ट के अनुसार, संक्रमण की बढ़ती संभावना की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य सेवा की खराब पहुंच के कारण शरणार्थी और प्रवासी आबादी विशेष रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के प्रति संवेदनशील हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

शरणार्थियों और प्रवासी आबादी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध

- रिपोर्ट के अनुसार, संक्रमण की बढ़ती संभावना की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य सेवा की खराब पहुंच के कारण शरणार्थी और प्रवासी आबादी विशेष रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के प्रति संवेदनशील हैं।
- रिपोर्ट में उल्लिखित है कि इन आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें विषम हैं और मेजबान देशों की क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
- एएमआर के कारण विश्व भर में हर साल 1.27 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है।
- इस पूरी सदी में अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों और प्रवासी आबादी में वृद्धि देखी गई है, जो 2020 में 281 मिलियन या वैश्विक आबादी का लगभग 3.5 प्रतिशत है।

मुख्य कारण

प्राथमिक कारण

- जबकि एएमआर अंततः अपरिहार्य है , लंबे समय तक नशीली दवाओं का उपयोग शरीर को इसके लिए प्रतिरोधी बना देगा।
- इसके वर्षों के दुरुपयोग और अति प्रयोग से प्रगति तेज हो गई है। लेकिन यह वृद्धि का एकमात्र संकेतक नहीं है।

प्रवासी विशिष्ट कारण

- रिपोर्ट में कहा गया है, "जिन परिस्थितियों में शरणार्थी और प्रवासी अपने मूल देशों को छोड़ कर अपने गंतव्य देशों में चले जाते हैं, उससे संक्रमण में वृद्धि हो सकती है, साथ ही स्वास्थ्य देखभाल में रुकावटें और बाधाएं भी आ सकती हैं।"

अन्य कारण प्रमुख बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं

- डॉक्टर से परामर्श करने के लिए लंबा इंतजार, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित क्षमता,
- उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत,
- एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित नुस्खे और
- अनुवादित सामग्री या व्याख्या सेवाओं का अभाव
- विश्लेषण से पता चला है कि दुनिया भर में एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में ये प्रमुख बाधाएं हैं।
- इसने कई लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए असुरक्षित साधनों का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया है ।

प्रमाण

- साक्ष्य का मूल्यांकन चार प्रमुख संकेतकों पर उपलब्ध लिटरेचर के आधार पर किया जाता है -
  - पहुँच,
  - उचित उपयोग,
  - पहुंच और उपयोग में बाधाएं और
- पहुंच और उपयोग में सुधार के लिए हस्तक्षेप।
- यद्यपि, पहले दो के आंकड़े दुर्लभ हैं, जो बड़े पैमाने पर उच्च आय वाले देशों से आते हैं और व्यावहारिक रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर)

- डब्ल्यूएचओ के अनुसार , रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) एक सूक्ष्मजीव (जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कुछ परजीवी) की क्षमता है , जो एक रोगाणुरोधी (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीमाइरियल) को इसके खिलाफ काम करने से रोकता है।
- फलतः मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण बना रहता है और दूसरों में फैल सकता है।

भारत में एएमआर पैदा करने वाले कारक

- ब्रॉड-स्पेक्ट्रम (अंतिम उपाय) एंटीबायोटिक दवाओं की अनुचित खपत अधिक है।
- आम जनता के बीच अनुपयुक्त एंटीबायोटिक का उपयोग अधिक।
- डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देने के लिए विवश हैं, क्योंकि रोगी जल्दी राहत के विचार से प्रभावित होता है।
- डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच गठजोड़ ने डॉक्टरों और फार्मासिस्टों पर नए एंटीबायोटिक्स लिखने का दबाव डाला है।
- खाद्य पशुओं और कुक्कुट में वृद्धि प्रवर्तक के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग एक सामान्य प्रथा है और बाद में यह खाद्य श्रृंखला में विकसित होती है।
- सीवेज का एक बड़ा हिस्सा अनुपचारित जल स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों में एंटीबायोटिक अवशेष, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीव गंभीर रूप से दूषित हो जाते हैं।

भारत-श्रीलंका एफटीए

- हाल ही में, श्रीलंका ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को उन्नत बनाकर व्यापक आर्थिक और प्रौद्योगिकीय भागीदारी करने को लेकर गंभीरता प्रकट की है।

पृष्ठभूमि

- भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता पहला द्विपक्षीय व्यापार करार था। समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किये गये थे और यह 2000 में प्रभाव में आया था।
- विदित है कि श्रीलंका और भारत के बीच वाणिज्यिक संबंधों ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर चिह्नित किया है, जब इसे श्रीलंका के पहले द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के रूप में 28 दिसंबर 1998 को भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- यद्यपि दोनों देशो के मध्य इसके उन्नत संस्करण पर एक समझौता होना शेष है।
- 2015 और 2019 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में विक्रमसिंघे ने भारत के साथ एक उन्नत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे।

भारत श्रीलंका संबंधों की पृष्ठभूमि

- सम्राट अशोक के शासन काल से ही भारत का श्रीलंका के साथ प्राचीन संबंध रहा है । दोनों देशों के मध्य संबंध बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विरासत के आधार पर बने हैं
- ज्ञातव्य है कि समय बीतने के साथ दोनों देशों के बीच संबंध अधिक परिपक्व और विविधतापूर्ण हो गए हैं, जिसमें समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्र शामिल हैं।
- दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत और उनके नागरिकों की लोगों से लोगों के मध्य जुडाव एक बहुआयामी साझेदारी के निर्माण की नींव प्रदान करती है।

भारत-श्रीलंका वाणिज्यिक संबंध

- श्रीलंका लंबे समय से भारत के साथ प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक प्राथमिक गंतव्य देश रहा है।

- श्रीलंका सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
- मार्च 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में विशेष रूप से तेजी से वृद्धि हुई।
- श्रीलंकाई सीमा शुल्क के अनुसार, 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 4.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- 2018 में भारत से श्रीलंका को निर्यात 4.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि श्रीलंका से भारत को निर्यात 767 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- श्रीलंका से भारत में निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं: बेस ऑयल, पोल्ट्री फीड, सुपारी, (अपशिष्ट और स्क्रैप) पेपर या पेपरबोर्ड, काली मिर्च, इग्निशन वायरिंग सेट, कॉपर वायर, मार्बल, ट्रैवर्टीन और एलाबस्टर।
- भारत से श्रीलंका में आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं: गैस तेल/डीजल, मोटरसाइकिल, फार्मास्युटिकल उत्पाद, पोर्टलैंड सीमेंट, लोहे के अर्ध-तैयार उत्पाद, सैन्य हथियार, ईंधन तेल, चावल, सीमेंट क्लिंकर, मिट्टी का तेल जेट ईंधन।
- भारत लगभग 1.239 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ श्रीलंका में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। जिसमें निवेश पेट्रोलियम खुदरा, आईटी, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, दूरसंचार, आतिथ्य और पर्यटन, बैंकिंग और खाद्य प्रसंस्करण (चाय और फलों के रस), तांबा और अन्य धातु उद्योग, टायर, सीमेंट, कांच निर्माण, और सहित विविध क्षेत्रों बुनियादी ढांचे का विकास (रेलवे, बिजली, पानी की आपूर्ति) शामिल हैं।

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- एफटीए दो या दो से अधिक देशों के मध्य आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता है।
- मुक्त व्यापार नीति के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें उनके विनिमय को बाधित करने के लिए बहुत कम या कोई सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी या निषेध नहीं है।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है।
- विदित है कि देश अक्सर एफटीए के लिए सहमत होते हैं, यदि उनके आर्थिक ढांचे पूरक हैं और प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

भारत का अन्य देशों के साथ एफटीए

- भारत ने 1998 में श्रीलंका के साथ अपने पहले मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए।
- इसी तरह, भारत का नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, आसियान, जापान और मलेशिया के साथ एफटीए कर चुका है।
- भारत ने तरजीही व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जैसे: बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका के साथ एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए)।
- भारत - मर्कोसुर पीटीए आदि दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ भी एफटीए किए हुए है।
- भारत वर्तमान में 6 सीमित कवरेज अधिमानी व्यापार समझौतों के अलावा अन्य देशों/क्षेत्रों के साथ 11 मुक्त व्यापार समझौते या क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं।
- रणनीतिक रूप से, एफटीए ने भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और इसके विकास को बढ़ाने में मदद की है।
- गत वर्ष वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की थी कि वह अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों को दूर करे।

एफटीए के प्रमुख लाभ

- टैरिफ में कमी या उन्मूलन, एफटीए भागीदार देश में उत्पाद मानकों के विकास में भाग लेने की क्षमता को बढ़ाता है, निवेशकों के लिए उचित और समान अवसर प्रदान करता है और एकाधिकार का उन्मूलन होता है।

घटती प्रजनन क्षमता के दुष्परिणाम

- वैश्विक जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि यह वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन तक बढ़ सकती है।
- यद्यपि इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि औसत वैश्विक प्रजनन क्षमता गत 70 वर्षों से लगातार घट रही है।

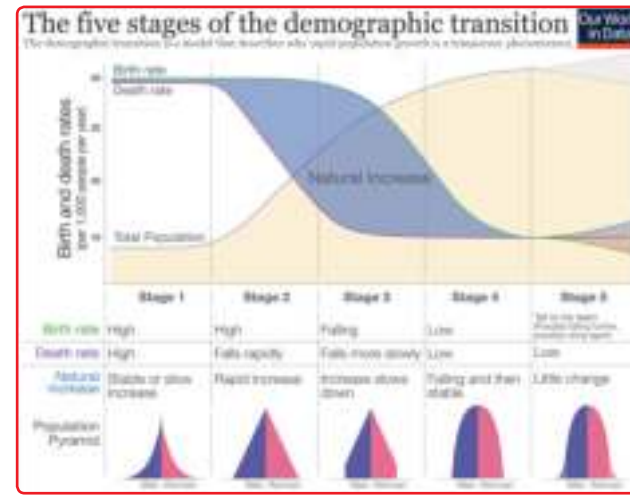

प्रजनन आयु वर्ग में गिरावट

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के अनुसार, विश्व जनसंख्या संभावना (डब्ल्यूपीपी) 2022 के अनुसार, प्रजनन आयु वर्ग में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में 50% की गिरावट आई है, 1951 में प्रति महिला औसतन 5 बच्चे से 2020 में 2.4 बच्चे हो गए हैं।

डब्ल्यूपीपी 2022 भारत से संबंधित निष्कर्ष

- 1972 में भारत की विकास दर 3% थी , जो अब घटकर 1% से भी कम हो गई है।

- इस अवधि में, कुल प्रजनन दर (टीएफआर) लगभग 5.4 से घटकर अब 2.1 से कम हो गई है।
- इसका आशय यह है कि भारत ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी (आरएलएफ) दर हासिल कर ली है, जिस पर एक आबादी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिल्कुल बदल जाती है।

जनसंख्या की बदलती प्रवृत्ति के कारण

- यह जनसांख्यिकीय संक्रमण की सामाजिक घटना को तेज करने का परिणाम है ।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण से तात्पर्य न्यूनतम प्रौद्योगिकी, शिक्षा (विशेषकर महिलाओं) और आर्थिक विकास वाले समाजों में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से ऐतिहासिक बदलाव से है।
- यह जनसांख्यिकीय संक्रमण, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम से कम प्रौद्योगिकी, शिक्षा (विशेष रूप से महिलाओं के) और आर्थिक विकास वाले समाजों में ऐतिहासिक बदलाव को संदर्भित करता है , उन्नत प्रौद्योगिकी, शिक्षा और आर्थिक विकास वाले समाजों में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के साथ-साथ इन दो परिदृश्यों के बीच के चरण होते हैं।
- ऐसा अनुमान है कि गरीब देश अमीर देशों की तुलना में जनसांख्यिकीय संक्रमण को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं।
- हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस में यह भी कहा गया है कि वैश्विक प्रजनन दर 1990 में तीन से गिरकर 2021 में 2.3 हो गई । उप-सहारा अफ्रीकी देशों के 2050 के बाद जनसंख्या वृद्धि में आधे से अधिक योगदान देने और 2100 तक बढ़ने की उम्मीद है। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उनकी प्रजनन दर 2.1 की प्रतिस्थापन दर से कम है।

भारतीय परिदृश्य

- नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 (एनएफएचएस- 5) के अनुसार, भारतीय परिदृश्य अलग नहीं है और इसकी प्रजनन दर 2021 में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 2.0 तक गिर रही है। केवल पांच वर्षों में दर 10% गिर गई है।
- आजादी के समय, भारत की प्रजनन दर (टीएफआर) प्रति महिला 6 थी और इसे 5 तक पहुंचने में 25 वर्ष लग गए थे।
- सरकार ने 1952 में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था।
- एनएफएचएस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल पांच राज्यों बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से अधिक है।

कम प्रजनन दर होने के लाभ

- कम प्रजनन क्षमता महिलाओं की शिक्षा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप आने वाली पीढ़ियों की प्रजनन क्षमता कम होती है।
- बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के साथ, प्रजनन क्षमता में गिरावट और आय में वृद्धि होती है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश अर्थात कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात आश्रित आयु समूहों की तुलना में अधिक होता है।
- कार्यबल में लोगों का यह उच्च अनुपात कम निर्भरता के कारण उच्च स्तर की बचत को देखते हुए आय और निवेश को बढ़ाता है।
- गिरती उर्वरता दर से भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर दबाव कम होगा और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।

प्रतिस्थापन स्तर से अधिक प्रजनन दर में गिरावट का कामकाजी आबादी के अनुपात पर प्रभाव

- TFR < RLF एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- महिलाओं में शिक्षा और स्वतंत्रता में वृद्धि से उनकी श्रम भागीदारी में वृद्धि होगी, जिससे श्रम भागीदारी में एक सीमा तक गिरावट को रोका जा सकता है।
- उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देशों से अप्रवासियों की आमद भी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, लेकिन इससे स्थानीय जनसांख्यिकी बदल जाएगी , जिससे राजनीतिक अशांति पैदा होगी।
- बढ़ती उम्र की आबादी वैश्विक ब्याज दरों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 2100 तक आबादी का लगभग 40% हो जाएगी।
- अपनी पुस्तक द ग्रेट डेमोग्राफिक रिवर्सल में, अर्थशास्त्री सूचित करते हैं कि कम श्रम आपूर्ति और बेरोजगारी मुद्रास्फीति व्यापार-बंद की प्रकृति में बदलाव के कारण उच्च मजदूरी के माध्यम से प्रजनन क्षमता में गिरावट का मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि अब कम मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी को भी बनाए रखा जा सकता है।

मानव विकास रिपोर्ट 2021-22

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के तत्वावधान में 2021-22 के लिए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रिपोर्ट प्रकाशित की है।

➲ विदित है कि 'अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स: शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड' शीर्षक नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लिखित है कि 90% से अधिक देशों के 2020 या 2021 में एचडीआई स्कोर में गिरावट दृष्टिगोचर हुई।

मानव विकास सूचकांक

➲ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत एक समग्र सूचकांक है, जो चार संकेतकों को केंद्र में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापन करता है:
- ➢ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (सतत विकास लक्ष्य 3);
- ➢ स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (एसडीजी 4.3);
- ➢ स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (एसडीजी 4.4); तथा
- ➢ सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) प्रति व्यक्ति (2017 पीपीपी$) (एसडीजी 8.5)।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

वैश्विक परिदृश्य

➲ COVID-19 महामारी, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और जलवायु संकट के कारण 90 प्रतिशत देशों में मानव विकास स्कोर में गिरावट आई।

➲ इस कमी ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को प्रभावित किया।

➲ मानव विकास सूचकांक की हालिया गिरावट में एक बड़ा योगदान जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है , जो 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है।

प्रतिवेदनानुसार भारत की स्थिति

➲ मानव विकास सूचकांक पर भारत की रैंक 2020 में 130 से गिरकर 2021 में 132 हो गई है।

➲ यह कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एचडीआई स्कोर में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है।

भारत का एचडीआई मूल्य

➲ वर्ष 2021 के दौरान भारत का एचडीआई मूल्य 0.633 था, जो विश्व औसत 0.732 से कम था।

➲ वर्ष 2020 में भी भारत ने 2019 के पूर्व-कोविड स्तर (0.645) की तुलना में अपने एचडीआई मूल्य (0.642) में गिरावट दर्ज की।

संकेतक-विशिष्ट मान

वर्ष 2021

➲ जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष थी;

➲ स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष थी;

➲ स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष; तथा

➲ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2017 पीपीपी) $6,590 है।

वर्ष 2022

➲ विदित है कि इन सभी चार मापदंडों पर भारत 2021 में विश्व औसत से पीछे था:
- ➢ जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष,
- ➢ 12.8 वर्ष की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष,
- ➢ स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 8.6 वर्ष और
- ➢ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2017 पीपीपी$) $16,752 है।

भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार

➲ वैश्विक परिप्रेक्ष्य के समान भारत के एचडीआई में 2019 में 0.645 से 2021 में 0.633 तक की गिरावट के लिए जीवन प्रत्याशा में गिरावट उत्तरदायी है।

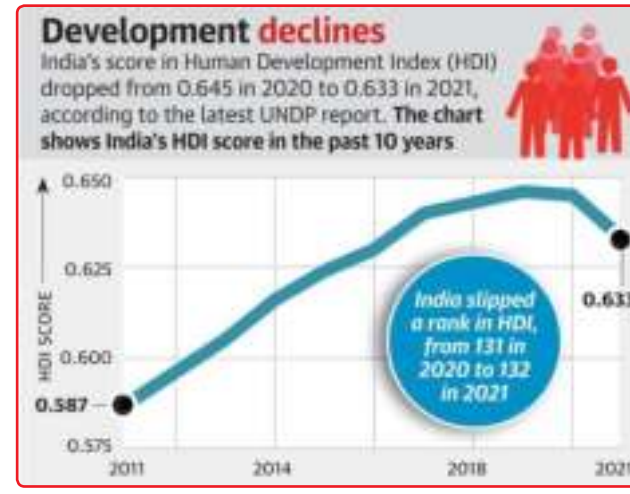

➲ भारत में वर्ष 2019 की तुलना में मानव विकास पर असमानता का प्रभाव कम है।

➲ भारत विश्व की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के मध्य मानव विकास की खाई को तेजी से कम कर रहा है।

➲ यह विकास पर्यावरण के अनुकूल है।

➲ अंतर सरकारी संगठन ने स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के निवेश की सराहना की, इन क्षेत्रों में सुधार के परिणामस्वरूप भारत को 1990 के बाद से वैश्विक मानव विकास औसत को प्राप्त करने में सहायता मिली है।

➲ देश स्वच्छ जल, स्वच्छता और मितव्ययी स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार कर रहा है।

➲ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हाल ही में देश द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों ने संवेदनशील जनसंख्या समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच बढ़ा दी है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)

➲ मानव विकास रिपोर्ट (HDR) वर्ष 1990 से प्रकाशित की जा रही है।

➲ मानव विकास सूचकांक (HDI) एक साधन है, जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि के मापन के लिए किया जाता है ।

➲ यह रैंक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को प्रदर्शित करता है।

➲ पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया और इसका उपयोग यूएनडीपी द्वारा राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक उपलब्धि पर एक रिपोर्ट बनाने में किया गया।

➲ इस वर्ष के एचडीआई के तहत कुल 191 देशों का विश्लेषण किया गया।

➲ रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स के रूप में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय (प्रति व्यक्ति) शामिल थे।

7वां पूर्वी आर्थिक मंच

- हाल ही में, रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया ।
- विदित है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित सातवें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना के साथ भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में औषधि और हीरे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है।
- वर्ष 2019 में भारत की एक्ट फार-ईस्ट नीति की घोषणा की गई थी।

पूर्वी आर्थिक मंच

- ईईएफ रूस के व्लादिवोस्तोक में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- यह पहली बार सितंबर 2015 में व्लादिवोस्तोक में सुदूर पूर्वी संघीय विश्वविद्यालय में रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए आयोजित किया गया था,।
- यह मंच रोसकांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोजन समिति द्वारा प्रायोजित है।
- यह मंच विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण और नए औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रूस और अन्य देशों के सामने वैश्विक चुनौतियों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है ।

सुदूर-पूर्व के विषय में

- यह रूस का सबसे पूर्वी भाग है ।
- यह दो महासागरों, प्रशांत और आर्कटिक और पांच देशों (चीन, जापान, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और डीपीआरके) की सीमा में है।
- सुदूर-पूर्वी संघीय जिला देश के एक तिहाई से अधिक क्षेत्र को कवर करता है।
- यह हीरे, स्टैनरी, बोरेक्स सामग्री, 50 सोना, टंगस्टन, और मछली और समुद्री भोजन जैसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है।
- यहाँ देश के सभी कोयला भंडार और हाइड्रो-इंजीनियरिंग संसाधनों का लगभग 1/3 हैं।
- इस क्षेत्र के वन रूस के कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% शामिल हैं।

विमर्श के विभिन्न बिंदु

यूक्रेन संघर्ष

- यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने विश्व भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है।
- प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिये समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत-रूस संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

आर्कटिक क्षेत्र

- भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है।
- ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं ।

सुदूर-पूर्व

- वर्ष 2019 में भारत ने "एक्ट फार-ईस्ट" नीति के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की ।
- यह नीति रूस के साथ एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
- भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में फार्मास्यूटिकल्स और हीरे के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है ।
- प्रतिभा की गतिशीलता में भी भारत का सहयोग हो सकता है । भारतीय प्रतिभा ने दुनिया के कई संसाधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है ।
- भारतीयों की प्रतिभा और व्यावसायिकता रूसी सुदूर पूर्व में तेजी से विकास ला सकती है।

कनेक्टिविटी

- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर या नॉर्दर्न सी रूट जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत और रूस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
- इसके अतिरिक्त कोकिंग कोल आपूर्ति के जरिए रूस भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है ।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) :

- अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) 7,200 किलोमीटर लंबा है। इस गलियारे में सड़क, समुद्री और रेल मार्ग तीनों शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच ढुलाई लागत को लगभग 30% तक कम करना और पारगमन समय को 40 दिनों से आधे से अधिक कम करना।
- कॉरिडोर से उभरते यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को मजबूत करने की उम्मीद है।
- इसके अवयव में शामिल हैं:
  - उत्तरी और पश्चिमी यूरोप - रूसी संघ;
  - काकेशस – फारस की खाड़ी (पश्चिमी मार्ग);
  - मध्य एशिया – फारस की खाड़ी (पूर्वी मार्ग);
  - कैस्पियन सागर - ईरान फारस की खाड़ी (मध्य मार्ग)।
- यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से रूस और भारत को जोड़ने वाले सड़क, रेल और समुद्री मार्गों को जोड़ता है।
- यह हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी के माध्यम से रूस और उत्तरी यूरोप में जोड़ता है।
- यह भारत और रूस के बीच सबसे छोटा संपर्क मार्ग प्रदान करता है ।

चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर

- यह एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है, जो लगभग 10,300 किमी को कवर करता है।
- कॉरिडोर का उद्देश्य भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है।

उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR)

- यह एक शिपिंग मार्ग है, जिसे आधिकारिक तौर पर रूसी कानून के अंतर्गत नोवाया ज़ेमल्या के पूर्व में स्थित है और विशेष रूप से साइबेरिया के साथ, कारा सागर से बेरिंग जलडमरूमध्य तक रूसी आर्कटिक तट के साथ चल रहा है।
- संपूर्ण मार्ग आर्कटिक जल में और रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर स्थित है।

भारत-रूस संबंध

- भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है।
- अब तक भारत और रूस में वैकल्पिक रूप से 20 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं।
- भारत और रूस ने वर्तमान विश्व व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता की पुष्टि की।
- रूस लंबे समय से एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थक रहा है।
- दोनों पक्षों ने 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को संशोधित किया।
- वर्ष 2017 में भारत में रूसी निवेश 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और रूस में भारत का अब तक का कुल निवेश 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
- रूस भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) रूस के सहयोग से भारत में बनाया जा रहा है।
- दोनों पक्ष बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और बाहरी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग शामिल हैं।
- रूस में भारतीय अध्ययन की एक मजबूत परंपरा रही है। जेएनसीसी प्रमुख रूसी संस्थानों के साथ घनिष्ठ सहयोग रखता है। रूसी लोगों में भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि है।

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 18 से 19 सितंबर 2022 तक सऊदी अरब की दो दिवसीय दौरे पर थे।
- अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल-सऊद ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने चार डोमेन- कृषि और खाद्य सुरक्षा; ऊर्जा; प्रौद्योगिकी और आईटी; और उद्योग और बुनियादी ढाँचा के तहत सहयोग के 41 क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की।

- दोनों पक्षों ने एक समय सीमा के भीतर प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- सऊदी अरब में भारतीय फार्मा उत्पादों का ऑटोमैटिक पंजीकरण और मार्केटिंग प्राधिकरण, रुपया-रियाल व्यापार को संस्थागत करने की व्यवहार्यता, सऊदी अरब में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत चर्चा के मुख्य बिंदु थे।
- दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा की।
- पीयूष गोयल ने भारतीय उत्पादों के सेलिब्रेट करने की पहल के तहत रियाद में "द इंडिया वीक" का भी उद्घाटन किया।
- सामरिक भागीदारी परिषद का गठन 2019 में किया गया था। इसके मुख्य रूप से दो स्तंभ हैं: राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति और अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति।

भारत और मिस्र ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- भारत और मिस्र अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
- समझौता ज्ञापन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी ने हस्ताक्षर किए हैं।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैरियो, मिस्र के दो दिवसीय दौरे पर थे।
- भारत और मिस्र संयुक्त अभ्यास के संचालन और प्रशिक्षण के लिए कर्मियों के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के योगदान को स्वीकार किया।

- राजनाथ सिंह ने अपने मिस्र के समकक्ष को भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आमंत्रित किया।

भारत और मिस्र संबंध :

- मिस्र पारंपरिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
- भारत और मिस्र की दोस्ती की शुरुआत 1955 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- भारत-मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है।
- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत और मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

'इनसाइट 2022'- हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

- विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए 15 और 16 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- सीईएसएल ने शक्ति फाउंडेशन द्वारा समर्थित डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ साझेदारी में सम्मेलन का आयोजन किया।

- 2020 और 2030 के बीच, भारत के ईवी ट्रांजिशन के लिए वाहनों, ईवी आपूर्ति उपकरण, बैटरी और उनके प्रतिस्थापन के लिए कुल INR 19.7 लाख करोड़ (249 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की आवश्यकता होने का अनुमान है।
- 2030 में, वार्षिक ईवी वित्त बाजार के INR 3.7 लाख करोड़ (यूएसडी 46.82 बिलियन) तक पहुंचने का अनुमान है।
- सीईएसएल ने हाल ही में ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम के तहत 5 राज्यों में 5450 ई-बसों का एक टेंडर पूरा किया है।
- सम्मेलन के दौरान नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से प्रदूषण कम होगा और साथ ही हम डीजल और कच्चे तेल के आयात को कम करने में सक्षम होंगे।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)

- यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- यह स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करता है।

श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन से आगे निकला भारत

- भारत ने 2022 के चार महीनों में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है।
- 2017-2021 से पिछले पांच वर्षों में, श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता चीन रहा है।
- पिछले पांच वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता एशियाई विकास बैंक (एडीबी) रहा है।
- एडीबी ने 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि वितरित की।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के अनुसार, भारत ने श्रीलंका को भोजन और वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 4 बिलियन डॉलर प्रदान किए थे।
- 22 अगस्त को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक सौंपा।
- श्रीलंका 2022 की शुरुआत से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

श्रीलंका

- यह दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है।
- रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दिनेश गुणवर्धने वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
- इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, और इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है।

ग्लोबल एआई समिट का दूसरा संस्करण 13 से 15 सितंबर 2022 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया

- यह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद के संरक्षण में आयोजित किया गया।

- इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए 90 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक वक्ता एक साथ आए।
- शिखर सम्मेलन ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, परिवहन, स्मार्ट शहरों और संस्कृति पर एआई के प्रभाव जैसे विषयों को कवर किया।
- सऊदी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अब्दुल्ला अलस्वाहा के अनुसार, सऊदी अरब कोडर्स और डेटा वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा तकनीकी बल बन गया है।
- उन्होंने कहा कि हमने पहले कॉग्निटिव शहर द लाइन के लिए डेटा और एआई का लाभ उठाया है।
- द लाइन का लक्ष्य पांच मिनट की पैदल दूरी के भीतर सब कुछ सुलभ बनाना है। स्वचालित सेवाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होंगी।
- शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अथॉरिटी फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया था। इसका शीर्षक "मानवता की भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता" था।
- इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख विषय - एआई नाउ, एआई नेक्स्ट और एआई नेवर थे।

आईएफएसबी का चौथा इनोवेशन फोरम कतर द्वारा आयोजित किया गया

- 14 सितंबर को, इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड (आईएफएसबी) ने राजधानी शहर दोहा में फोरम का आयोजन किया।
- 'इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज' इनोवेशन फोरम 2022 का विषय था।
- कतर सेंट्रल बैंक (QCB) और कतर वित्तीय केंद्र ने फोरम को प्रायोजित किया।
- इनोवेशन फोरम में नवोन्मेषी और टिकाऊ वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की गई।
- आईएफएसबी इनोवेशन फोरम नियामकों, नीति निर्माताओं, इस्लामी वित्तीय सेवा संस्थानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, कानूनी चिकित्सकों, शरिया सलाहकारों आदि को लक्षित करता है।

इस्लामी वित्तीय सेवा बोर्ड (आईएफएसबी)

- यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक-सेटिंग संगठन है जो इस्लामी वित्तीय सेवा उद्योग की सुदृढ़ता और स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- यह उद्योग के लिए वैश्विक विवेकपूर्ण मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करता है, जिसे व्यापक रूप से बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्रों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

कतर वित्तीय केंद्र

- यह दोहा में स्थित एक व्यवसाय और वित्तीय केंद्र है।
- यह फर्मों को कतर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 'आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

- रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 50 मिलियन लोग "आधुनिक दासता" में जी रहे थे।
- 50 मिलियन में से 28 मिलियन जबरन मजदूरी में और 22 मिलियन जबरन शादी में फंस गए है।

- कुल जबरन विवाह का लगभग दो-तिहाई एशिया और प्रशांत देशों में होता है। इसके बाद अफ्रीका (14.5 प्रतिशत) और यूरोप और मध्य एशिया (10.4 प्रतिशत) का स्थान है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और मिस्र जैसे देशों में जबरन विवाह के जोखिम को बढ़ा दिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में आधुनिक दासता की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- कुल जबरन मजदूरी का लगभग आधा और कुल जबरन विवाह के एक चौथाई मामले उच्च-मध्यम-आय या उच्च-आय वाले देशों में पाए गए।
- जबरन मजदूरी के 86 प्रतिशत मामले निजी क्षेत्र में पाए गए। बंधुआ मजदूरी करने वालों में से लगभग आठ में से एक बच्चा है।
- बाल विवाह को जबरन विवाह भी माना जाता है। 2016 के बाद से जबरन विवाह वालों की संख्या में 6.6 मिलियन की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट ने आधुनिक दासता को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश की। इसकी सिफारिशें नीचे दी गई हैं:
  - कानूनों में सुधार और प्रवर्तन
  - राज्य द्वारा लगाए गए जबरन श्रम को समाप्त करना
  - सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
  - शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 करना
  - बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए कड़े उपाय

दूसरा भारत-जापान 2+2 संवाद टोक्यो में संपन्न हुआ

- भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने जापान के विदेश मामलों के मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री के साथ 8 सितंबर 2022 को टोक्यो में दूसरी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक की।

- बैठक के दौरान, भाग लेने वाले मंत्रियों ने नवंबर 2019 में पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग में हुई प्रगति का उल्लेख किया।
- उन्होंने फरवरी 2021 की निरस्त्रीकरण और अप्रसार वार्ता, सितंबर 2021 की समुद्री मामलों की वार्ता, नवंबर 2021 की अंतरिक्ष वार्ता और जून 2022 की साइबर वार्ता के माध्यम से चर्चा किए गए गहन सहयोग का स्वागत किया।
- मंत्रियों ने आसियान की एकता और केंद्रीयता के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया।
- उन्होंने "इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक (एओआईपी)" के लिए अपना पूर्ण समर्थन दोहराया।
- मंत्रियों ने भारत में अगली 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।
- मंत्रियों ने 'धर्म संरक्षक', जेआईएमईएक्स और मालाबार सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- मंत्रियों ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलान में पहली बार जापान की भागीदारी का स्वागत किया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर का तीन दिवसीय सऊदी अरब यात्रा

- विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पर रहे, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की।
- अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव नायेफ फलाह मुबारक अल-हजरफ के साथ बैठक की।
- दोनों नेताओं ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच परामर्श के तंत्र पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- यह विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर की सऊदी अरब की पहली यात्रा है।
- उन्होंने भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।
- भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 87.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 154.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- मुख्य रूप से तेल आयात में वृद्धि के कारण जीसीसी के साथ भारत के आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)

- यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है।
- इसके सदस्य हैं- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

किंग चार्ल्स III को ब्रिटेन का अगला सम्राट घोषित किया गया

- किंग चार्ल्स को औपचारिक रूप से सेंट जेम्स पैलेस में राजा के रूप में घोषित किया गया है।
- 73 वर्षीय पूर्व प्रिंस ऑफ वेल्स को उनकी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन दिया गया।
- वह अब देश के प्रमुख है और एक से दूसरे शासन में स्थानांतरण शपथ और हस्ताक्षर के साथ पूरा हो गया है।
- प्रिवी काउंसिल क्लर्क रिचर्ड टिलब्रुक ने चार्ल्स को "किंग को कॉमनवेल्थ का प्रमुख, विश्वास का रक्षक" घोषित किया।
- प्रिवी काउंसिल वरिष्ठ राजनेताओं का एक समूह है जो सम्राट को सलाह देता है।

वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन

- वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी 12 सितंबर को नोएडा में किया ।
- भारत ने लगभग 48 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया है।
- इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से लगभग 1500 लोग शामिल हुए, जिनमें डेयरी प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ और कर्मचारी, डेयरी किसान और अन्य हितधारक शामिल हैं।

- 9 सितंबर को डॉ वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि थी, उन्हें "श्वेत क्रांति के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो दुनिया के कुल दूध का 21 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में गुजरात में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मार्गदर्शन में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष डॉ वर्गीज कुरियन थे।
- डेयरी सहकारी समितियों के 'आनंद पैटर्न' के निर्माण का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को देश भर में विभिन्न चरणों में लागू किया गया था।
- देश की औसत दैनिक दूध की खपत 1970 में प्रति व्यक्ति 107 ग्राम से बढ़कर 2020-21 में 427 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई।

भारत और चीन की सेनाओं ने गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में हटने की प्रक्रिया शुरू की

- गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स इलाके में पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 पर भारतीय और चीनी सेना पिछले दो साल से गतिरोध की स्थिति में है। इस इलाके में भारत और चीन 12 सितंबर तक सेनाओं को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और प्रमाणित तरीके से इस क्षेत्र में अग्रिम तैनाती को रोकने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्ष सभी अस्थायी संरचनाओं और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे को हटाने पर भी सहमत हुए हैं।
- जुलाई 2022 में भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 16वें दौर की वार्ता के बाद हटने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- भारत और चीन पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तटों, पीपी 14, पीपी 15 और पीपी 17ए सहित इस क्षेत्र के सभी घर्षण प्वाइंट से हट चुके है।
- मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच प्रभावी सीमा है। यह 890 किलोमीटर लंबा है और भूटान के कोने से बर्मा सीमा पर इसु रज़ी दर्रे तक फैला हुआ है।

भारत-अमेरिका 2 प्लस 2 अंतर-सत्रीय बैठक आयोजित की गई

- भारत-अमेरिका 2 प्लस 2 अंतर-सत्रीय बैठक 07 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी विदेश और रक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

- उन्होंने अप्रैल 2022 की 22 मंत्रिस्तरीय वार्ता के परिणामों की समीक्षा की।
- चौथा भारत-यू.एस. 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता अप्रैल 2022 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था।

भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय 2 प्लस 2 वार्ता

- यह पहली बार 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- यह अमेरिका और भारत के बीच उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिलते हैं।
- भारत अमेरिका के अलावा जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 वार्ता में भाग लेता है।

शेख हसीना की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समकक्ष शेख हसीना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापनों से भारत में असम के दक्षिणी हिस्सों और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा।
- जल संसाधन, क्षमता निर्माण, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार ने कुशियारा नदी से भारत और बांग्लादेश द्वारा पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार और रेल मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार ने भारत में बांग्लादेश रेलवे कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में बांग्लादेश न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- सीएसआईआर, भारत, और बांग्लादेश वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बीसीएसआईआर), बांग्लादेश ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान खुलना-दर्शन रेलवे लाइन लिंक परियोजना का भी शुभारंभ किया गया।
- भारत की 'पड़ोस पहले' नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

भारतीय सेना प्रमुख का नेपाल की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा

- भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 से 8 सितंबर तक नेपाल की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहें ।
- भारतीय सेना प्रमुख के रूप में जनरल मनोज पांडे की यह पहली नेपाल यात्रा है।
- भारतीय सेना प्रमुख और नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
- जनरल मनोज पांडे ने नेपाल सेना को आर्टिलरी इक्विपमेंट, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, मेडिकल स्टोर्स और घोड़ों सहित घातक सैन्य सहायता सौंपी।
- यह यात्रा दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का एक अवसर है।
- यात्रा के दौरान, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जनरल मनोज पांडे को नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया।

भारत-नेपाल संबंध

- भारत और नेपाल साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं।
- 17 जून 1947 को दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
- भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- नेपाल-भारत सीमा से संबंधित तकनीकी कार्यों के लिए 2014 में बाउंड्री वर्किंग ग्रुप (BWG) की स्थापना की गई थी।

लिज़ ट्रस ने यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

- लिज़ ट्रस ने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है, हाल ही में लिज़ ट्रस ने 57 प्रतिशत वोट के साथ ऋषि सनक को हराया है ।

- लिज़ ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। अन्य महिला प्रधानमंत्री मार्गरिट थैचर और थेरेसा मे थीं।
- लिज़ ट्रस को उनके साथी पार्टी सदस्यों द्वारा कंज़र्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है।
- अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देना, मुद्रास्फीति और ऊर्जा संकट लिज़ ट्रस के लिए मुख्य चुनौतियां होंगी।
- अपने अभियान के दौरान, उन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कर कटौती के "साहसी" कार्यक्रम का वादा किया था।

यूनाइटेड किंगडम

- यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देशों का एक समूह है।
- यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है।
- इसकी राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है।
- इसमें संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है।
- यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं।
- ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था दो दलीय व्यवस्था है।

82 देशों में 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि दुनिया वैश्विक आपातकाल का सामना कर रही है क्योंकि 82 देशों में 345 मिलियन लोग अत्यधिक खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
- 70 मिलियन लोग भुखमरी के करीब पहुंच गए, और 50 मिलियन अत्यधिक कुपोषण से पीड़ित हैं।
- इस वैश्विक आपातकाल के मुख्य कारण बढ़ते संघर्ष, महामारी प्रभाव, ईंधन की बढ़ती कीमतें और यूक्रेन में युद्ध हैं।

- वर्तमान खाद्य मूल्य संकट 2023 में खाद्य उपलब्धता संकट में विकसित हो सकता है। इथियोपिया, पूर्वोत्तर नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन में अकाल का खतरा है।
- संघर्ष और हिंसा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से खाद्य असुरक्षा बढ़ी है।
- सूडान में, 60% से अधिक आबादी खाद्य असुरक्षा के गंभीर या बदतर स्तर का सामना कर रही है। उत्तरी इथियोपिया, अफ़ार और अमहारा क्षेत्रों में 13 मिलियन लोगों को जीवन रक्षक भोजन की आवश्यकता है।
- पूर्वोत्तर नाइजीरिया में लगभग 4.1 मिलियन लोग उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

- यह एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन है।
- यह आपात स्थितियों में भोजन पहुंचाकर लोगों की जान बचाता है।
- 2021 में, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 128.2 मिलियन लोगों की सहायता की।

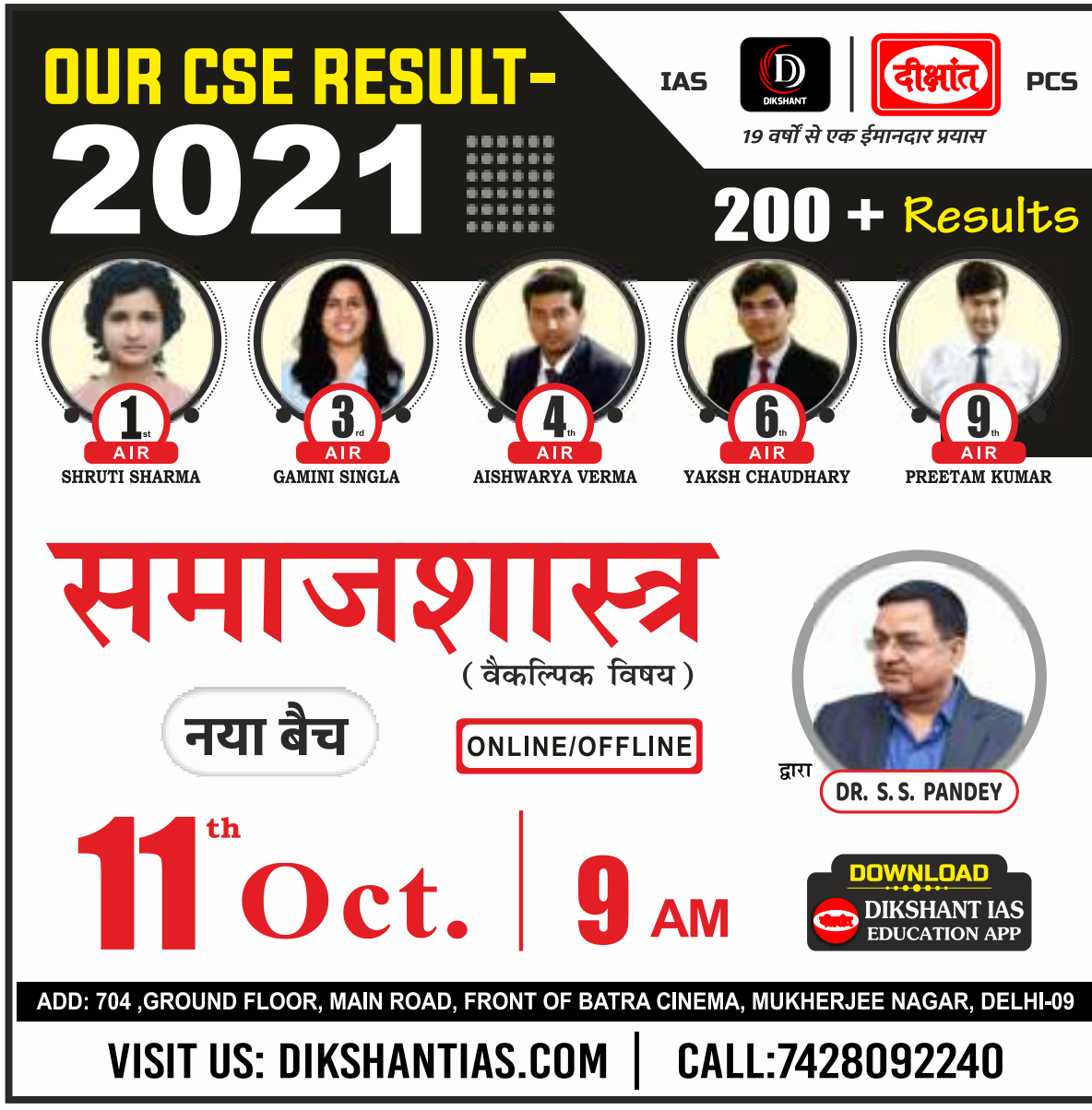

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरावट

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के आंकड़ों के अनुसार, सरकार का स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में 2017-18 के 1.35 से गिरकर अगले वर्ष 1.28 फीसदी पर आ गया।
- विदित है कि इसी अवधि के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में 'आउट ऑफ पॉकेट' व्यय भी 48.8 से गिरकर 48.2 हो गया।

मुख्य अंश

- हाल ही में, जारी किए गए नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (2018-19) से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2017-18 में 1.35 प्रतिशत से गिरकर 1.28 प्रतिशत हो गया।
- 2018-19 में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) 5.96 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें सरकारी खर्च 2.42 लाख करोड़ रुपये था, जो प्रति व्यक्ति 1,815 रुपये है।
- इस बीच, स्वास्थ्य पर जेब से खर्च 2,155 रुपये प्रति व्यक्ति रहा।
- जहां 2018-19 में कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में सरकारी व्यय 40.6 प्रतिशत था, वहीं आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय का हिस्सा 2 प्रतिशत से अधिक था , जो सभी स्वास्थ्य व्यय का लगभग आधा है।
- ये अनुमान कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में जेब से खर्च में लगातार गिरावट का प्रदर्शित करता है। जो 2013 में 64.2 प्रतिशत से 2018 में 48.2 प्रतिशत हो गया।
- निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय केवल 39,201 करोड़ रुपये है। यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.57 प्रतिशत और वर्षों से स्थिर रहा है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि निजी बीमा कंपनियों को सख्त शर्तों में उदारता को दिखाना चाहिए और बाजार में पैठ बनाने के लिए असमानताओं को कम करना चाहिए।

भारत बनाम अन्य देशों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय

- वर्ष 2018 में ओईसीडी देशों में स्वास्थ्य देखभाल व्यय औसत सकल घरेलू उत्पाद का 8.8 प्रतिशत था जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में स्वास्थ्य देखभाल व्यय 16.9 प्रतिशत था।
- वही यह चीन में 5 प्रतिशत, जर्मनी में 11.2 प्रतिशत, फ्रांस में 11.2 प्रतिशत और जापान में 10.9 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में धन के प्रवाह की निगरानी करते हैं।
- विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रत्येक देश के लिए उन अनुमानों को तैयार करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को समन्वित कर रहा है।

दामोदरन समिति

- सरकार ने उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए नियामक और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए उचित उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- छह सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे।
- विशेषज्ञ समिति वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक और अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपायों की जांच करेगी और सुझाव देगी।
- विदित है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2022-23 में, भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश को बढ़ाने के लिए उचित उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा।

वेंचर कैपिटल

- उद्यमियों को अपनी स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। इन उद्यमियों को निवेशकों से जो निवेश अथवा पूंजी मिलती है, उसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है और निवेशकों को वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है।
- वीसी फर्म अन्य वीसी फर्मों के साथ सह-निवेश करके निवेश के जोखिम को कम करती हैं।

- वेंचर कैपिटल (वीसी) उद्योग में 4 मुख्य संस्थाएं हैं: उद्यमी जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, अधिक रिटर्न हासिल करने के उद्देश्य से निवेश करने वाले निवेशक, निवेश बैंकर जिन्हें बेचने के लिए कंपनियों की आवश्यकता होती है और उद्यम पूंजीपति (वीसी) जो उद्योग में उपरोक्त 3 के लिए बाजार का निर्माण कर धन अर्जित करते हैं।

बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जो एशिया के उत्पादन का 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

- मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया था।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरे के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 नाम के प्रस्ताव को भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने समर्थन दिया, जबकि 70 से अधिक देशों ने इसे सह-प्रायोजित किया था।

नोडल एजेंसी

- कृषि मंत्रालय नोडल एजेंसी है और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उत्सव के लिए नोडल संस्थान बनाया गया है।

बाजरा के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य

- खाद्य सुरक्षा और पोषण में बाजरा के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- बाजरे की पैदावार के प्रति अधिक जागरूकता लाने में मदद मिलेगी।
- बाजरे के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना।
- ग्राहकों, उत्पादनकर्ताओं और नीति निर्माताओं के समक्ष बाजरे के पोषक तत्वों तथा पारिस्थितिकीय फायदों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पैदावार क्षमताओं, अनुसंधान और विकास संबंधी निवेशों में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने में सहायक सिद्ध होगा।

बाजरा से संबंधित तथ्य

- भारत विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- यह वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया के उत्पादन का 80% हिस्सा है।
- यह छोटे-बीज वाली घासों को वर्गीकृत करने के लिए एक सामान्य शब्द है, जिसे सामान्यतः पोषक-अनाज या शुष्क भूमि-अनाज कहा जाता है और इसमें ज्वार, मोती बाजरा, रागी, छोटा बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, प्रोसो बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा और कोडो बाजरा शामिल हैं।

बाजरा का वैश्विक वितरण

- भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो वैश्विक उत्पादन के 55% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।
- कई वर्षों तक, भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश था। हालांकि, हाल के वर्षों में, अफ्रीका में बाजरा उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।

बाजरा का महत्व

- फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और कम समय में तैयार हो जाती है। बाजरा को उगाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए यह बढ़ती आबादी की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है।
- बाजरा को उनके उच्च पोषण मूल्य के कारण सुपर ग्रेन कहा जाता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, बाजरा आहार फाइबर में उच्च है।
- बाजरा में 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट और 15-20% आहार फाइबर होता है।
- विटामिन, खनिज, फाइटोकेमिकल्स और आहार फाइबर सहित पोषक तत्वों के अपने उच्च घनत्व के कारण, कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए बाजरा भी उत्कृष्ट अनाज हैं।
- बाजरे का पोषण मूल्य इसे COVID-19 महामारी के बाद विश्व स्तर पर और भी अधिक प्रासंगिक बनाता है।
- बाजरा मोटापे, मधुमेह और जीवन शैली की समस्याओं जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में भी मदद कर सकता है।
- यह पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकता है और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी से रक्षा कर सकता है।
- यह शुष्क भूमि में जलवायु परिवर्तन के उपायों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

चुनौतियां

- बाजरा के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है और यही कारण है कि भारत में मूल्य वर्धित बाजरा उत्पादों पर काम करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कम है।
- गिरावट के मुख्य कारणों में कम पारिश्रमिक, इनपुट सब्सिडी और मूल्य प्रोत्साहन की कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से बढ़िया अनाज की सब्सिडी युक्त आपूर्ति और उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव और कम मांग है।
- कम मांग का आशय सीमित आपूर्ति और ऊंची कीमत भी है।
- वन और कृषि उपज के लिए उचित बाजार संपर्क के अभाव में , बाजरा की खपत ग्रामीण हाटों, बाजारों, पर्यटन स्थलों और त्योहारों तक सीमित है।

बाजरा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने अपने सभी कार्यालयों को अपनी कैंटीन और बैठकों में बाजरा को बढ़ावा देने का आदेश दिया है।

- कृषि और किसान कल्याण विभाग ने माईगव प्लेटफॉर्म पर बाजरा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं।
- यह पहल युवा को बाजरा पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा समस्याओं के लिए तकनीकी/व्यावसायिक समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सरकार ने भी बाजरा को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया और उन्हें पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया।
- राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन 4.0 का उद्देश्य पोषक अनाज उद्योग के सभी हितधारकों, उत्पादकों से लेकर प्रसंस्करणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक, साथ ही शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है।

राष्ट्रीय रसद नीति 2022

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का अनावरण किया।
- विदित है कि यह परिवहन क्षेत्र के समक्ष संभावी चुनौतियों का समाधान करने और व्यवसायों की रसद लागत को 13-14 प्रतिशत से एक अंक तक लाने का प्रयास करती है।

राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का उद्देश्य

- देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना।
- उच्च रसद लागत में कटौती करना।
- विदित है कि इसे भारत में बाहरी और आंतरिक व्यापार दोनों के लिए सबसे बड़ी संरचनात्मक बाधा के रूप में माना जाता है।

रसद क्षेत्र के बारे में

- इसके अंतर्गत संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को उत्पादन बिंदुओं से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने को शामिल किया जाता है। इसमें नियोजन, समन्वय और भंडारण प्रक्रिया शामिल है।

राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के मुख्य बिंदु

- नीति के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में मदद करने के लिए सरल लेकिन परिवर्तनकारी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।
- नीति का कार्यान्वयन एक व्यापक रसद कार्य योजना (CLAP) के माध्यम से लागू की जाएगी।
- 2030 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14-18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुँचाना।
- देश में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14% है, जबकि यह अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद का 8.14% है। अगले पांच वर्षों में एनएलपी इसे घटाकर 8% करना चाहती है।
- एनएलपी सड़कों पर मौजूदा निर्भरता (वर्तमान में 60 प्रतिशत से अधिक) से रेलवे (वर्तमान में 30 प्रतिशत) और जलमार्ग (वर्तमान में 5 प्रतिशत) पर रसद में एक सामान्य बदलाव की सुविधा प्रदान करेगा।
- सागरमाला, भारतमाला और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी प्रमुख परियोजनाओं के बीच तालमेल का प्रयास किया जाएगा।
- डिजिटल सिस्टम का एकीकरण (आईडीएस) सात अलग-अलग विभागों की 30 विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करेगा, जैसे सीमा शुल्क, विमानन, सड़क परिवहन, रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय।
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) का उद्देश्य कार्गो मूवमेंट की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है।
- ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स (ईएलओजी) डैशबोर्ड प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार में सुगमता की दिशा में प्रयास किये जायेंगे।
- सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप (एसआईजी) नियमित आधार पर लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी परियोजनाओं की निगरानी करेगा और इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करना सुनिश्चित करेगा।
- एनएलपी के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया गया है।

नई रसद नीति की विशेषताएं

- आईडीएस के तहत सात विभागों की 30 विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:
  - सड़क परिवहन का डेटा,
  - रेलवे,
  - प्रथाएँ,
  - विमानन और
  - वाणिज्य विभाग।
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल में लाएगा, जिससे निर्यातकों को बहुत लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं से मुक्त किया जा सकेगा।
- एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म- ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज या ई-लॉग्स भी लॉन्च किया गया है।
- यह उद्योग को त्वरित समाधान के लिए सीधे सरकारी एजेंसियों के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा।
- सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप (SIG) सभी लॉजिस्टिक्स से संबंधित परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी करेगा और सभी बाधाओं का प्रभावी निराकरण करेगी।

महत्व

- यह देश के 150 अरब डॉलर के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए पहला समग्र ढांचा है।
- नई लॉजिस्टिक्स नीति लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के सरकार के प्रयासों के आठ वर्ष पूरे करती है।

- इस नीति से विनिर्माण को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलने की संभावना है।
- रसद क्षेत्र को सुदृढ़ करने से न केवल व्यापार करना आसान होगा, बल्कि पर्याप्त रोजगार भी पैदा होगा और मजदूरी और काम करने की स्थिति में सुधार सुनिश्चित होगा।
- यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

चुनौतियां

- रेल क्षेत्र कई संरचनात्मक कमियों का सामना कर रही है, जिन्हें अगर रसद लागत को वैश्विक बेंचमार्क तक आधा करना है, तो इसे तेजी से समाप्त करना होगा।
- एक मालगाड़ी की औसत गति दशकों से 25 किमी प्रति घंटे पर स्थिर रही है। इसे तत्काल दोगुना करके कम से कम 50 किमी प्रति घंटे करना होगा।
- रेलवे को टाइम-टेबल आधारित माल संचालन की आवश्यकता है।
- इसे माल ढुलाई के स्रोत पर एक एग्रीगेटर बनना होगा और गंतव्य पर अलग-अलग होना चाहिए, ताकि उच्च मूल्य वाले छोटे-लोड वाले व्यवसाय (रेक-लोड माल के मुकाबले) पर कब्जा किया जा सके।
- जलमार्ग के माध्यम से हम पर्यावरण के अनुकूल और किफायती परिवहन कर सकते हैं।
- आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों की पहले से ही अपनी रसद नीति है।
- 13 राज्यों की रसद नीतियां अभी भी मसौदा चरण में हैं।
- भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फलतः अगर इसे तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने और विकसित देशों की लीग में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ना है, तो इसे 2030 तक एलपीआई में शीर्ष 10 में शामिल होने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

निष्कर्ष

- फलतः प्रौद्योगिकी को अपनाने से लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूती मिली है। कागज रहित निर्यात-आयात व्यापार प्रक्रियाओं को सक्षम कर रहा है, और सीमा शुल्क में फेसलेस मूल्यांकन शुरू किया गया है।
- ई-वे बिल और FASTag लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- समग्र रूप से यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम)

- हाल ही में, कपड़ा मंत्रालय ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में विशेष फाइबर, टिकाऊ वस्त्र, भू टेक्सटाइल, मोबिलटेक और खेल वस्त्र के क्षेत्रों में लगभग 60 करोड़ रुपये की 23 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।
- विदित है कि ये रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाएं प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के अंतर्गत आती हैं।
- अनुसंधान परियोजनाएं लगभग 60 करोड़ रुपये की हैं।
- इन 23 अनुसंधान परियोजनाओं में, कृषि, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, हेल्थकेयर, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन और प्रोटेक्टिव गियर्स में अनुप्रयोग क्षेत्रों वाले स्पेशलिटी फाइबर की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- कृषि और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में अनुप्रयोग क्षेत्रों वाले स्थायी वस्त्रों से 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- जियोटेक्सटाइल क्षेत्र से 5 परियोजनाएं , 1 मोबिलटेक से और स्पोर्टेक से 1 को स्वीकृति प्रदान की गई।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के विषय में

- इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था ।
- **अवधि:** 4 वर्ष (2020-21 से 2023-24)
- **परिव्यय:** 1480 करोड़ रु
- मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
- मिशन का लक्ष्य है तकनीकी कपड़ा क्षेत्र के घरेलू बाजार का आकार वर्ष 2024 तक 15-20% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर के साथ 40-50 बिलियन डॉलर तक ले जाना है।
- यह संबंधित मशीनरी और उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली 'मेक इन इंडिया' पहल का भी समर्थन करता है ।

मिशन में निम्नलिखित चार घटक

- अनुसंधान, नवाचार और विकास
- प्रचार और बाजार विकास
- निर्यात संवर्धन
- शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास

कपड़ा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे

- कच्चे माल की आपूर्ति में कमी हुई है। विदित है कि प्रदूषण के मुद्दों के कारण चीन और यूरोप में कुछ इकाइयों को बंद करने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बुनियादी कच्चे माल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
- चीन में प्रदूषण मानकों के कारण कई इकाइयों के बंद होने के बाद कीमतें बढ़ रही हैं।
- भारत के श्रम नियमों की प्रणाली जटिल है। केंद्रीय अधिनियमों के एक चौथाई सहित 200 से अधिक श्रम कानून हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जैसे कई श्रम कानूनों ने फर्म के आकार को सीमित कर दिया और विनिर्माण फर्मों को बढ़ने नहीं दिया।
- पर्यावरणीय नियमों का पालन करने में विफल रहने से आपूर्ति श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि परिधान उद्योग के लिए पर्यावरणीय अनुपालन प्रयासों में सुधार के लिए दबाव बढ़ता है।

- भारत में बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता एक बड़ी बाधा रही है। इसका परिणाम मैनुअल काम के अभ्यास के कारण दक्षता में कमी है।
- भारतीय कपड़ा उद्योग में असंगठित क्षेत्र और छोटे और मध्यम उद्योगों का वर्चस्व है।
- देश का कपड़ा उद्योग पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक में केंद्रित है। इन इकाइयों द्वारा नियोजित श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आता है।

कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

- सरकार ने पांच वर्ष की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए कपड़ा उत्पादों, अर्थात् एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी।
- निवेश की अवधि 2 वर्ष है और निवेश के बाद के संचालन के पहले वर्ष के बाद 5 वर्षों के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा।

पीएम मित्र पार्क योजना

- सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क विभिन्न राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड साइटों पर स्थापित किए जाएंगे ।
- यह 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि के अनुरूप है और भारत को वैश्विक वस्त्र परिदृश्य पर मजबूती से स्थापित करने में सहायक होगा।

अन्य

- कपड़ा मंत्रालय द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नई कपड़ा नीति 2020 जारी की गई।
- सरकार ने इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ' स्काईम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर (एससीबीटीएस)' नामक एक नई कौशल विकास योजना को स्वीकृति दी ।

प्रधानमंत्री कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन (PRANAM) योजना

- केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम नामक एक योजना शुरू करने की योजना बना रही है।
- विदित है कि पीएम प्रणाम का अर्थ कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का पीएम संवर्धन है।

उद्देश्य

- प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना है, जिसके 2022-2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो गत वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से 39% अधिक है।

पहल

- यह पहल गत कुछ वर्षों में उर्वरकों या वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है।

बजट

- इस योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था नहीं होगी और यह उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70 प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है:
  - वैकल्पिक उर्वरकों के तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण और
  - गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयां।
  - शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है:
  - उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने हेतु शामिल समूहों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना।

रासायनिक उर्वरकों की समीक्षा

- रासायनिक उर्वरकों की समीक्षा गत 3 वर्षों के आधार पर की जायेगी।
- वास्तव में केंद्र सरकार निरीक्षण कि एक वर्ष में रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग कम हुआ है, उसमें पिछले 3 सालों में यूरिया की खपत (Urea Consumption) की क्या स्थिति थी। उसी के आधार पर रासायनिक उर्वरकों (Chemical Fertilizer) की खपत कम या अधिक मानी जाएगी।
- जैव उर्वरकों के उपयोग की दिशा में विशेषज्ञ इस योजना को मील का पत्थर मान रहे हैं।

विदेश व्यापार नीति

- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने वैश्विक चुनौतियों और रुपये की स्थिति में आ रहे उतार-चढ़ाव के दृष्टिगत मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015-20) को छह महीने का विस्तार देने का निर्णय लिया है।
- ज्ञातव्य है कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अवधि 30 सितंबर को समाप्त होनी थी।
- उद्योग संघों और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों सहित विभिन्न वर्गों से नीति का विस्तार करने और इस समय नई नीति प्रस्तुत नहीं करने की मांग की गई थी।
- वर्तमान में मुद्रा अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितता है। साथ ही, भू-राजनीतिक स्थिति लंबी अवधि की विदेश व्यापार नीति के लिए उपयुक्त नहीं है।
- इससे पहले, सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 की नियत तारीख को 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था।
- वर्तमान में, अमेरिका और यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका ने निवेशकों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
- विदेश व्यापार नीति देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के साथ-साथ रोजगार सृजन और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- यह व्यापार सुगमता में सुधार पर विशेष बल देने के साथ, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

- इस माह की शुरुआत में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (2022-27) और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियों और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि सितंबर के अंत तक वह नई विदेश व्यापार नीति जारी कर देगा। इसके पहले मौजूदा नीति को अप्रैल में सितंबर के लिए बढ़ाया गया था।

विदेश व्यापार नीति

- विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत देश से होने वाले निर्यात को प्रोत्साहन देने और आयात पर निर्भरता कम करने के प्रावधान किए जाते हैं।
- इसमें देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलने और नए रोजगार सृजन का भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- विदेश व्यापार नीति (FTP) के अंतर्गत आर्थिक विकास के कुशल संचालन हेतु घरेलू उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी रणनीतियों और कदमों की रूपरेखा तैयार की जाती है।
- यह अनिवार्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
- ये विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निर्यात और आयात के प्रचार और सुविधा के लिए शासी निकाय है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

- भारत का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में 17.68 प्रतिशत बढ़कर 193.51 अरब डॉलर रहा है।
- यद्यपि इस दौरान आयात कहीं ज्यादा 45.74 प्रतिशत बढ़कर 318 अरब डॉलर हो गया।
- इस तरह अप्रैल-अगस्त की अवधि में देश का व्यापार घाटा बढ़कर 124.52 अरब डॉलर हो गया है।

प्राथमिक फोकस क्षेत्र

- सरकार, नीति के माध्यम से, मुख्य रूप से सेवाओं सहित निर्यात के पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दोहरी रणनीति अपनाने पर ध्यान केंद्रित करती है ।
- इसके अतिरिक्त, यह व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का मंशा रखती है ।
- वहीं, जबकि व्यापार नीति में आयात और निर्यात दोनों शामिल हैं, इसका प्राथमिक उद्देश्य लेन-देन की लागत और समय को कम करके व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, जिससे भारतीय निर्यात को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

नीति का उद्देश्य

- आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना और वैश्विक बाजार के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना।
- कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती (अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान), उपभोग्य सामग्रियों और उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करके निरंतर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय कृषि, उद्योग और सेवाओं को मजबूत बनाना।
- रोजगार सृजन करना।
- गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए प्रयास करने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करना।
- उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता उत्पाद उपलब्ध कराना।

नीति की अवधि

- यह नीति पांच वर्ष के लिए अधिसूचित की जाती है।
- इसे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अद्यतन किया जाता है और यह 1 अप्रैल से प्रभावी होते हैं।
- वर्तमान नीति को वित्तीय वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था और यह 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी थी।
- लेकिन बाद में मौजूदा कोविड की स्थिति के कारण इसे 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था
- ध्यातव्य है कि भारत के लिए एक नई विदेश व्यापार नीति (FTP) लंबे समय से प्रतीक्षित है। पिछला एफ़टीपी 2015 में अधिसूचित किया गया था और एक नया एफ़टीपी अप्रैल 2020 में प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु समय-समय पर विभिन्न कारणों से इसमें विस्तार दिया जा रहा है।

नई विदेश व्यापार नीति 2021-26

- नई व्यापार नीति 2021-26 में सरकार की योजना एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष बल देने के साथ व्यापारिक निर्यात को प्रोत्साहन देना है।
- विदेश व्यापार नीति 2021-26 में एमएसएमई और नई निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। इससे ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने का भी अनुमान है।

भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी आरईसी लिमिटेड

- लोक उद्यम विभाग ने आरईसी लिमिटेड को 'महारत्न' का दर्जा देने का आदेश जारी किया है।

- आरईसी (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) को महारत्न का दर्जा देने से कंपनी के बोर्ड की वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी।
- महारत्न सीपीएसई का बोर्ड अब एक संयुक्त उद्यम कंपनी शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण कर सकता है।
- महारत्न का दर्जा हासिल करने के बाद आरईसी अब एक ही परियोजना में ₹5,000 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है।
- आरईसी लिमिटेड ने डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य जैसी विभिन्न योजनाओं की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने पूरे देश में घरेलू विद्युतीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आरईसी लिमिटेड

- यह 1969 में बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के लिए नोडल एजेंसी है।

भारत सहित 5 दक्षिण एशियाई देशों ने पाम ऑयल एलायंस बनाया

- दक्षिण एशिया के पांच पाम तेल आयात करने वाले देशों के खाद्य तेल व्यापार संघों ने एशियन पाम ऑयल एलायंस (एपीओए) की स्थापना की घोषणा की है।

- यह गठबंधन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के उद्योग निकायों के बीच है।
- गठबंधन का उद्देश्य सौदेबाजी की शक्ति हासिल करना और आयात को टिकाऊ बनाना है।
- गठबंधन पाम तेल को उच्च गुणवत्ता, किफायती और स्वस्थ वनस्पति तेल के रूप में मान्यता देकर पाम तेल की नकारात्मक छवि को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं|
- भारत का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) शुरू में नवगठित गठबंधन के सचिवालय का प्रबंधन करेगा।
- गठबंधन की पहली आम सभा में, एसईए अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
- अगले साल की शुरुआत में, एपीओए की अगली बैठक के इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया

- आरबीआई ने लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
- आरबीआई ने कहा कि बैंक 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और इसकी निरंतरता इसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।
- बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99% जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
- 22 सितंबर 2022 से बैंक को बैंकिंग कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार है।
- 13 सितंबर तक, डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि का 193.68 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर चुका है।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में तीन प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत

- आरबीआई गवर्नर ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में तीन प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की है, ये पहल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट और भारत बिलपे क्रॉस-बॉर्डर बिल पेमेंट्स हैं।
- आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की घोषणा की थी।
- रुपे क्रेडिट कार्ड को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी यूपीआई आईडी से जोड़ा जाएगा। यह सीधे सुरक्षित भुगतान लेन-देन को सक्षम करेगा।

- पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के ग्राहक सबसे पहले भीम ऐप के साथ यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- भीम ऐप पर यूपीआई लाइट सक्षम होने से, उपयोगकर्ता नियर-ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के लेनदेन करने में सक्षम होंगे।
- यूपीआई लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा ₹200 होगी।
- ऑन-डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा किसी भी समय ₹2,000 होगी।
- इस फीचर के साथ आठ बैंक लाइव हैं। ये बैंक केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात के लुलु एक्सचेंज के साथ फेडरल बैंक भारत बिलपे क्रॉस-बॉर्डर बिल भुगतान के साथ लाइव होने वाला पहला होगा।
- आरबीआई गवर्नर, शक्तिकांत दास ने कहा कि मार्च 2020 से अगस्त 2022 तक यूपीआई लेनदेन में 427% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
- जुलाई 2022 के अंत में यूपीआई क्यूआर कोड-सक्षम भुगतान स्वीकृति पॉइंट्स की संख्या लगभग 90 मिलियन (86% YoY) तक बढ़कर 200 मिलियन हो गई है।
- उन्होंने हाल ही में जारी डिजिटल लेंडिंग दिशा-निर्देशों के बारे में बताया।
- गूगल, अमेज़न और व्हाट्सएप्प जैसी बड़ी टेक कंपनियां पहले से ही भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2022

- यह ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण था। यह 19-22 सितंबर, 2022 तक मुंबई में आयोजित किया गया था।
- इसका आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया गया था।
- जीएफएफ 2022 का विषय 'एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक, समावेशी, हरी' है।

आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) से हटाया

- आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जिसके बाद उसे पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर करने का निर्णय लिया गया।
- न्यूनतम नियामक पूंजी और शुद्ध गैर निष्पादक संसाधन (NNPAs) सहित विभिन्न वित्तीय अनुपातों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुधार दिखाने के बाद निर्णय लिया गया है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 14.2% बढ़कर 234.78 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 205.58 करोड़ रुपये था।

- एक बार इन प्रतिबंधों को हटा लेने के बाद, बैंक बिना किसी प्रतिबंध के ऋण का वितरण कर सकता है।
- जून 2017 में, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए के दायरे में रखने का फैसला किया था। करीब 5 साल बाद इस प्रतिबंध को हटाया गया है।
- बैंक पर शुद्ध एनपीए के उच्च स्तर और परिसंपत्तियों पर कम रिटर्न के कारण बैंक को पीसीए निगरानी सूची में रखा गया था।
- सेंट्रल बैंक के अलावा, आरबीआई ने पीसीए मानदंडों के उल्लंघन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को भी निगरानी सूची में रखा था।
- इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को सितंबर 2021 में पीसीए से हटा दिया गया था।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीएएफ)

- यदि बैंक पूंजी से जोखिम संसाधन पूंजी अनुपात (सीआरएआर), शुद्ध एनपीए और संसाधनों पर रिटर्न (आरओए) से संबंधित नियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो पीसीए मानदंड लागू होता है।
- एक बार पीसीए के दायरे में आने के बाद, उस बैंक को कई तरह से खुले ऋण देने से रोक दिया जाता है और उसे कई तरह के प्रतिबंधों के भीतर काम करना पड़ता है।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 6.71% से बढ़कर अगस्त 2022 में 7% हो गई

- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य कीमतों के कारण बढ़ी है।

- लगातार आठवें महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6% से अधिक है।
- फूड बास्केट में महंगाई जुलाई के 6.69% से बढ़कर अगस्त में 7.62% हो गई है।
- गेहूं, चावल और दालों जैसी आवश्यक फसलों की कीमतों में वृद्धि के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 2.4% हो गया। जुलाई 2022 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 3.2% बढ़ा।
- उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएँ सेगमेंट में 2.4% की वृद्धि हुई है।
- मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में क्रमिक वृद्धि है। इसकी गणना भोजन, ईंधन और अन्य सामानों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखकर की जाती है।

भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि

- भारतीय रेलवे का कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 26271.29 (38%) की वृद्धि के साथ 95,486.58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- यात्री यातायात राजस्व 116% (13,574.44 करोड़ रुपये) की वृद्धि के साथ 25,276.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- दोनों खंडों (आरक्षित और अनारक्षित) में यात्री यातायात भी बढ़ा।
- लंबी दूरी की आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से राजस्व यात्री और उपनगरीय ट्रेनों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।
- पिछले वर्ष की तुलना में माल राजस्व में 10,780.03 करोड़ रुपये (20%) की वृद्धि हुई है।
- पिछले वर्ष की तुलना में 1105 करोड़ (95%) की वृद्धि के साथ विविध राजस्व ने 2267.60 करोड़ रुपये के निशान को छुआ।

गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए किरीट पारेख की अध्यक्षता में समिति का गठन

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।

- समिति सितंबर 2022 के अंत तक रिपोर्ट सौंप देगी।
- समिति की अध्यक्षता ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारिख करेंगे और इसके अन्य सदस्य उर्वरक मंत्रालय, गैस उत्पादक और खरीदार में से होंगे।
- पिछले संशोधन में, पुराने और विनियमित क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की कीमत दोगुनी होकर 6.1 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) कर दी गई थी।
- अप्रैल-सितंबर 2022 की अवधि के लिए, KG-D6 ब्लॉक जैसे कठिन क्षेत्रों से उत्पादित गैस की कीमत 6.13 डॉलर से बढ़ाकर 9.92 डॉलर / mBtu कर दी गई थी।
- स्थानीय गैस की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और वैश्विक गैस की कीमत के कारण इसमें और वृद्धि होगी।

एफएओ ने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन- रोडमैप 2022-30 जारी किया

- खाद्य और कृषि संगठन ने 2022-30 के लिए जलीय खाद्य प्रणालियों पर अपना विजन दस्तावेज जारी किया है।
- रोडमैप मत्स्य पालन समिति और एफएओ के रणनीतिक ढांचे 2022-31 के सतत मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए एफएओ की 2021 की घोषणा के अनुरूप है।
- रोडमैप आर्थिक विकास, रोजगार, सामाजिक विकास और पर्यावरण सुधार को प्रोत्साहित करने में जलीय खाद्य प्रणालियों के महत्व को पहचानता है।
- एफएओ के अनुसार, जलीय खाद्य प्रणालियों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि और व्यापक आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण जिसमें वे अंतर्निहित हैं (झीलें, आर्द्रभूमि, महासागर, आदि) के कुछ हिस्सों से उत्पन्न जलीय खाद्य उत्पादों के उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण, खपत और निपटान में शामिल लोगों की पूरी श्रृंखला और उनकी परस्पर मूल्य वर्धित गतिविधियां शामिल हैं।

- रोडमैप के अनुसार, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एक लक्षित प्रयास है जिसके द्वारा एजेंसियां, देश और आश्रित समुदाय, खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए पोषण और किफायती स्वस्थ आहार के लिए जलीय (समुद्री और अंतर्देशीय दोनों) खाद्य प्रणालियों के योगदान को सुरक्षित और स्थायी रूप से अधिकतम करने के लिए मौजूदा और उभरते ज्ञान, उपकरणों और प्रथाओं का उपयोग करते हैं।

नील परिवर्तन (ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन) की आवश्यकता

- विश्व स्तर पर भूख और कुपोषण के सभी रूपों की व्यापकता बढ़ती जा रही है।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण, वैश्विक खाद्य प्रणाली सुरक्षित, पौष्टिक, टिकाऊ और न्यायसंगत आहार प्रदान करने में विफल हो रही है।
- बढ़ती जनसंख्या और संपन्नता के कारण अधिक भोजन और संसाधन-गहन आहार की मांग में वृद्धि हुई है।
- भारत ने 2015-16 में भारत में नीली क्रांति की शुरुआत की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने चल रही सभी योजनाओं का विलय नीली क्रांति की अंदर कर दिया।

आरबीआई ने कर्जदारों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ऋणदाता के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाएं कुछ बुनियादी न्यूनतम जानकारी को छोड़कर उधारकर्ताओं के डेटा को स्टोर नहीं कर सकती हैं।
- ऋणदाता अब केवल ग्राहक का नाम, पता, संपर्क विवरण आदि जैसी जानकारी ही संग्रहित कर सकता है।
- डिजिटल ऋणदाता ऐप्स उधारकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी को स्टोर नहीं कर सकते हैं।
- दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए विनियमित संस्थाओं को 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया गया है।
- इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं को बेईमान उधार प्रथाओं से बचाना है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी डेटा केवल भारत के भीतर स्थित सर्वरों में संग्रहीत किया जाना चाहिए।
- उधारकर्ताओं को इस अवधि के दौरान बिना जुर्माने के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा।
- दिशा-निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई

- चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 13.5 फीसदी की दर से बढ़ा है।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जुलाई-सितंबर 2021 में 8.4%, अक्टूबर-दिसंबर 2021 में 5.4% और जनवरी-मार्च 2022 में 4.1% बढ़ा।
- आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल-जून में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 12.7 फीसदी बढ़कर 34.41 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई।
- विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हुई, जबकि निर्माण उद्योग में 16.8% की वृद्धि हुई।
- बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा खंड में पिछले साल के 13.8% की तुलना में तिमाही में 14.7% की वृद्धि हुई।
- व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद खंड में चालू वित्त वर्ष में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 2022-23 की पहली तिमाही में, वास्तविक जीडीपी के 36 लाख 85 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 2011-12 की कीमतों पर पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 32 लाख 46 हजार करोड़ रुपये थी।
- वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत थी।
- भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा, जबकि चीन ने अप्रैल-जून 2022 तिमाही में 0.4% जीडीपी वृद्धि दर्ज की।

विज्ञान एवं तकनीकी

दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया : माया

- लुप्तप्राय जानवर को बचाने के लिए, बीजिंग स्थित फर्म सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों ने हार्बिन पोलरलैंड के साथ मिलकर 2020 में आर्कटिक भेड़िया क्लोनिंग परियोजना शुरू की।
- पिछले साल 'माया' नाम की 16 साल की आर्कटिक भेड़िये की मौत हो गई थी। सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी ने क्लोन भेड़िया बनाने के लिए उसकी कोशिकाओं को मादा बीगल के अंडे में डाल दिया।
- क्लोनिंग में, 137 नए भ्रूण बनाए गए हैं और उनमें से 85 को सात बीगल के गर्भाशय में स्थानांतरित किया गया है। 85 में से एक का जन्म स्वस्थ भेड़िये के रूप में हुआ है।
- 2019 में चीनी वैज्ञानिकों ने इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर एक बिल्ली का क्लोन बनाया।
- डॉली, मादा फिन डोरसेट भेड़, पहला स्तनपायी है जिसे 1996 में एक वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया था। फेफड़ों की बीमारी के कारण 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई थी।

क्लोनिंग

- यह एक कोशिका, किसी अन्य जीवित भाग, या एक पूर्ण जीव का एक सटीक प्रतिरूप बनाना है।
- आनुवंशिक रूप से समान जानवरों को बनाने के लिए वैज्ञानिक आमतौर पर "कायिक कोशिका परमाणु हस्तांतरण" (एससीएनटी) का उपयोग करते हैं।

इसरो ने हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली (प्रोपल्शन सिस्टम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

- इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी), महेंद्रगिरि में हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण किया।
- हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइज़र का उपयोग करती है। यह अधिक कुशल, हरित और सुरक्षित है।
- लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केंद्र (LOSC) के समर्थन से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा इसका परीक्षण किया गया है।

- परीक्षण के दौरान, हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (HTPB)-आधारित एल्युमिनाइज्ड का उपयोग ठोस ईंधन के रूप में किया गया है, जबकि तरल ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग ऑक्सीडाइज़र के रूप में किया गया है।
- परीक्षण 300 मिमी-साउंडिंग रॉकेट मोटर पर 15 सेकंड के लिए किया गया था।
- हाइब्रिड तकनीक पारंपरिक सॉलिड मोटर्स से अलग है। यह मोटर की रीस्टार्टिंग और थ्रॉटलिंग क्षमताओं की अनुमति देता है।
- यह परीक्षण हाइब्रिड प्रणोदन-आधारित साउंडिंग रॉकेटों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- परंपरागत रूप से, एचटीपीबी-आधारित ठोस प्रणोदक मोटर्स एक ऑक्सीडाइज़र के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का उपयोग करते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए ऑक्सीडाइज़र का उपयोग किया जाता है।

ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (एचसीआई) ने भारत की पहली उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह (एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की

- यह एचटीएस ब्रॉडबैंड सेवा इसरो उपग्रहों द्वारा संचालित है। यह सबसे दूरस्थ स्थानों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

- यह सामुदायिक इंटरनेट एक्सेस के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट, मैनेज्ड सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन) समाधान और छोटे व्यवसायों के लिए उपग्रह इंटरनेट जैसे अनुप्रयोगों को समर्थन प्रदान करेगी।
- यह इसरो जीसैट-11 और जीसैट-29 उपग्रहों से केयू-बैंड क्षमता को ह्यूजेस ज्यूपिटर प्लेटफॉर्म ग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है।
- एचटीएस एक संचार उपग्रह है। फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस या पारंपरिक संचार उपग्रहों की तुलना में, यह एक उच्च प्रवाह क्षमता प्रदान करता है।
- उच्च प्रवाह क्षमता का अर्थ कक्षीय स्पेक्ट्रम की समान मात्रा का उपयोग करते समय पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में उच्च डेटा प्रसंस्करण और स्थानांतरण क्षमता है।
- क्यूपर्टिनो कंपनी भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने के लिए ह्यूजेस जैसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग कर सकती है।
- उपग्रह कनेक्टिविटी सुविधा केवल संयुक्त राज्य और कनाडा में उपलब्ध होगी, एप्पल ने आईफोन 14 श्रृंखला के लॉन्च पर खुलासा किया।
- ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (एचसीआई) एक उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता है।

पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला मानव रहित वायुयान

- चीन के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वायुयान ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की।
- इस मानव रहित वायुयान (यूएवी) ने शांक्सी प्रांत के हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 26 मिनट तक उड़ा।
- "QIMINGXING 50" या मॉर्निंग स्टार-50 केवल सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला बड़े आकार का यूएवी है।
- इसके पंखों की लंबाई 164 फीट है। ड्रोन के डिजाइनर के अनुसार, यह बिना ब्रेक के महीनों या वर्षों तक काम कर सकता है।
- यह चीनी उड्डयन क्षेत्र द्वारा उत्पादित पहला उच्च-ऊंचाई, और कम गति वाला ड्रोन भी है।
- यह स्थिर वायु प्रवाह और बिना बादलों के निकट अंतरिक्ष में 20 किमी से 100 किमी तक उड़ सकता है।
- इन ड्रोन को 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन' या 'छद्म उपग्रह' भी कहा जाता है।
- जुलाई 2022 में, अमेरिकी सेना ने एक सौर-संचालित, निकट-अंतरिक्ष एयरबस ज़ेफिर एस ड्रोन का परीक्षण किया। इसने 42 दिन तक हवा में रहकर रिकॉर्ड बनाया था।
- इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी मिशन में किया जा सकता है। इसका उपयोग जंगल की आग की निगरानी और उच्च ऊंचाई वाले टोही के संचालन के लिए किया जा सकता है।

MOXIE उपकरण ने मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न की

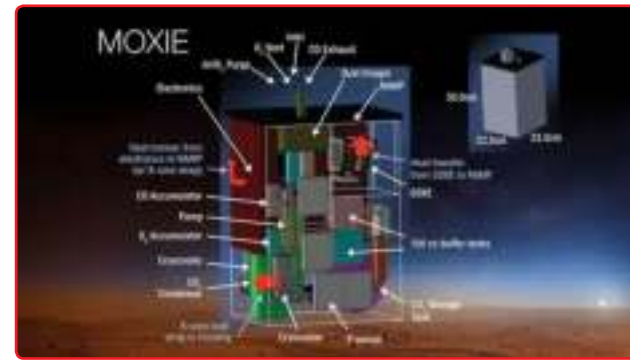

- नासा के मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट (MOXIE) उपकरण ने मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न की।
- एमओएक्सआईई (MOXIE) उपकरण नासा के पर्सिवरेंस रोवर मिशन का हिस्सा है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, एमओएक्सआईई (MOXIE) उपकरण मंगल के सभी मौसमों में एक पेड़ के बराबर ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफल रहा है।
- सात प्रयोगात्मक दौड़ के दौरान इस उपकरण ने मंगल ग्रह पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है।
- एमओएक्सआईई ने प्रत्येक प्रयोगात्मक दौड़ में छह ग्राम प्रति घंटे ऑक्सीजन पैदा करने का लक्ष्य हासिल किया है।
- एमओएक्सआईई उपकरण ने ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए "इन-सीटू संसाधन उपयोग" पद्धति का उपयोग किया है।
- उपकरण का वर्तमान संस्करण बहुत छोटा है और कम अवधि के लिए है।
- अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता रॉकेटों को पृथ्वी से ऑक्सीजन ले जाने के लिए मजबूर करती है, जिससे पेलोड बढ़ जाता है।

भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कोविड -19 के लिए भारत के पहले इंट्रा- नेज़ल वैक्सीन को मंजूरी दी

- कोविड-19 वैक्सीन "भारत बायोटेक का iNCOVACC" 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए है।

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने भारत बायोटेक के पुनः संयोजक/ रीकॉम्बिनेंट नेज़ल टीकाकरण को अधिकृत किया है।
- चीन में कैनसिनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन के बाद स्वीकृति प्राप्त करने वाला यह दुनिया का केवल दूसरा नेज़ल टीका है।
- iNCOVACC एक चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टरेड रीकॉम्बिनेंट नेज़ल वैक्सीन है जिसे विशेष रूप से नाक से दी जाने वाली बूंदों के माध्यम से टीके की इंट्रा- नेज़ल डिलीवरी की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया है।
- नेज़ल वितरण प्रणाली को निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ध्यान में रखकर डिजाइन और विकसित किया गया है।

भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI)

- यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का एक विभाग है।
- यह भारत में विभिन्न श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस को मंजूरी देता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉ. वी. जी. सोमानी हैं।

मंगल के आसमान में पैची प्रोटॉन ध्रुवीय ज्योति पाई गई

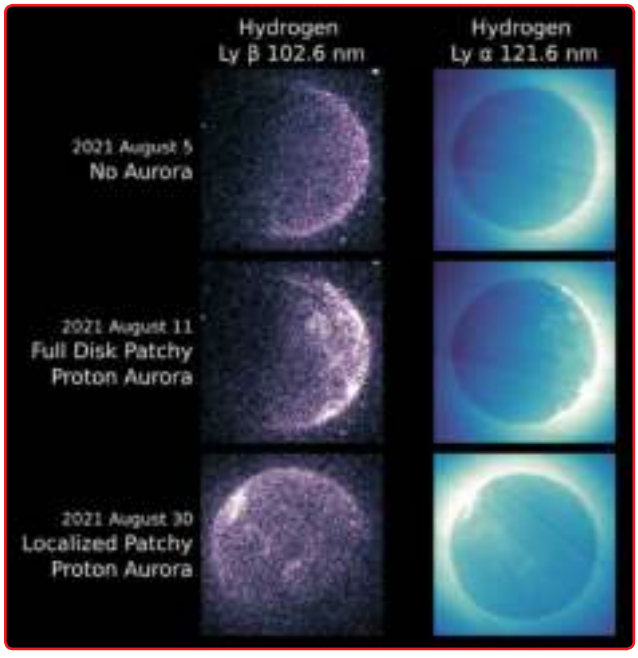

- संयुक्त अरब अमीरात के मार्स मिशन (ईएमएम) और नासा के मावेन प्रोब द्वारा मंगल के आसमान में पैची प्रोटॉन ध्रुवीय ज्योति पाई गई है। यह मंगल के वातावरण में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। टीम द्वारा पाई गई नई ध्रुवीय ज्योति मंगल के ऊपरी वायुमंडल पर सौर हवा के सीधे प्रभाव के बाद बना है।
- एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर (ईएमयूएस) द्वारा प्राप्त डेसाइड डिस्क के स्नैपशॉट में नई ध्रुवीय ज्योति की खोज की गई। ईएमयूएस मंगल के ऊपरी वायुमंडल का निरीक्षण करता है।
- वैज्ञानिकों ने पहली बार मंगल ग्रह पर प्रोटॉन नई ध्रुवीय ज्योति में स्थानिक परिवर्तनशीलता का वैश्विक दृष्टिकोण देखा।
- ध्रुवीय ज्योति किसी ग्रह के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश का प्रदर्शन है। जब ध्रुवीय ज्योति होती है, तो ग्रह के छोटे क्षेत्र अधिक चमकीले हो जाते हैं।
- यह ज्यादातर उच्च-अक्षांश क्षेत्रों में देखी जाती है जैसे कि उत्तरी लाइट्, या औरोरा बोरेलिस, जो पृथ्वी से देखी जाती है।
- मावेन (मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन) को नवंबर 2013 में एटलस V रॉकेट से लॉन्च किया गया था।

भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया

- भारत ने 01 सितंबर को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया ।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में डीबीटी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (क्यूएचपीवी) लॉन्च किया गया है।
- सरकारी विश्लेषण के अनुसार, टीका एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करके 6,11,16 और 18 स्ट्रेन्स के खिलाफ रोकथाम प्रदान करेगा।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने कहा कि स्वदेशी टीका कम लागत वाला, किफायती टीका है ।
- डीबीटी अधिकारियों के अनुसार, नया टीका हेपेटाइटिस बी के टीके की तरह वीएलपी (वायरस जैसे कण) पर आधारित है।
- नया टीका एचपीवी वायरस के एल1 प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करके सुरक्षा प्रदान करेगा।

सर्वाइकल कैंसर/ गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर

- यह ग्रीवा, गर्भाशय (गर्भ) के सबसे निचले हिस्से, का कैंसर है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत में सर्वाइकल कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग पांचवां हिस्सा है।
- सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है।
- यह ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होता है।
- वायरस मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन

- हाल ही में, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्वच्छ जल लक्ष्य

- यह समझौता ज्ञापन 'पुनीत सागर अभियान' और 'टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

उद्देश्य

- स्वच्छ जल निकायों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को शामिल करने की दिशा में प्रयास करना और सामंजस्य स्थापित करना।
- जानकारी साझा करने और प्रशिक्षण पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण और पर्यावरणीय स्थिरता पर जागरूकता में संलग्न होना।
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने के लिए एनसीसी कैडेटों के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त पहल में शामिल होना और विकसित करना।

'पुनीत सागर अभियान' - टाइड टर्नर चैलेंज प्रोग्राम

- अभियान के बढ़ते समर्थन और सफलता के बाद, यूएनईपी अपने 'टाइड टर्नर चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से इस पहल में लगा हुआ है।
- UNEP ने NCC से के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है।

महत्व

- जागरूकता अभियान के कारण लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है।
- युवाओं की भागीदारी इसे आंदोलन का रूप प्रदान करेगी।
- धरती के प्रति उत्तरदायित्व का बोध प्राप्त होगा।
- यह देश में फैले प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्लास्टिक का उत्पादन

- विश्व में हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है।
- भारत में 2019-20 में 34 लाख टन से अधिक और 2018-19 में 30.59 लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ था।
- भारत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है।
- भारत 94वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष तीन में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान हैं।
- प्लास्टिक कचरा भारत में उत्पन्न होने वाले कुल ठोस कचरे का लगभग 5-6 प्रतिशत योगदान देता है।
- भारत लगभग 13 मिलियन टन प्लास्टिक की खपत करता है और लगभग 4 मिलियन टन का ही पुनर्चक्रण हो पाता है।

पुनीत सागर अभियान

- एनसीसी ने 1 दिसंबर, 2021 को इसकी शुरूआत की थी।
- स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र तटों को साफ करने के लिए शुरू में एक महीने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। किन्तु बाद में इसे नदियों और अन्य जल निकायों को भी कवर करने के लिए अखिल भारतीय दौर के अभियान के रूप में विस्तारित किया गया।
- इसकी शुरुआत के बाद से, लगभग 1,900 स्थानों से 12 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवकों द्वारा 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है, जिससे 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।
- यह भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है, जिसे उन्होंने 26 वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीओपी26 के दौरान 'पंचामृत' के रूप में संदर्भित किया।

भारत में चीतों की वापसी

- हाल ही में, भारत में विलुप्त होने के 70 से अधिक वर्षों के बाद चीतों को फिर से बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में नामीबिया से आठ अफ्रीकी चीतों, जिसमें पांच मादा चिता और चार से छह वर्ष के तीन नर चिता को भारत लाया जाएगा।
- इन्हें भारत की 90 करोड़ रुपये की चीता परिचय परियोजना के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा।
- यह पहली बार जब एक बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया जाएगा।

भारत में चीता

- एक समय भारत में चीतों की आबादी काफी व्यापक हुआ करती थी। यह जानवर उत्तर में जयपुर और लखनऊ से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में देवगढ़ तक पाए जाते थे।
- माना जाता है कि चीता 1947 में भारतीय परिदृश्य से गायब हो गया था
- 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था ।
- 1940 के दशक से, चीता 14 अन्य देशों - जॉर्डन, इराक, इज़राइल, मोरक्को, सीरिया, ओमान, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब, जिबूती, घाना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विलुप्त हो गया है।

भारत में चीते कैसे विलुप्त हुए?

- चीता के विलुप्त होने के लिए इनका अति-शिकार मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक था।
- घास के मैदान-जंगल में कमी।
- कृषि अति बल के कारन घास के मैदान में कमी, जिससे चीता के आवास में गिरावट आई।

भारत में चीते को वापस क्यों लाया जा रहा है?

- इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक विकासवादी संतुलन को बहाल करना है।
- इस स्थानान्तरण का उद्देश्य एक चीता 'मेटापॉपुलेशन' विकसित करना भी है, जो जानवर के वैश्विक संरक्षण में मदद करेगा।
- चूंकि यह एक प्रमुख प्रजाति है, इसलिए चीता के संरक्षण से घास के मैदान-जंगल और इसके बायोम और आवास को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
- प्रोजेक्ट टाइगर के परिणामस्वरूप भारत के 52 टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले 250 जल निकायों का संरक्षण भी हुआ है। चीता परियोजना का भी ऐसा ही प्रभाव होने की संभावना है।

इससे पहले भारत में चीता को वापस लाने के लिए किए गए प्रयास

- चीते को वापस लाने का भारत का पहला प्रयास 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ था। डॉ रंजीत सिंह को ईरान के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया था।
- यद्यपि, निम्नलिखित कारणों से चीतों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सका:
  - इस प्रक्रिया के दौरान, देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया और इसके तुरंत बाद, ईरान के शाह का शासन गिर गया।
  - जबकि फ़ारसी चीता को स्थानांतरित करने के लिए पसंद किया गया था, क्योंकि यह एशियाई था, यह अब संभव नहीं है क्योंकि ईरान में चीता की आबादी घटकर 50 से कम हो गई है ।
- जबकि भारत में चीतों को स्थानांतरित करने का प्रयास 2009 में शुरू हुआ, वर्ष 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के प्रयासों के लिए हरी झंडी दी।

भारत में चीतों की आबादी बढ़ाने की भविष्य की योजना

- आगामी 15 वर्षों में, भारत सरकार अफ्रीका के साथ दो से चार चीतों को लेकर समझौता करेगी, ताकि देश में 35-40 की प्रजनन चीता मेटापॉपुलेशन स्थापित की जा सके।
- कुनो नेशनल पार्क में इनके आबादी के अनुकूलित होने पर भारत सरकार देश के अन्य हिस्सों में भी इनको बसाने के प्रयासों का विस्तार करेगी।

ग्रीन फिन्स हब

- हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम (यूएनईपी) ने यूके स्थित चैरिटी रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया।

ग्रीन फिन्स हब के विषय में

- यह पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है, जो परिचालकों को आजमाए हुए और परीक्षण किए गए समाधानों का उपयोग करके अपने दैनिक अभ्यासों में सरल, लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करता है, उनके वार्षिक सुधारों पर नज़र रखता है और अपने समुदायों और ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करता है।
- इसका उद्देश्य समुद्री संरक्षण पर्यटन उद्योग में सबसे बड़ी स्थिरता चुनौतियों को दूर करना है।
- यह स्थायी समुद्री पर्यटन को प्रमुख रूप से बढ़ावा देगा।

अतिरिक्त सुविधाएं

- उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने, पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने और समान विचारधारा वाले उद्योग के नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और सरकारों के साथ सबक और विचारों को साझा करने के लिए दुनिया भर के ऑपरेटरों के लिए ग्रीन फिन्स कम्युनिटी फोरम।
- ग्रीन फिन्स सॉल्यूशंस लाइब्रेरी दो दशकों से अधिक समय से ग्रीन फिन्स नेटवर्क द्वारा आजमाई गई और परीक्षण की गई सामान्य दैनिक परिचालन चुनौतियों के लिए 100 से अधिक प्रमाणित पर्यावरणीय समाधानों तक पहुंच प्रदान करती है।

- सदस्यों को निर्धारित लक्ष्यों के साथ एक वार्षिक स्थिरता कार्य योजना प्राप्त होगी। एक उन्नत यूजर इंटरफेस अब उन्हें समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

केंद्र सरकार ने 2026 तक शहरों के लिए 40% वायु प्रदूषण में कमी का लक्ष्य निर्धारित किया

- केंद्र सरकार ने शहरों में वायु प्रदूषण (पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता) को 2024 तक 20-30% से घटाकर 2025-26 तक 40% करने के लक्ष्य को संशोधित किया है ।
- विदित है कि संशोधित लक्ष्य संबंधित राज्यों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शहर आधारित कार्य योजनाओं के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- 2017 के स्तर की तुलना में 2021-22 में 95 शहरों के वायु गुणवत्ता के प्रदर्शन में सुधार के आधार पर, केंद्र सरकार ने लक्ष्यों को संशोधित किया है।
- एनसीएपी के अंतर्गत शहरों के हालिया एमओईएफसीसी विश्लेषण के अनुसार, 20 शहरों (चेन्नई, मदुरै, नासिक और चित्तूर सहित) ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को भी पूरा कर लिया है, जिसने पीएम10 की स्वीकार्य वार्षिक औसत सीमा 60 यूजी/ एम3 है।
- हालाँकि, यह विश्लेषण अधिक खतरनाक PM2.5 के विषय में जानकारी नहीं देता था, क्योंकि सभी एनसीएपी शहरों में इसकी निगरानी नहीं की जाती है। एनएएक्यूएस के तहत PM2.5 के लिए वार्षिक औसत निर्धारित मानक 40 ug/m3 है।
- गुजरात के एकता नगर में हाल ही में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राज्यों को नए लक्ष्य से अवगत कराया गया था।
- राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, एमओईएफसीसी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क डस्ट प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर इन 131 शहरों को वार्षिक आधार पर रैंकिंग करने का निर्णय लिया गया है।
- संशोधित लक्ष्य के पीछे विचार अंततः पीएम10 और पीएम2.5 दोनों सांद्रता की स्वीकार्य सीमा प्राप्त करना है।
- 2017 के स्तर से अधिक पीएम सांद्रता में 40% की कमी के परिणामस्वरूप दिल्ली और अन्य एनसीआर शहरों - मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और कानपुर में अस्वीकार्य वायु गुणवत्ता होगी।
- हालांकि, कई शहरों में बहुत अधिक कटौती हासिल करने का अनुमान है, जैसे वाराणसी, जिसने 2021-22 (2017 के स्तर से अधिक) में PM10 के स्तर में सबसे अधिक 53% की कमी दर्ज की।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को वर्ष 2019 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 2019 में शुरू किया गया था, जिसे 132 लक्षित शहरों में लागू किया जा रहा है, जो लगातार पांच वर्षों से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप नहीं है।
- 132 में से 124 शहरों में पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा पहचाने गए 34 मिलियन से अधिक शहर (MPC)/शहरी समुदाय शामिल हैं।
- वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने के लिए एक्सवी-एफसी अनुदान के तहत 8 अन्य मिलियन से अधिक शहर शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौज़ूद PM 2.5 और PM10 पार्टिकल्स को 20 से 30 फीसदी तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य निधारित किया गया है।
- PM2.5 और PM10 के लिए देश की वर्तमान वार्षिक सुरक्षित सीमा 40 ug/m3 (माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर) और 60 ug/m3 है।
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा।
- शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित की गई हैं, जिसमें निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहनों या औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने, जन जागरूकता बढ़ाने आदि के उपाय शामिल हैं।
- शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से केंद्रीय और राज्य समितियों, अर्थात् संचालन समिति, निगरानी समिति और कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की जाती है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर की वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और नियमित आधार पर अपने निष्कर्ष प्रकाशित करते हैं।
- प्रभावी निगरानी के लिए, कुछ स्मार्ट शहरों ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) स्थापित किए हैं जो वायु गुणवत्ता मॉनीटर (एक्यूएम) से भी जुड़े हुए हैं।
- कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, केंद्र भारत के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है।
- एक अनुमान के मुताबिक, मौजूदा 101 रीयल-टाइम एक्यूएम के अलावा, देश भर में कम से कम 4,000 मॉनिटरों की आवश्यकता है।

दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक नई नीति तैयार की है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) इसी नीति का हिस्सा है।

- GRAP दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों का एक समूह है। इस साल, यह सामान्य तिथि से 15 दिन पहले लागू होगा।
- GRAP का मुख्य उद्देश्य मानसून की वापसी के बाद प्रदूषकों को इकट्ठा होने से रोकना है।
- संशोधित योजना में दिल्ली में एक्यूआई 450 से अधिक पहुंचने की स्थिति में, आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को छोड़कर, बीएस IV चार पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

- वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए इसे 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- इसमें मध्यम से आपातकाल तक वायु गुणवत्ता की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग उपाय शामिल हैं।
- इसका मुख्य फोकस पूर्वानुमान के आधार पर सक्रिय रूप से प्रतिबंधों को लागू करना है।
- इसे अब दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणियां इस प्रकार हैं:
  - चरण I - 'खराब' (AQI 201-300)
  - चरण II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400)
  - चरण III - 'गंभीर' (AQI 401-450)
  - चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI>450)

जीवाश्म ईंधन पर दुनिया का पहला डेटाबेस लॉन्च

- 'जीवाश्म ईंधन की ग्लोबल रजिस्ट्री' वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन, तेल और गैस भंडार और उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए दुनिया का पहला डेटाबेस है।
- इसमें 89 देशों में 50,000 से अधिक तेल, गैस और कोयला क्षेत्रों के डेटा शामिल हैं, जो वैश्विक उत्पादन का 75% कवर करता है।
- यह दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर नज़र रखने में मदद करेगा और उत्सर्जन की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा।
- ग्लोबल रजिस्ट्री सरकारों और कंपनियों को उनके जीवाश्म ईंधन के विकास के लिए अधिक जवाबदेह बनाएगी।
- ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने कहा कि डेटा सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाली और निजी कंपनियों, समाचार और मीडिया रिपोर्ट आदि से एकत्र किया गया है।
- रजिस्ट्री को कार्बन ट्रैकर और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

पर्यावरण स्थिरता 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट जारी

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में पर्यावरण स्थिरता 2020-21 पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। 'पर्यावरण स्थिरता 2020-21' वार्षिक रिपोर्ट में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया है।
- यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण उपायों, वैकल्पिक ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन आदि की दिशा में भारतीय रेलवे के प्रयासों पर प्रकाश डालता है।
- इस रिपोर्ट में जल संरक्षण, वनरोपण, स्टेशनों के हरित प्रमाणीकरण आदि की दिशा में भारतीय रेलवे के प्रयासों का उल्लेख किया गया है।
- रेल मंत्रालय ने स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जैसे कोचों में जैव शौचालय, बायो-डिग्रेडेबल / नॉन-बायो-डिग्रेडेबल कचरे का पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि।
- भारतीय रेलवे 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहा है।
- स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्टेशनों पर पटरियों की सफाई, प्रमुख स्टेशनों तक एप्रोच और रेलवे परिसर में प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया (एचआई) का अध्यक्ष चुना गया

- दिलीप तिर्की भारत के पूर्व हॉकी कप्तान थे। वह 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे।
- एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन इतिहास में पहली बार हॉकी इंडिया के प्रमुख बने हैं।
- तिर्की ने अपने करियर में डिफेंडर के तौर पर 412 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
- उन्होंने 1996 में अटलांटा, 2000 में सिडनी और 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

हॉकी इंडिया

- इसकी स्थापना मई 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसे भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह भारत में पुरुष और महिला हॉकी दोनों के लिए सभी गतिविधियों की योजना, संचालन और निर्देशन करता है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की

- हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है, खेल के नियमों में यह बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे।
- नए नियमों के अनुसार 'मांकड़' (Mankad) को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा, इसे वैध रन आउट माना जाएगा।
- आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आईसीसी ने पहली बार साल 2020 में लार के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।
- नए नियम के मुताबिक आने वाले नए बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने के दो मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होगा।
- इससे पहले एक बल्लेबाज को वनडे और टेस्ट में स्ट्राइक लेने के लिए तीन मिनट का समय दिया जाता था।
- अब अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है तो आने वाले नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेनी होगी।
- एक बल्लेबाज को डिलीवरी का सामना करते समय अपने बल्ले या अपने शरीर का कुछ हिस्सा पिच के अंदर रखना होगा। अगर कोई बल्लेबाज पिच के बाहर खड़ा होता है तो गेंद को डेड बॉल कहा जाएगा।
- जब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए दौड़ रहा है और यदि क्षेत्ररक्षण पक्ष किसी अनुचित या जानबूझकर चाल से बल्लेबाज को विचलित करता है तो बल्लेबाजी पक्ष को पांच रन दिया जाएगा।

2023 में नोएडा के बौद्ध सर्किट में आयोजित किया जाएगा भारत का पहला मोटो जीपी

- भारत में पहली बार, MotoGP (मोटो जीपी), प्रमुख मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट, ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा।
- डोर्ना स्पोर्ट्स ने सात साल के लिए भारत में चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए फेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इससे पहले बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में कार रेसिंग चैंपियनशिप फॉर्मूला वन का आयोजन किया गया था।
- सरकार ने अब मोटरसाइकिल रेसिंग को एक खेल आयोजन के रूप में वर्गीकृत किया है।

- यह आयोजन राज्य में आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। यह यूपी को वैश्विक मंच पर भी खड़ा करेगा।
- "भारत के ग्रां प्री" की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं। MotoGP भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट MotoE को पेश करने की भी योजना बना रहा है।

बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हराकर सैफ (SAFF) महिला चैम्पियनशिप जीती

- बांग्लादेश ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में अपना पहला सैफ महिला चैम्पियनशिप खिताब जीता।
- बांग्लादेश की ओर से कृष्णा रानी सरकार और सीरत जहां स्वप्ना ने गोल किए, जबकि नेपाल की ओर से अनीता बसनेत ने एक गोल किया।
- बांग्लादेश की कप्तान सबीना खातून 5 मैचों में 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं।
- सबीना खातून ने 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का अवॉर्ड भी जीता।
- बांग्लादेश की गोलकीपर रूपना चकमा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला।
- सैफ महिला चैम्पियनशिप 2022, सैफ महिला चैम्पियनशिप का छठा संस्करण था। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) द्वारा आयोजित किया जाता है।

बेंगलुरू एफसी ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता

- बेंगलुरु एफसी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर डूरंड कप खिताब जीता।
- बेंगलुरु एफसी के लिए शिवा शक्ति और ब्राजील के एलन कोस्टा ने गोल किए जबकि मुंबई सिटी एफसी के लिए अपुइया ने गोल किया।
- यह डूरंड कप का 131वा संस्करण था। सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी टीम के कप्तान थे।

डूरंड कप

- यह एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है।
- यह पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था और यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है।
- इसका नाम इसके संस्थापक सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है।
- इसकी मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी (DFTS) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) द्वारा की जाती है।

रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की

- उन्होंने अगले हफ्ते (23 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक) लेवर कप 2022 के समापन के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।
- वह भविष्य में टेनिस खेलेंगे लेकिन ग्रैंड स्लैम या टूर पर नहीं।
- उन्होंने 24 साल में 1500 से ज्यादा मैच खेले। उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। वह 36 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 बने।
- उन्होंने 103 एटीपी एकल खिताब जीते हैं, जो अब तक के दूसरा सबसे अधिक खिताब है। उन्होंने 5 सीज़न में नंबर 1 स्थान हासिल किए।

- उन्होंने ओपन एरा में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल मुख्य मैच (369) जीते हैं। वह जोकोविच (334) और नडाल (313) से आगे हैं।
- वह एक सीजन में तीन बार (2006, 2007, 2009) सभी 4 स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले और तीन स्लैम (विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन) में पांच या अधिक खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
- वह एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (एटीपी) द्वारा 310 सप्ताह के लिए विश्व नंबर 1 स्थान दिया गया था, जिसमें लगातार 237 सप्ताह का रिकॉर्ड शामिल था।

भारत ने फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF U-17 चैम्पियनशिप का खिताब जीता

- भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया।
- भारत के लिए बॉबी सिंह, कोरौ सिंह, वनलालपेका गुइटे और अमन ने एक-एक गोल किया।
- भारत के कप्तान वनलालपेका गुइटे को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर चुना गया। साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता।

- इससे पहले नेपाल ने टूर्नामेंट के ग्रुप लीग मैच में भारत को 3-1 से हराया था।

- SAFF U-17 चैम्पियनशिप पुरुषों की अंडर -17 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) द्वारा आयोजित किया जाता है।

मैक्स वेर्स्टाप्पेन ने फॉर्मूला वन इटैलियन ग्रां प्री जीता

- मैक्स वेर्स्टाप्पेन ने चार्ल्स लेक्लर को हराया, जो दूसरे स्थान पर रहे।
- ड्राइवरों की रैंकिंग में मैक्स वेर्स्टाप्पेन लेक्लर से 116 अंक आगे है।
- उन्होंने लगातार अपना पांचवां जीपी जीता। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे।
- लेक्लर की टीम के साथी, कार्लोस सैन्ज़, शुरुआती ग्रिड पर अठारवे से चौथे स्थान पर आ गए।
- मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन रेस में पांचवें स्थान पर रहे।

- 2021 में रेस के विजेता डेनियल रिकियार्डो 47वें लैप में रिटायर हुए।
- इटालियन ग्रां प्री पांचवां सबसे पुराना राष्ट्रीय ग्रां प्री है। 2022 इटालियन ग्रां प्री 92वां संस्करण था। यह 11 सितंबर 2022 को इटली के मोंज़ा में मोंज़ा सर्किट में आयोजित किया गया था।

नीरज चोपड़ा ने जीता ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022

- भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

- 88.44 मीटर के उनके दूसरे थ्रो ने उन्हें डायमंड लीग ट्रॉफी दिलाई।
- चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज्च 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
- नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी हैं।

कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता

- स्पेनिश किशोर कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब के फाइनल में कैस्पर रूड को हराया।
- 2005 में राफेल नडाल के फ्रेंच ओपन जीतने के बाद, अलकराज सबसे कम उम्र के पुरुष ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं।
- वह दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं।
- पोलैंड की इगा स्विएटेक ने ट्यूनीशिया की ओन्स जबूर को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। उन्होंने अपना पहला यूएस ओपन एकल खिताब जीता।
- राजीव राम और जो सैलिसबरी ने पुरुष युगल का खिताब जीता, जबकि बारबोरा क्रेजिसिकोवा और कटेसीना सिनियाकोवा ने महिला युगल खिताब जीता।
- स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पीयर्स ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता।
- 2022 यूएस ओपन यूएस ओपन का 142वां संस्करण था।

बिहार सरकार ने स्कूलों में 'नो बैग डे' और अनिवार्य 'खेल पीरियड' की शुरुआत की

- बिहार सरकार छात्रों के बैग के बोझ को कम करने के लिए स्कूलों में "नो बैग डे" नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य 'खेल पीरियड' लागू करने की तैयारी कर रही है।
- शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि साप्ताहिक 'नो बैग डे' में कार्य आधारित प्रायोगिक कक्षाएं लगेंगी। दिन व्यावहारिक और अनुभवात्मक चीजों को सीखने के लिए समर्पित होगा।
- ऐसी नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है, जिसका उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसे सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में लागू किया जाएगा।
- फिलीपींस में हाल ही में संपन्न अर्निस गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने छह पदक जीते।

भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा

- वानिकी विश्वविद्यालय (यूओएफ), तेलंगाना अधिनियम 2022 को हाल ही में राज्य विधानसभा और परिषद में अनुमोदित किया गया था।
- केवल चीन और रूस में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो वनों पर केंद्रित हैं।
- वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) हैदराबाद को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।
- वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए, वानिकी विश्वविद्यालय योग्य वानिकी पेशेवरों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद की जाती है कि वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना कू हरिथा हरम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कू हरिथा हरम

- यह तेलंगाना सरकार की प्रमुख पहल है। यह एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम है।
- इसे 3 जुलाई 2015 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया था।

इंदौर 'स्मार्ट एड्रेस' वाला पहला स्मार्ट सिटी बनेगा

- इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर होगा।
- इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने पता/ पट्टा नेविगेशन्स फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- पता नेविगेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत के लिए एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं।
- यह उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट जियोटैग्ड स्थान खोजने में मदद करेगा। पता ऐप के उपयोगकर्ता अपने आवासों, स्थलों और अन्य वस्तुओं की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता अपना लंबा और पूरा पता साझा करने के बजाय एक छोटे कोड का उपयोग कर सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, जटिल एड्रेसिंग सिस्टम के परिणामस्वरूप भारत को हर साल लगभग 75000 करोड़ का नुकसान होता है।
- समझौता ज्ञापन के अनुसार, पता ऐप का उपयोग सभी सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा किया जाएगा।

- डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम के लिए, पता नेविगेशन को कई सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- पता एमपी टूरिज्म के पर्यटन स्थलों को भी जियोटैग करेगा और उन्हें वेबसाइटों के साथ एकीकृत करेगा।

राजस्थान सरकार ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की

- राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2022 को 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की।
- राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगी।
- राजस्थान सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी।
- इस योजना में उद्यानों का रखरखाव, अतिक्रमण हटाना, जल संसाधनों का संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा जैसे कार्य शामिल होंगे।
- यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुली है। सरकार ने इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- 15 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान कर दिया जाएगा।
- यह योजना सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। इसमें शिकायतों के निवारण और सोशल ऑडिट करने का भी प्रावधान है।
- 400,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, और 250,000 लोगों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।

ई-अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश रहा अव्वल

- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा।
- उत्तर प्रदेश ने ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से 9.12 मिलियन मामलों का निपटारा किया है।
- 2.31 मिलियन के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार 859,000 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में सजा में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।

ई-अभियोजन पोर्टल

- दो साल पहले, गंभीर अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की सहायता के लिए ई-अभियोजन पोर्टल शुरू किया गया था।
- यह इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के तहत पुलिस विभाग और अभियोजन निदेशालय के बीच ई-संचार का माध्यम है।
- यह अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा के हस्तांतरण में मदद करता है।
- इस प्रणाली के तहत, गवाहों को अदालत में उनकी उपस्थिति के दिन के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

भारत का पहला परिवर्तित जैव ग्राम (बायो-विलेज) त्रिपुरा में

- त्रिपुरा के दासपारा गांव में जीवन शैली और आजीविका को प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका में बदल दिया गया है।
- त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि गांव ने रासायनिक खाद का उपयोग कम कर दिया है।
- उन्होंने कहा कि यह त्रिपुरा में संकल्पित सफल जैव-गांव 2.0 में से एक है।
- लंदन स्थित क्लाइमेट ग्रुप ने बायो-विलेज में इस्तेमाल की जाने वाली इको-फ्रेंडली तकनीक को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों में से एक के रूप में मान्यता दी है।
- क्लाइमेट ग्रुप लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी अनुसंधान संगठन है।

बायो-विलेज 2.0

- त्रिपुरा ने 10 गांवों में जैव-गांव (बायो-विलेज) 2.0 घटकों को लागू किया है।
- जैव-गांव 2.0 के तहत, हाशिए (सीमांत) के लोगों को जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा प्रचारित प्रकृति-आधारित प्रौद्योगिकी के अनुकूली व्यवहार के लिए अपनी जीवन शैली और आजीविका को परिवर्तित करने के लिए लक्षित किया गया था।
- जैव गांवों (बायो-विलेज) में केवल जैविक खेती की प्रथा थी। बायो-विलेज 2.0 में अक्षय ऊर्जा के उपयोग जैसे कुछ अन्य घटकों को शामिल किया गया है।

महत्त्वपूर्ण दिवस

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस: 21 सितंबर

- हर साल 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 की थीम "नस्लवाद को समाप्त करें, शांति का निर्माण करें" है।
- जापान के संयुक्त राष्ट्र संघ (यूनाइटेड नेशन ऑफ़ जापान) ने 1954 में द पीस बेल दान किया।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने के लिए 21 सितंबर को 'द पीस बेल' बजाने की परंपरा बन गई है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना की। यह दिन पहली बार 1981 में मनाया गया था।
- 2001 में, यूएनजीए ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया था।

ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस/ विश्व ओजोन दिवस : 16 सितंबर

- ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है।
- ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल@35: पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग' है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था।
- यह 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 2009 को सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधियाँ थीं।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्यों की 28 वीं बैठक में, प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को समाप्त करने पर सहमत हुए।
- ओजोन परत गैस की ढाल है जो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है।
- ओजोन परत के क्षरण से मनुष्यों में त्वचा का कैंसर और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है।

इंजीनियर दिवस 2022: 15 सितंबर

- हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है।
- यह भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- 15 सितंबर को, विश्वेश्वरैया के महान कार्यों को भारत के साथ-साथ श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया

- उनका जन्म 15 सितंबर, 1861 को हुआ था और उनका निधन 1962 में हुआ था।
- उन्होंने भारत के बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना के मुख्य अभियंता थे।
- वह उन समिति सदस्यों में से एक थे जिन्होंने 1934 में भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना बनाई थी।

- उन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश सरकार से नाइट कमांडर की उपाधि भी मिली थी।
- उन्होंने खड़कवासला जलाशय के स्वचालित बैरियर वाटर फ्लडगेट को डिजाइन किया।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस: 15 सितंबर

- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसे लोकतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को 2007 में यूएनजीए के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया था।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था।
- इस वर्ष, यह दिन "लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व" पर केंद्रित है।
- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है।

हिंदी दिवस : 14 सितंबर

- 14 सितंबर 1949 को, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। (अनुच्छेद 343)
- 1953 से पूरे देश में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी।
- यह दिन व्यौहार राजेन्द्र सिंह का जन्मदिन भी है। उनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ था।
- उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस (14 सितंबर 2022) के अवसर पर गुजरात के सूरत शहर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।
- उन्होंने कहा कि आसानी से हिंदी सीखने के लिए 'लीला हिंदी प्रवाह' एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
- 2019 में 615 मिलियन बोलने वालों के साथ हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस: 8 सितंबर

- हर साल, मानव अधिकार के रूप में साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक साक्षर समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
- "ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस" वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम है।
- थीम साक्षर वातावरण के महत्व को दर्शाता है और सभी के लिए उच्च गुणवत्ता, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था।
- वर्तमान में, दुनिया भर में लगभग 771 मिलियन लोगों में बुनियादी साक्षरता क्षमताओं का अभाव है। साक्षरता किसी समाज या व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इस अवसर पर यूनेस्को ने कोटे डी आइवर में दो दिवसीय हाइब्रिड अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया है।

शिक्षक दिवस 2022: 5 सितंबर

- शिक्षक दिवस 05 सितंबर को भारत में मनाया जाता है।
- यह शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
- डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति (1952-1962) थे। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति (1962-1967) बने। उनका जन्म 05 सितंबर 1888 को हुआ था।
- शिक्षक दिवस 2022 का विषय 'संकट में अग्रणी, भविष्य की फिर से कल्पना करना' है।
- विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 46 शिक्षकों को 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया।
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य उन शिक्षकों के समर्पण और कड़ी मेहनत को पहचानना और पुरस्कृत करना है, जिन्होंने अपने छात्रों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

नियुक्ति

आईओए के संविधान में संशोधन के लिए पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया

- 22 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने और एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया।
- शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति राव को ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने और इस साल 15 दिसंबर तक संगठन के चुनाव कराने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आईओए के महासचिव राजीव मेहता और आईओए के उपाध्यक्ष आदिले सुमरीवाला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ आगामी बैठक में भाग लेने की अनुमति दी है।
- बैठक 27 सितंबर को होने वाली है।
- 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने आईओए को अपने शासन के मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की, अन्यथा यह उस पर प्रतिबंध लगा देगी।

न्यायमूर्ति एम एन भंडारी को पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

- केंद्र ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया।

- न्यायमूर्ति भंडारी 12 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
- भारत के राष्ट्रपति ने श्री भंडारी को तस्करों और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ अधिनियम (SAFEMA) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।
- उन्हें 2,50,000/- (निश्चित) प्रति माह के वेतन पर चार साल के लिए, या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते के लिए नियुक्त किया गया है।
- यह आदेश वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था।
- 2016 के वित्त अधिनियम के माध्यम से, SAFEMA और PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण को मिला दिया गया था।
- ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का पद सितंबर 2019 से खाली था।

महेश वी अय्यर को महानगर गैस लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया

- महेश विश्वनाथन अय्यर ने 1 सितंबर, 2022 से महानगर गैस लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
- इस नियुक्ति से पहले, वह गेल (इंडिया) के निदेशक (व्यवसाय विकास) थे।
- उन्होंने कोंकण एलएनजी लिमिटेड और सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।
- उन्हें गैस पाइपलाइनों, एलएनजी टर्मिनलों, शहरी गैस वितरण परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन का व्यापक अनुभव है।

खबरों में अन्य नियुक्तियां

पीटर एल्बर्स	इंडिगो के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया

अजीत कुमार सक्सेना	MOIL लिमिटेड में सीएमडी पद के लिए चयनित
महेश वी अय्यर	महानगर गैस लिमिटेड के अध्यक्ष
कृष्णन शंकरसुब्रमण्यम	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ
बीके त्यागी	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी
उत्पल कुमार सिंह	संसद टीवी के सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार
लक्ष्मण नरसिम्हन	स्टारबक्स के सीईओ
यमुना कुमार चौबे	एनएचपीसी के सीएमडी
संतोष अय्यर	मर्सिडीज बेंज के एमडी और सीईओ (कार्यकाल जनवरी 2023 से शुरू होता है)
महेंद्र शाह	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीएमडी (1 अक्टूबर 2022 से)

वोल्कर तुर्क को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वोल्कर तुर्क को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया।
- वोल्कर तुर्क चिली की मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे, जिनका चार साल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया।
- इससे पहले, वह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों, यूएनएचसीआर में सुरक्षा के लिए सहायक उच्चायुक्त थे।
- उन्होंने शरणार्थियों पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के कार्यकारी कार्यालय में रणनीतिक समन्वय के लिए सहायक महासचिव के रूप में भी कार्य किया।

मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय

- इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है।
- यह 1993 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है।
- यह 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में गारंटीकृत मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है।

न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नामित

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- कानून और न्याय मंत्रालय ने आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की।
- 13 मई 2016 को, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित नालसा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे।

भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

- इसकी स्थापना 9 नवंबर, 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार की गई थी।
- इसका लक्ष्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है (जैसा कि अधिनियम की धारा 12 द्वारा परिभाषित किया गया है) और तेजी से मामले के समाधान के लिए लोक अदालतों की व्यवस्था करना है।
- नालसा के मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

पुरस्कार और सम्मान

भारतीय लेखिका मीना कंडासामी ने जीता जर्मन पेन पुरस्कार

- मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया।
- यह पुरस्कार 15 नवंबर, 2022 को डार्मस्टड में एक समारोह में दिया जाएगा।
- मीना कंदासामी एक नारीवादी और जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं। वह लिंग, जाति, लैंगिकता, पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर काम करती है।
- उनके उपन्यासों को वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन, अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस पुरस्कार, झलक पुरस्कार और हिंदू लिट पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- तमिल टाइग्रेस (2021), टच (2006), जिप्सी गॉडेस (2014) और मिस मिलिटेंसी (2010) मीना कंदासामी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।
- इस वर्ष संघर्ष क्षेत्रों के लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए वेबसाइट "वीटर श्रेइबेन" को एक विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा।
- हरमन केस्टन पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है, जो सताए गए लेखकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं।
- विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में €20,000 ($19,996) की राशि मिलती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार 2020-21

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार 2020-21 कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए। दो विश्वविद्यालयों, दस एनएसएस इकाइयों और 30 स्वयंसेवकों ने पुरस्कार प्राप्त किए।
- राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हर साल युवा मामले विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, एनएसएस इकाइयों, एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों आदि द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
- वर्तमान में, एनएसएस के देश भर में लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हैं।
- एनएसएस वर्ष 1969 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार

- यह हर साल एनएसएस स्थापना दिवस (24 सितंबर) के दिन प्रदान किया जाता है।
- यह 1992-93 के दौरान युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।

पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिए जाते हैं:

- विश्वविद्यालय/ +2 परिषद
- एनएसएस इकाइयां और उनके कार्यक्रम अधिकारी
- एनएसएस स्वयंसेवक

'इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव' ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता

- भारत ने अपने "इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव", (आईएचसीआई) के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, जो उच्च रक्तचाप से लड़ने के लिए देश के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और मान्यता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आईएचसीआई एक बड़े पैमाने का पहल है।
- आईएचसीआई को भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
- आईएचसीआई को न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक साइड इवेंट में '2022 यूएन इंटरएजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर डब्ल्यूएचओ विशेष कार्यक्रम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार गैर-संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत के असाधारण प्रयासों के लिए दिया गया है।
- 2017 में, 23 राज्यों के 130 से अधिक जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पहल शुरू की गई थी।
- इस पहल के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों सहित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में 34 लाख से अधिक उच्च रक्तचाप के रोगियों का इलाज किया जा रहा है।

ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023

- हाल ही में डेनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार-2023 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है।
- उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला।
- ब्रेकथ्रू प्राइज फाउंडेशन ने तीन श्रेणियों - मौलिक भौतिकी, गणित और जीवन विज्ञान में विजेताओं की घोषणा की है।
- पुरस्कार के विजेताओं को "लॉरेटस" के रूप में जाना जाता है। ब्रेकथ्रू पुरस्कारों की स्थापना 2010 में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा की गई थी।
- विजेता को 3 मिलियन डॉलर का पुरस्कार मिलता है। इसे "ऑस्कर ऑफ साइंस" के नाम से भी जाना जाता है।

विजेताओं की सूची नीचे दी गई है:

वर्ग	विजेता	उपलब्धि
मौलिक भौतिकी	चार्ल्स बेनेट, गिल्स ब्रासार्ड, डेविड डॉयच और पीटर शोर	क्वांटम जानकारी में काम करने के लिए।
जीवन विज्ञान	क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथनी हाइमन	सेलुलर संगठन के एक नए तंत्र की खोज के लिए
	डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर	अल्फाफोल्ड विकसित करने के लिए
	इमैनुएल मिग्नोट और मसाशी यानागिसावा	नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए।
गणित	डैनियल स्पीलमैन	सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में योगदान के लिए

गुजराती फिल्म 'छेल्लो शो' ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित

- भारतीय फिल्म महासंघ ने 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में 'छेल्लो शो' की घोषणा की।
- छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है।
- फिल्म के निर्देशक पैन नलिन हैं।
- यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।
- 'छेल्लो शो' का शीर्षक अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है।
- 'छेल्लो शो' एक किशोर बालक की कहानी है। वह भारत के एक दूरदराज के गाँव में रहता है और सिनेमा के साथ उसका गहरा संबंध जुड जाता है।
- यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ से फिल्म देखने में पूरी गर्मियों का समय बिताता है।

भारतीय उद्योगपति डॉ स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

- डॉ स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए 'शवैल्ये डे ला लीजन डी' ऑनर (नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर) प्राप्त हुआ।
- डॉ स्वाति पीरामल, पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और ग्लास पैकेजिंग में फैली एक व्यावसायिक समूह है।
- फ्रांस की यूरोप और विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने डॉ स्वाति पीरामल को यह पुरस्कार प्रदान किया।
- 2016 में, डॉ स्वाति पीरामल को फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था।
- पीरामल पद्म श्री के प्राप्तकर्ता भी हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के व्यापार सलाहकार परिषद और वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
- कला का पिरामल संग्रहालय 'साइंस बियॉन्ड बॉर्डर्स' प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है।

लीजन ऑफ ऑनर

- इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी।
- यह फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

एमी पुरस्कार 2022

- लॉस एंजिल्स में माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में 74वें एमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है।
- एमी पुरस्कार चार प्रमुख अमेरिकी पुरस्कारों में से एक है। यह टेलीविजन उद्योग में कलात्मक और तकनीकी कार्यों के लिए दिया जाता है।
- ज़ेंडया ने 'यूफोरिया' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और 'सक्सेशन' को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक नामित किया गया।
- माइकल कीटन ने 'डोपेसिक' के लिए लिमिटेड सीरीज में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता।

श्रेणी	विजेता
बेस्ट ड्रामा सीरीज	'सक्सेशन' (एचबीओ)
बेस्ट कॉमेडी सीरीज	टेड लासो (एप्पल टीवी +)
बेस्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज	व्हाइट लोटस (एचबीओ)
ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर	ली जंग जे (स्क्विड गेम)
ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस	ज़ेंडया (यूफोरिया)
कॉमेडी सीरीज में लीड एक्टर	जेसन सुदेकिस (टेड लासो)
कॉमेडी सीरीज में लीड एक्ट्रेस	जीन स्मार्ट (हैक्स)
लिमिटेड सीरीज या मूवी में लीड अभिनेता	माइकल कीटन (डोपसिक)
लिमिटेड सीरीज या फिल्म में लीड अभिनेत्री	अमांडा सेफ्रीड (ड्रॉपआउट)

64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की घोषणा

- 31 अगस्त को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। सोथेरा छिम (कंबोडिया), बर्नाडेट जे मैड्रिड (फिलीपींस), तदाशी हटोरी (जापान) और गैरी बेनचेघिब (इंडोनेशिया) को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- 30 नवंबर को मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- सोथेरा छिम एक मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने खमेर रूज के नरसंहार शासन के बाद लोगों को आघात से बाहर आने में मदद की। उन्होंने अपना जीवन लोगों के इलाज के लिए समर्पित कर दिया।
- तदाशी हटोरी एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हजारों वियतनामी ग्रामीणों का इलाज किया। उन्होंने स्थानीय डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया।
- बर्नाडेट जे मैड्रिड एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की।
- उन्होंने मनीला में फिलीपीन जनरल अस्पताल में फिलीपीन के पहले बाल संरक्षण केंद्र का नेतृत्व किया।
- गैरी बेनचेघिब को प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पर सैकड़ों वीडियो बनाने के लिए पुरस्कार मिला।
- पश्चिम जावा में प्रदूषित सिटारम नदी पर उनके एक वृत्तचित्र ने सरकार को सात साल का पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

- यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
- यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी।

फिल्मफेयर अवार्ड्स 2022

- 67वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2022 में रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
- तीन सबसे सफल फिल्में कृति सनोन की मिमी, विक्की कौशल की सरदार उधम और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह थीं।

- जिन तीन फिल्मों को सबसे अधिक पुरस्कार मिले, वे सभी ओटीटी रिलीज़ थीं।
- करण जौहर द्वारा निर्मित फिल्म शेरशाह अमेज़न प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई।

विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है:

श्रेणी	विजेता
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	"83" के लिए रणवीर सिंह
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	मिमी के लिए कृति सेनन
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स च्वाइस)	सरदार उधम के लिए विक्की कौशल
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स च्वाइस)	शेरनी के लिए विद्या बालन
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन
सर्वश्रेष्ठ फिल्म (पॉपुलर कैटेगरी)	शेरशाह
सर्वश्रेष्ठ फिल्म (क्रिटिक्स च्वाइस)	सरदार उधम

सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष)	मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी
सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (महिला)	मिमी के लिए सई ताम्हणकर
बेस्ट डेब्यू मेल	एहान भट (99 सॉन्ग्स)
बेस्ट डेब्यू फीमेल	बंटी और बबली 2 के लिए शरवरी वाघ
बेस्ट डेब्यू निर्देशक	सीमा पाहवा (रामप्रसाद की तेरहवीं)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)	बी प्राक (मन भरया शेरशाह)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)	असीस कौर (रातां लम्बिया-शेरशाह)
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड	सुभाष घई

निधन

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय निधन

- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में 70 वर्षों तक शासन करने के बाद निधन हो गया। उन्होंने 08 सितंबर 2022 को अपने स्कॉटिश एस्टेट बाल्मोरल में अंतिम सांस ली।
- वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली सम्राट हैं। उन्होंने 1952 में गद्दी संभाली। किंग चार्ल्स III उनके बेटे हैं।
- उनके शासनकाल में विंस्टन चर्चिल से शुरू होकर और सुश्री ट्रस सहित 15 प्रधानमंत्री थे।
- उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर के रूप में हुआ था।
- एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे।

कलाकार राम चंद्र मांझी का निधन

- बिहार के प्रसिद्ध कलाकार राम चंद्र मांझी का हाल ही में पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह भोजपुरी लोक रंगमंच कला "लौंडा नाच" के अग्रणी के रूप में प्रसिद्ध थे।
- उनका जन्म बिहार में सारण जिले के नागरा ब्लॉक के एक नदी के किनारे के गांव तुजरपुर में हुआ था।

- वह "भोजपुरी के शेक्सपियर" भिखारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध लोक कलाकार और भोजपुरी कवियों की मंडली के सबसे पुराने सदस्य थे।
- उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित थे।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

लौंडा नाच

- लौंडा नाच बिहार की एक प्रमुख भोजपुरी लोक कला है जिसमें गीत, नृत्य, हास्य, व्यंग्य, हास्यानुकृति और थिएटर शामिल हैं।
- लौंडा नाच में, पुरुष प्रदर्शन के दौरान साड़ी, ब्लाउज, लंबे बालों वाली विग पहनकर महिलाओं का प्रतिरूपण करते हैं।

पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन

- मिखाइल गोर्बाचेव 15 मार्च 1990 से 25 दिसंबर 1991 तक रूसी राष्ट्रपति रहे और वह सोवियत संघ के अंतिम नेता थे।
- उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु हथियार समझौते पर बातचीत के लिए 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
- उन्होंने बिना रक्तपात के शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- दशकों के शीत युद्ध के तनाव के बाद, गोर्बाचेव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को पश्चिम के सबसे करीब लाए।
- उन्होंने सोवियत संघ में नई राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत की।

यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1. ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. ज्वार उत्तर भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है।
   2. महाराष्ट्र अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है।
   3. दक्षिण व मध्य भारत में ज्वार खरीफ की प्रमुख फसल है, जबकि उत्तर भारत में यह खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोयी जाती है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
   (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं
2. दलहनी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती हैं।
   2. अरहर और चना खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलें हैं।
   3. मूंगफली शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में रबी ऋतु में बोयी जाती है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
3. भारत में लोगों की अक्सर सो कर उठने के बाद जो पहली जरूरत होती है, वह है चाय, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. हरी चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की काली पत्तियां अकिण्वित होती हैं।
   2. चाय उत्पादक देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
   3. दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरि तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
4. भारत में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में अधिकांश धात्विक खनिज पाये जाते हैं।
   2. भारत में असम तथा गुजरात के अपटीय क्षेत्रों में, पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार पाये जाते हैं।
   3. अभ्रक, चूना-पत्थर तथा ग्रेफाइट कार्बनिक उत्पत्ति के अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2 और 3
5. निम्नलिखित में से कौन-सा/से खनिज पदार्थों की निश्चित विशेषताएं हैं?
   1. असमान वितरण
   2. गुणवत्ता और मात्रा के बीच विपरीत संबंध
   3. समय के साथ मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
   (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत के दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में कोयले के विस्तृत निक्षेप पाये जाते हैं।
   2. केरल में थोरियम तथा मोनाजाइट के निक्षेप पाये जाते हैं।
   3. दक्षिण-पश्चिमी पठारी पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर-पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं हैं।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
7. आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. ये परतदार चट्टानें है, जिसमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं।
   2. मुख्य हिमालय की तलहटी में अर्कियन चट्टानें पायी जाती हैं।
   3. प्रायद्वीपीय भारत का लगभग दो तिहाई भाग आर्कियन शैलों से निर्मित है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
8. धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. ये चट्टानें भारत में पायी जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं।
   2. धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कई प्रकार के जीवाश्म पाये जाते हैं।
   3. इनका निर्माण कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
9. विंध्यन तंत्र के लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों के उदाहरण हैं-
   1. सांची का बौद्धस्तूप 2. दिल्ली का बिड़ला मंदिर
   3. हुमायूं का मकबरा 4. आगरा का किला

   नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
   (a) केवल 4 (b) केवल 3 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. विंध्यन क्रम गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के मध्य जल-विभाजक रेखा निर्मित करती है।
    2. कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।
    3. भारत में पाये जाने वाले, सर्वोत्तम किस्म के कोयले का, सर्वाधिक भंडार गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों में पाया जाता है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं
11. करेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. करेवा झीलों में एकत्रित होने वाला निक्षेप एवं अवसाद है।
    2. यह पीर-पंजाल पर्वतमाला की निचली ढलानों पर पाया जाता है।
    3. करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3
12. छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश तक है।
    2. छोटा नागपुर के पठार में आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना युगों की चट्टानें पायी जाती हैं।
    3. छोटा नागपुर के पठार का जल अपवाह धनश्री, जमुना और दामोदर नदियों द्वारा होता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
13. भारत के विभिन्न दर्रों और जिन स्थानों को वह जोड़ता है, के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-
    1. भोर घाट - कोयंम्बटूर को कोच्ची से
    2. थाल घाट - मुंबई को पुणे से
    3. हल्दी घाटी - राजसमंद को पाली जिले से

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
    (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नही
14. बद्रीनाथ तथा केदारनाथ भारत के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक हैं, ये हिमालय के किस भाग में स्थित हैं?
    (a) लघु हिमालय (b) कुमायूं हिमालय
    (c) ट्रांस हिमालय (d) कश्मीर हिमालय
15. पूर्वी हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. पूर्वी हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला हुआ है।
    2. पूर्वी हिमालय के अंतर्गत कंचनजंगा, मकालू तथा धौलागिरि आदि पहाड़ियां आती हैं।
    3. अधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में मृदा अपरदन की प्रक्रिया बहुत तीव्र है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
16. भांगर मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. भांगर, नदियों के दोनों तटों पर फैले विस्तृत क्षेत्र होते हैं, जो प्रायः वर्षा ऋतु में बाढ़ से प्रभावित रहते हैं।
    2. इनमें नई जलोढ़ मिट्टी की परत जमा होती है, जिसमें ह्यूमस का अभाव होता है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
17. पूर्वी तट पर स्थित झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. महानदी के डेल्टा के पश्चिम में स्थित चिल्का झील पूर्वी तट की सबसे बड़ी लैगून झील है।
    2. गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच तट के पास पुलीकट झील स्थित है।
    3. कोलेरू झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित ताजे पाने की झील है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी
18. निम्नलिखित स्थानों में कहां जारवा, ओंगेज तथा सेंटीनेलिज जनजाति पायी जाती है?
    (a) अंडमान निकोबार द्वीप समूह (b) नीलगिरि की पहाडियां
    (c) लक्षद्वीप समूह (d) मणिपुर तथा मिजोरम
19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. आठ डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनीकॉय से अलग करता है।
    2. दस डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है।
    3. पाक जलसंधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नही
20. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए-
    1. सुबनसिरी 2. तीस्ता
    3. लोहित 4. दिहांग

    उपर्युक्त में से कौन-सी ब्रह्मपुत्र नद से दाहिने तट पर आकर मिलती है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 3 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4
21. निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित नहीं है/हैं?

संरक्षित क्षेत्र	-	पाये जाये वाले प्रमुख पक्षी
1. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान	-	साइबेरियन क्रेन

2. नामदफा पक्षी अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश - सफेद पंखों वाली वुड डक
3. काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

22. निम्नलिखित में से कौन-सी रेशम की प्रमुख किस्में हैं?
1. मलबरी 2. इरी
3. मूंगा 4. ट्रॉपिकल टसर
5. ओक्सटार

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2, 3 और 5
(c) 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

23. भारत के कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों के निर्माण में निम्नलिखित में से किन कारकों को आधार बनाया गया है?
1. संबंधित क्षेत्र की जलवायु
2. औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षण
3. जनसंख्या घनत्व
4. मृदा के प्रकार
5. उपज की अवधि

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2, 4 और 5
(c) केवल 1, 2, 3 और 5 (d) उपर्युक्त सभी

24. टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी (टिस्को) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी (टिस्को) झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदियों के संगम पर स्थित है।
2. टिस्को संयंत्र को लौह अयस्क गोवा से तथा कोयला झरिया के रामनगर खानों से प्राप्त होता है।
3. टिस्को संयंत्र द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का निर्यात कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों से किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत में सर्वाधिक रेल घनत्व वाला राज्य पंजाब है।
2. भारतीय रेल के उत्तर-पूर्वी जोन का मुख्यालय गोरखपुर है।
3. भारत में रेल घनत्व पर्वतीय राज्यों की अपेक्षा उत्तर के मैदानी भागों में अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नही

26. भारत के समुद्र तटीय मैदान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मालाबार तट पर उथला जलमग्न मैदान है, जिसे समुद्री लहरों ने काटकर बैचनुमा बना दिया है।
2. भारतीय तट रेखा प्रायः सीधी सपाट है, इसलिए कटान व खाड़ियां कम हैं।
3. पूर्वी तट पर जलमग्न घाटियां हैं, इनके ढाल क्षेत्र महाद्वीपीय जलमग्न तट बना रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. नीलगिरि का सर्वोच्च शिखर दोदाबेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है।
2. दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

28. मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मालवा का पठार, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है।
2. बुंदेलखंड पठार को 'उत्खात भूमि का प्रदेश' कहते हैं।
3. लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी मालवा पठार की विशेषता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

29. हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हिमालय के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी छोरों पर सिंधु व दिहांग गॉर्ज मिलते हैं।
2. पूर्ववर्ती नदियों के कटाव से गार्ज घाटियों का निर्माण हुआ।
3. थांगा ला, नीति, लिपुलेख दर्रे, उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

30. दक्कन पठार के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. दक्कन पठार के उत्तर में महादेव और मैकाल पहाड़ियां है।
2. गोदावरी नदी, तेलंगाना पठार को विभाजित करती है।
3. बाबाबूदन की पहाड़ियां बघेलखंड पठार का हिस्सा हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

31. भारत की भू-आकारिकी में हिमालय के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हिमालय क्षेत्र में लिग्नाइट, पेट्रोलियम तथा तांबा प्राप्त होता है।
2. हिमालय भारत में वर्षा को नियंत्रित करता है।
3. हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है, जिससे देश में निम्न तापमान की स्थिति बनती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

32. पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. ये अवशिष्ट पर्वत हैं, इनका विकास कुडप्पा संरचना से हुआ।
2. पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इनका अपरदन अधिक हुआ है।
3. पूर्वी घाट, दक्षिण में बिलगिरि श्रेणी के निकट सर्वाधिक ऊंचाई पर है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

33. पश्चिम घाट पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ है।
2. पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक 'भ्रंश कगार' है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

34. प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है।
2. पठारी भागों पर अधिक खड्डों के मिलने के कारण यहां तालाबों की अधिकता है।
3. पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

35. मैदानों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व परिवहन का कार्य किया जाता है।
2. अवसादी भू-गार्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार है।
3. भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

36. उत्तरी मैदान का पश्चिम प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पंजाब-हरियाणा मैदान में व्यास और रावी के बीच बिस्ट दोआब स्थित है।
2. राजस्थान का मैदान शुष्क और अद्धशुष्क है।
3. सिंधु नदी के पश्चिमी का मैदान बांगर से तथा पूर्व में स्थित मैदान डेल्टा से निर्मित है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

37. शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका विस्तार पोतवार बेसिन से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक है।
2. पंजाब में यह संकरा तथा पूर्व में अधिक चौड़ा होता गया है।
3. शिवालिक, अरुणाचल में डाफला, मिरी, मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1

38. अपरदन शक्तियों के प्रभाव से प्रायद्वीपीय पठार छोटे-छोटे पठारों में विभाजित हो गया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अधोभ्रंशन के परिणामस्वरूप मेघालय का पठार निर्मित हुआ।
2. छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा राजमहल व पारसनाथ की पहाड़ियां बनाती हैं।
3. शिलांग पठार, छोटानागपुर पठार का ही अग्रभाग है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

39. अंडमान निकोबार द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकानयोमा का ही दक्षिणी विस्तार है।
2. ये द्वीप निमाज्जित उच्च भूमि के अवशेष हैं।
3. अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, इंटरव्यू द्वीप है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

40. भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हिंद महासागर की निकटता के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान सम रहते हैं, जबकि आंतरिक भाग में महाद्वीपीय जलवायु का रूप पाया जाता है।
2. जेट स्ट्रीम एवं एलनिनो प्रभाव भारत की जलवायु दशाओं में अतिवादी स्थिति लाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

41. लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस द्वीप समूह का निर्माण लक्षद्वीप-चैगोस अंतः सागरीय कटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से हुआ।
2. उच्च जैव-विविधता क्षेत्र, एटॉल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाये जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

42. उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. दक्षिण भारत की नदियों की अपरदन क्षमता क्षीण है, जबकि उत्तर भारत की नदियों की अपरदन क्षमता अधिक है।
2. हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां विसर्प का निर्माण करती हैं।
3. प्रायद्वीपीय नदियां अभी विकास की अवस्था में हैं, वही हिमालय की नदियां अपनी प्रौढ़ा अवस्था में है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

43. भारत में नदी अपवाह तंत्र के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. दक्षिण भारत की नदियां हिमालय क्षेत्र की नदियों से अधिक प्राचीन हैं।
2. प्रायद्वीपीय भू-भ्रंश में प्रवाहित नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपेक्षाकृत नयी हैं।
3. प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह के मार्ग में समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

44. सतलज नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भाखंडा-नांगल परियोजना के लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है।
2. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा रावी तथा ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

45. देश की नदी घाटी परियोजनाओं को विकसित करने के क्या उद्देश्य हैं?
1. अनावृष्टि के समय जल की सुविधा प्राप्त करना
2. नदी घाटी एवं समीपस्थ स्थलों में पर्यटन स्थलों का विकास करना
3. नदी घाटी में उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित विकास करना
4. भूमि का वैज्ञानिक उपयोग
5. वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना
कूट:
(a) केवल 2, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

46. भारत में मिट्टियों से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अवनालिका अपरदन तेज पानी के बहाव एवं वायु के वेग द्वारा होता है।
2. क्षारीय मिट्टी की समस्या मुख्यतः शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों एवं उच्च वाष्पीकरण के भू-भागों में पायी जाती है।
3. भू-शोषण की समस्या का संबंध आधुनिकीकरण एवं तकनीकी से है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

47. भारतीय जलवायु की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. शीतकालीन अल्प वर्षा, रबी की फसलों तथा तमिलनाडु में चावल की कृषि के लिए लाभदायक है।
2. तटवर्ती भागों में तापांतर अधिक होता है, जबकि उत्तर-पश्चिम में निम्न तापांतर रहता है।
3. देश के किसी न किसी क्षेत्र में उष्ण, आर्द्र, उपोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु पाया जाना जलवायु विविधता की विशेषता है।
4. मरुस्थलीय भागों में वर्षा का औसत 100 सेमी. से अधिक रहता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 4 (d) केवल 2 और 3

48. प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है।
2. अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, मानव संसाधन विकास कहलाता है।
3. संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, सततपोषणीय विकास कहलाता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

49. भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित में से किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है?
1. स्थलाकृति 2. मृदा
3. जनसंख्या 4. खनिज
5. जलवायु 6. प्रौद्योगिकी

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1, 2, 4 और 5 (b) केवल 2, 3 और 6
(c) केवल 3, 4, 5 और 6 (d) उपर्युक्त सभी

50. भारत में भूस्खलन की घटनाएँ अक्सर समाचारों में देखने को मिलती हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
2. भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है।
3. भारत में सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ-साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. वर्धनकाल में मध्यम तापमान
2. शस्य कर्तन (फसल की कटाई) के समय तेज धूप
3. इसका विकास सु-अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है
4. यह शीत ऋतु में उगाया जाता है

उपर्युक्त कथनों से भारत में उगाई जाने वाली किस फसल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है?
(a) गेहूँ (b) चावल
(c) मक्का (d) कपास

52. औद्योगिक विपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. उद्योगों में दुर्घटना/विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है।
2. भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को घटित, औद्योगिक दुर्घटना, एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी।
3. जोखिम कम करने के लिए घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के पास बनाया जाना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

53. भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की परंपरा रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. ब्रिटिश शासन से पूर्व, हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था।
2. हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन सस्ता और बनने में कम समय लेता था।
3. वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

54. अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है।
2. गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं।
3. नजदीक में मुंबई पत्तन, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

55. जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं।
2. भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

56. जनसंख्या का घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में है।
2. संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
3. वाराणसी आर्थिक कारणों से बसाया गया एक महत्वपूर्ण शहर है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

57. जनसंख्या परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं।
2. उत्प्रवासी वे लोग होते हैं, जो देश में आते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

58. जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. सामान्यतः बच्चों की संख्या (15 वर्ष से नीचे) निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है।
2. जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है।
3. एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊँचे हैं, उसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से सँकरा हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

59. भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है।
2. भारत के उत्तर-पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है।
3. इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में संकरा है और हिंद महासागर की ओर चौड़ा होता गया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

60. हिमालय पर्वत श्रंखला के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
1. हाल में बनी स्थलाकृतियाँ 2. एक अस्थिर भाग
3. ऊँचे शिखर 4. मंथर गति से बहने वाली नदियाँ
उपर्युक्त में से कौन-से हिमालय की विशेषताओं को दर्शाते हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

61. भारत की जनसँख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है।
2. असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है।
3. पहाड़ी, कटे-छँटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

62. मानव संसाधन विश्लेषण आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जनशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह उपलब्ध मानव संसाधनों के द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं व संभावनाओं का परीक्षण करता है।
2. इस प्रकार प्रत्येक सीमित संसाधन के बेहतर प्रयोग की संभावना बढ़ती है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

63. विकासशील देशों में मानव संसाधन विकास निम्नलिखित में से किन कारणों से महत्वपूर्ण है?
1. विज्ञान तकनीक एवं नवीनतम यंत्र उपकरणों को संचालित करने के लिए कुशलता एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है।
2. विकासशील देश नवीनतम तकनीकों को अपना रहे हैं, इसके लिए आर्थिक कुशलता व प्रशिक्षण प्राप्त करना पहली शर्त है।
3. विकास के साथ-साथ दृष्टिकोण परिवर्तन होता है।
कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

64. यदि मानवीय संसाधनों पर अल्प विनियोग किया जाये तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
1. श्रम की कुशलताएँ न्यून होंगी
2. उपक्रमशीलता का अभाव होगा
3. सामाजिक संस्थाएँ उच्च स्तर पर ही कार्य करेंगी
4. भौतिक पूँजी की अवशोषण क्षमता अल्प होगी
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

65. प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक ताज़ा रिपोर्ट में दुनिया की जनसँख्या के संबंध में अनुमान लगाया गया है, इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत की आबादी इस सदी के अंत होते-होते घटकर सिर्फ एक अरब के करीब रह जाएगी।
2. भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा।
3. रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी साल 2100 में करीब 8.8 अरब हो जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

66. भारत की ग्रामीण बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है।
2. भारत में कुछ सौ घरों से युक्त संहत अथवा गुच्छित गाँव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

67. भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए कौन-से कारक और दशाएँ उत्तरदायी हैं?
1. भू-भाग की प्रकृति 2. ऊँचाई
3. जलवायु 4. जल की उपलब्धता
5. सामाजिक संरचना 6. जाति और धर्म
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 3, 4, 5 और 6
(c) केवल 1, 2, 5 और 6 (d) उपर्युक्त सभी

68. भारत में पाई जाने वाली पल्ली बस्तियों (Hamleted Settlements) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. ये खंडीकृत बस्तियां होती हैं, किंतु उन सबका नाम एक रहता है।

2. इन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाँणी इत्यादि कहा जाता है।
3. पल्ली बस्तियों का निर्माण प्रायः आर्थिक कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

69. भारत में परिक्षिप्त बस्तियों (Dispersed Settlements) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भू-भाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है।
2. मुख्यतः उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश और केरल के भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

70. नगरीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. नगरीय बस्तियाँ सामान्यतः खंडित परन्तु विशाल आकार की होती हैं।
2. नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप में जुड़ा हुआ होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

71. भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।
2. नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले दो दशकों में बढ़ी है।
3. भारत में नगरीकरण का स्तर विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

72. निम्नलिखित में से कौन-सी जनजातियाँ आंध्रप्रदेश में पाई जाती हैं?

1. चेन्चू 2. कोचा
3. गुड़ावा 4. जटापा
5. मिकिर 6. नागा

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 3, 4, और 5
(c) केवल 1, 2, 5 और 6 (d) उपर्युक्त सभी

73. असुर जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इनकी आसुरी भाषा आस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार से सम्बन्ध रखती है।
2. असुर सजातीय विवाह करते हैं।
3. असुरों में आरंभिक काल से ही दहेज के आलावा वधु के कपड़ों के साथ माता और भाई के कपड़ें देने का भी रिवाज है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

74. संथालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है।
2. इनकी अधिकतर जनसंख्या जम्मु कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बसती है।
3. संथाल भारत की सबसे बड़ी व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

75. इरुला (Irula) जनजाति हाल ही में चर्चा में रही है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह जनजाति तीन राज्यों (तमिलनाडु केरल और कर्नाटक) में पाई जाती है।
2. इरुला को "पुरातन कॉकेशियन" और समकालीन कॉकेशियान आबादी के पूर्वजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. इरुला, इरुला भाषा बोलते हैं, जो संस्कृत से निकटता से संबंधित एक आर्य भाषा है।
4. परंपरागत रूप से, इनका मुख्य व्यवसाय सांप, चूहा पकड़ना और शहद संग्रह करना रहा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

76. भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

1. इकला - तमिलनाडु
2. गौडालू - कर्नाटक
3. गद्दी - अंडमान निकोबार
4. विशावन - पंजाब

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

77. भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

1. गुगामाल - मध्य प्रदेश
2. तडोबा - महाराष्ट्र
3. मुरले - मिजोरम
4. मुदुमलई - तमिलनाडु

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

78. संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यहाँ के अधिकांश जंगल दक्षिणी मिश्रित-पर्णपाती वन हैं।
2. ऊपरी ढलानों पर और कुछ एकांत, संकरी घाटियों और धारा-तलों में, अर्ध-सदाबहार वन और सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
3. भारतीय फ्लाइंग फॉक्स (चमगादड़ की प्रजाति), इस पार्क में पाई जाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

79. राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित करने के लिए उस क्षेत्र का अभयारण्य के भीतर होना आवश्यक है।
2. राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानव गतिविधि की अनुमति राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा दी जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

80. भारतीय हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस) मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
2. इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों (CITES) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

81. मानस वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पार्क की उत्तरी सीमा भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी है।
2. मानस राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी असम के भाबर क्षेत्र में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है।
3. मानस दुनिया में एकमात्र ऐसा लेंडस्केप (परिदृश्य) है जहां अर्द्ध सदाबहार वनों के आरोही और घास के मैदानों का विलय एक साथ देखा जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

82. निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण में पिग्मी हॉग को देखा जा सकता है?
(a) ग्रेट निकोबार वन्यजीव अभ्यारण
(b) मानस वन्यजीव अभ्यारण
(c) पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण (d) पन्ना वन्यजीव अभ्यारण

83. पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पश्चिमी घाट के पर्वतीय वन-पारिस्थितिक तंत्र भारतीय मानसून के मौसमी पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं।
2. इस स्थान के वनों में गैर-भूमध्यरेखीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के सर्वोत्तम प्रतिरूप मिलते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

84. भारत में पाई जाने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को 'मृदा' या मिट्टी कहा जाता है।
2. भारत में मुख्यतः आठ प्रकार की मृदा पाई जाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

85. जलोढ़ मिट्टी (दोमट मिट्टी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4 प्रतिशत भाग पर पायी जाती है।
2. जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की मात्रा अधिक पायी जाती है।
3. गेहूं की फसल के लिये जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

86. काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उदगार के कारण बैसाल्ट चट्टान से हुआ है।
2. केरल में काली मिट्टी को 'शाली' का नाम दिया गया है और वहीँ उत्तर भारत में काली मिट्टी को 'केवाल' नाम से जाना जाता है।
3. इस मिट्टी में धान की खेती अच्छी होती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

87. भारत में पाई जाने वाली एक मिट्टी की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए-
1. इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पायी जाती है।
2. यह मिट्टी चाय एवं कॉफी फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है।
3. यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में अधिक पायी जाती है।
4. इस मिट्टी में काजू की फसल अच्छी होती है।

उपर्युक्त विशेषताएं किस मिट्टी को इंगित करती हैं?
(a) लैटेराइट मिट्टी (b) पीली मिट्टी
(c) काली मिट्टी (d) लवण मिट्टी

88. भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. हिमालय पर्वतों पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है।
    2. मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत के वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ पाई जाती हैं।
    3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी
89. भारत में पाए जाने वाले वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
    2. ये उन प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
    3. ये उन प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 22° सेल्सियस से अधिक रहता है।
    4. इन वनों में पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग है।

    उपर्युक्त कथन किस प्रकार के वनों की ओर संकेत करते हैं?
    (a) उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन
    (b) उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन
    (c) उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन
    (d) पर्वतीय वन
90. उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. उष्ण कटिबंधीय काँटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
    2. इस प्रकार के वन दक्षिण-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।
    3. इन वनों में वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी
91. मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उगते हैं?
    1. लवण कच्छ 2. ज्वारीय सँकरी खाड़ी
    3. पंक मैदान 4. ज्वारनदमुख

    कूट:
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी
92. वेलांचली व अनूप आवासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. इसके 70 प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है।
    2. ओडिशा में चिलका और भरतपुर में केउलादेव राष्ट्रीय पार्क, अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के अनूप आवास हैं।
    3. भारत में अनूप आवासों को चार वर्गों में रखा गया है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3
93. सामाजिक वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976-79) ने सामाजिक वानिकी को दो वर्गों में बाँटा है - शहरी वानिकी और फार्म वानिकी।
    2. सार्वजनिक भूमि, जैसे - हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है।
    3. गाँव-चरागाह, मंदिर-भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पटरी के साथ और विद्यालयों में पेड़ लगाना फार्म वानिकी कहलाता है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
    (c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी
94. नंदा देवी जीव मंडल निचय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. नंदा देवी जीव मंडल निचय हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
    2. यहाँ सिल्वर वुड तथा लैटीफोली जैसे आर्किड और रोडोडेंड्रॉन प्रजातियां पाई जाती हैं।
    3. संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना एवं दावानल ने यहाँ के परिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल दिया है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी
95. हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा तैयार 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021' जारी की गई। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है।
    2. वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
    3. वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि घने जंगल में देखी गई है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी
96. 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2021' (ISFR-2021) निम्नलिखित में से किनके बारे में जानकारी प्रदान करता है?
    1. जानवरों की संख्या
    2. भारत के वनों में कार्बन स्टॉक
    3. बाघ आरक्षित क्षेत्र
    4. जमीन से ऊपर बायोमास के अनुमान
    5. जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील स्थान

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2, और 4
(c) केवल 2, 3 और 5 (d) उपर्युक्त सभी

97. भारत के निम्नलिखित राज्यों को वनावरण (प्रतिशत के रूप में) के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए-
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड
(a) मेघालय – मणिपुर – नगालैंड – मिजोरम - अरुणाचल प्रदेश
(b) नगालैंड – मणिपुर – मेघालय - अरुणाचल प्रदेश – मिजोरम
(c) नगालैंड – मिजोरम – मेघालय - अरुणाचल प्रदेश – मणिपुर
(d) मेघालय - अरुणाचल प्रदेश – मिजोरम - नगालैंड – मणिपुर

98. भारत की संपन्न जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. दुनिया के समस्त स्तनपायी (मैमल) जीवों में साढ़े सात प्रतिशत भारत में हैं।
2. भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिन्होंने संरक्षण नियोजन के लिए जैव-भौगौलिक वर्गीकरण विकसित किया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

99. हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. वन्य जीव विशेषज्ञ इसे 'इकोसिस्टम इंजीनियर' कहते हैं।
2. हाथी विभिन्न वनस्पति प्रजातियों के फैलाव में सहायक होते हैं।
3. हाथी वन्य जीवों का विचरण आसान बनाता है।
4. सूक्ष्म जीवों के लिये आवास तैयार करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

100. बांधों के निर्माण से उपर्युक्त में से कौन-से प्रभाव पड़ते हैं?
1. बांधों के निर्माण से तलछट जमाव कम हो जाता है।
2. नदी जलीय जीव-आवासों में भोजन की कमी हो जाती है।
3. अंडे देने वाले जीवों का स्थानान्तरण अवरूद्ध हो जाता है।
4. जलाशयों के कारण आस-पास की वनस्पति और मिट्टी का क्षरण हो जाता है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए -
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(c)	3.	(c)	4.	(a)	5.	(b)	6.	(c)	7.	(c)	8.	(a)	9.	(d)	10.	(c)
11.	(c)	12.	(b)	13.	(a)	14.	(b)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(a)	18.	(a)	19.	(a)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(d)	23.	(b)	24.	(b)	25.	(c)	26.	(d)	27.	(c)	28.	(d)	29.	(d)	30.	(c)
31.	(a)	32.	(d)	33.	(c)	34.	(c)	35.	(d)	36.	(a)	37.	(a)	38.	(d)	39.	(a)	40.	(c)
41.	(c)	42.	(a)	43.	(c)	44.	(c)	45.	(d)	46.	(d)	47.	(b)	48.	(d)	49.	(a)	50.	(d)
51.	(a)	52.	(a)	53.	(b)	54.	(d)	55.	(c)	56.	(b)	57.	(c)	58.	(d)	59.	(a)	60.	(b)
61.	(d)	62.	(c)	63.	(d)	64.	(b)	65.	(d)	66.	(c)	67.	(d)	68.	(a)	69.	(b)	70.	(b)
71.	(b)	72.	(a)	73.	(d)	74.	(b)	75.	(c)	76.	(b)	77.	(b)	78.	(d)	79.	(b)	80.	(c)
81.	(d)	82.	(b)	83.	(c)	84.	(c)	85.	(b)	86.	(b)	87.	(a)	88.	(b)	89.	(c)	90.	(d)
91.	(d)	92.	(c)	93.	(b)	94.	(a)	95.	(a)	96.	(d)	97.	(b)	98.	(c)	99.	(d)	100.	(b)

दीक्षांत
Education Centre

FREE COACHING & SCHOLARSHIP PROGRAMME

GENERAL STUDIES

FOUNDATION COURSE FOR IAS

ENGLISH MEDIUM

ONLINE/OFFLINE

NEW BATCH

STARTS FROM

17 OCT., 5 PM

FEATURES

CLASSROOM PROGRAMME
24 Months/14 Months
1200-1500 Hrs. Classes
300 Hrs. NCERT Video
& 150 Hrs. PT Booster
Classes on App

STUDY MATERIALS
Latest, Updated &
Exam Oriented
Study Materials
10,000 Pages
(50 Booklets)

CURRENT AFFAIRS
200 Hrs.+ Classes on
Important Issues
for 2 Yrs.
& 3 Years Monthly
Magazine Subscription

WORKBOOK (MAINS)
16 workbooks provides
opportunity to review
and extend your
classroom learnings

UNIT TEST (PRE+MAINS)
32 unit test improves
knowledge, skills,
& aptitude for
prelims & mains exam

DAILY CLASS TEST
250 Prelims and 200 Mains
Test is used to check the
quality of knowledge gained
& started executing

CURRENT AFFAIRS PRE TEST
Through 100 tests you will get
right approach for
current affairs MCQs
and their relevance in
the UPSC exam

MENTORSHIP PROGRAMME
Individual doubt clearance
by faculties/experts to
increase confidence and
exposure on
different perspectives

COURSE VALIDITY
4 Years/3 Times Course
Validity will help to increase
your confidence and
preparation for your exam

दीक्षांत
Education Centre

UPSC CSE RESULT - 2021

CONGRATULATIONS

Our 200+ Successful Candidates of
UPSC Civil Service Examination - 2021-22

1 Rank — SHRUTI SHARMA — Roll No. - 0803237

3 Rank — GAMINI SINGLA — Roll No. - 3524519

4 Rank — AISHWARYA VERMA — Roll No. - 5401266

6 Rank — YAKSH CHAUDHARY — Roll No. - 0834409

9 Rank — PREETAM KUMAR — Roll No. - 1118762

24 Rank — SAHITYA PUSAPATI — Roll No. - 5110593

31 Rank — AVINASH — Roll No. - 0323860

33 Rank — JASPINDER SINGH — Roll No. - 3516855

35 Rank — KARTIKEYA JAISWAL — Roll No. - 0413129

43 Rank — SHUBHAM SHUKLA — Roll No. - 0623772

44 Rank — ANJALI SHROTRIYA — Roll No. - 7808206

50 Rank — ABHIJEET RAY — Roll No. - 8101939

53 Rank — ARPIT SANGAL — Roll No. - 0835485

54 Rank — ARPIT GUPTA — Roll No. - 6000943

57 Rank — ALFRED OV — Roll No. - 1903199

60 Rank — SHRADDHA GOME — Roll No. - 7806666

62 Rank — TIRUMANI S POOJA — Roll No. - 6206389

71 Rank — SHREYA SHREE — Roll No. - 6808285

73 Rank — NAMRATA CHOUBEY — Roll No. - 4103715

93 Rank — DEEPESH KUMARI — Roll No. - 0879483

96 Rank — MINI SHUKLA — Roll No. - 6903989

200 + Results

289, DHAKA JOHAR, NEAR DUSSEHRA GROUND, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09 ✆ 7428092240